राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़

भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

पर्यावास भवन, सेक्टर–19, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर (छ.ग.)

ई–मेल : seaccg@gmail.com

विषयः– **राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की दिनांक 31/01/2024 को संपन्न 511वीं बैठक का कार्यवाही विवरण**

——00——

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 511वीं बैठक दिनांक 31/01/2024 को डॉ. बी.पी. नोन्हारे, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में समिति के निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लियाः–

1. डॉ. शैलेश कुमार जाधव, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
2. श्री एन.के. चन्द्राकर, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
3. डॉ. मनोज कुमार चोपकर, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
4. श्री कलदियुस तिर्की, सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति

समिति द्वारा एजेण्डा में सम्मिलित विषयों पर निम्नानुसार विचार किया गयाः–

एजेन्डा आयटम क्रमांक–1: 510वीं बैठक दिनांक 30/01/2024 के कार्यवाही विवरण के अनुमोदन के संबंध में।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 510वीं बैठक दिनांक 30/01/2024 को संपन्न हुई थी। समिति को अवगत कराया गया कि बैठक का कार्यवाही विवरण तैयार किया जा रहा है, जिसे समिति के समक्ष शीघ्र प्रस्तुत किया जाएगा। उक्त स्थिति से समिति सहमत हुई।

एजेन्डा आयटम क्रमांक–2: गौण/मुख्य खनिजों संबंधी प्रकरणों के प्रस्तुतीकरण उपरांत पर्यावरणीय स्वीकृति / टीओआर/अन्य आवश्यक निर्णय लिया जाना।

1. मेसर्स बदुराबहार आर्डिनरी स्टोन माईन (प्रो.– श्री गोविंद अग्रवाल), ग्राम–बदुराबहार, तहसील–पत्थलगांव, जिला–जशपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2857E)

भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 28/04/2023 जारी किया गया है, जिसके पैरा 4 में निम्न प्रावधान हैः–

"The matter has been examined in the Ministry and accordingly it has been decided that all valid ECs issued by DEIAA shall be reappraised through SEAC/SEIAA in compliance to the order of the Hon'ble NGT in O.A.142 of 2022. In view of above, it is hereby directed that all concerned SEACs shall re-appraise the ECs issued by DEIAAs between 15.01.2016 and 13.09.2018

(including both dates) and all fresh ECs in this regard shall be granted only by SEIAAs based on such appraisal. The exercise shall be completed within a time period of one year from the date of issue of this OM. DEIAAs shall transfer all such files where ECs have been granted to concerned SEIAA within a time period of one month from issue of this OM."

उक्त ऑफिस मेमोरेण्डम के तहत् परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनः अनुशंसा (re-appraisal) हेतु एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष ऑनलाईन आवेदन किया गया है।

विषय वस्तु	आवेदित प्रकरण से संबंधित विवरण	समिति द्वारा नोट किया गया कि
ऑनलाईन आवेदन	टी.ओ.आर. – 453964 एवं 01/12/2023	
खदान का प्रकार	पत्थर (गौण खनिज) खदान	संचालित
क्षेत्रफल एवं क्षमता	0.632 हेक्टेयर एवं 5,796.71 टन प्रतिवर्ष	
खसरा क्रमांक	1019	
भू-स्वामित्व	शासकीय भूमि	
बैठक का विवरण	511वीं बैठक दिनांक 31/01/2024	प्रस्तुतीकरण हेतु सूचना दिनांक 22/01/2024
प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित प्रतिनिधि		श्री वैभव कुमार अग्रवाल, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुये। अधिकृत प्रतिनिधि का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
पूर्व में जारी ई.सी.	खदान का प्रकार – पत्थर (गौण खनिज) खदान खसरा क्रमांक – 1019 क्षेत्रफल – 0.632 हेक्टेयर क्षमता – 5,796.71 टन प्रतिवर्ष दिनांक – 28/01/2017	डी.ई.आई.ए.ए., जिला-जशपुर पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 26/11/2044 तक है।
पूर्व में जारी ई.सी. का पालन प्रतिवेदन	स्व-प्रमाणित – हाँ	निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण – हाँ
विगत वर्षो में किये गये उत्खनन	दिनांक 24/01/2024	वित्तीय वर्ष – उत्पादन (घनमीटर) 28/01/2017 से 31/03/2017 – निरंक 2017–18 – 1,000 2018–19 – 1,380 2019–20 – 1,472 2020–21 – 2,060 2021–22 – 1,780 2022–23 – 2,062 09/2023 – 2,020
ग्राम पंचायत एन.ओ.सी.	ग्राम पंचायत बदुराबहार दिनांक 24/11/2012	
उत्खनन योजना अनुमोदन	दिनांक 13/10/2020	
500 मीटर	दिनांक 29/11/2023	4 खदानें, क्षेत्रफल 7.88 हेक्टेयर
200 मीटर	दिनांक 29/11/2023	प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

लीज डीड	लीज धारक– श्री गोविन्द अग्रवाल अवधि–27/11/2014 से 26/11/2044	
वन विभाग एन.ओ.सी.	आवेदित क्षेत्र के समीपस्थ दूरी पर ग्राम–बटुराबहार, खसरा क्रमांक 1030/6, 1044, 999/2, 1030/5 एवं 1033, क्षेत्रफल 3.042 हेक्टेयर से वन की दूरी का उल्लेख करते हुए वनमण्डलाधिकारी, जशपुर वनमण्डल, जशपुर द्वारा जारी दिनांक 14/11/2022 का अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई है। वन खण्ड पी.एफ. 1007 से दूरी – 6 कि.मी.	प्रस्तुत के.एम.एल. फाईल एवं टोपोशीट में अवलोकन करने पर आवेदित खदान (क्षेत्रफल 0.632 हेक्टेयर) की लेमरू एलिफेन्ट रिजर्व की आकाशीय दूरी – 48 कि.मी. आवेदित क्षेत्र की निकटतम वन क्षेत्र से दूरी का उल्लेख करते हुए कार्यालय वनमण्डलाधिकारी से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी	आबादी ग्राम – बटुराबहार 540 मीटर स्कूल ग्राम – बटुराबहार 835 मीटर अस्पताल – पत्थलगॉव 14.3 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग – 5.15 कि.मी. राज्यमार्ग – 6.1 कि.मी.	भूरी नदी – 1.15 कि.मी. मौसमी नाला – 1.6 कि.मी. तालाब – 460 मीटर नहर – 1.35 कि.मी.
पारिस्थितिकीय/ जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र	5 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं है।	
खनन संपदा एवं खनन का विवरण	उत्खनन विधि – ओपन कास्ट मैन्युअल ड्रिलिंग एवं कन्ट्रोल ब्लास्टिंग – हॉ **माईनिंग प्लान अनुसार रिर्जव्स–** जियोलॉजिकल 1,06,176 टन माईनेबल 32,097.8 टन रिकव्हरेबल 28,888.02 टन **वर्तमान में रिर्जव्स–** जियोलॉजिकल 81,529.78 टन माईनेबल 7,451.58 टन रिकव्हरेबल 6,706.42 टन प्रस्तावित गहराई 6 मीटर बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर बेंच की चौड़ाई 1.5 मीटर संभावित आयु 5.5 वर्ष प्रस्तावित क्रशर – नहीं	**वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन** प्रथम 5,796.70 टन द्वितीय 5,796.70 टन तृतीय 5,796.70 टन चतुर्थ 5,796.70 टन पंचम 5,796.70 टन
उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र	लीज के 7.5 मीटर का क्षेत्रफल – 2,236 वर्गमीटर	उत्खनित – नहीं
ऊपरी मिट्टी/ ओव्हर बर्डन प्रबंधन योजना	वर्तमान में लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी अथवा ओव्हर बर्डन अवस्थित नहीं है।	

जल आपूर्ति	मात्रा – 5 घनमीटर स्त्रोत – माईन पिट एवं बोरवेल	सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से प्राप्त।
वृक्षारोपण कार्य	लीज क्षेत्र की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी के चारों ओर वृक्षारोपण – 438 नग वर्तमान वृक्षारोपण – 150 नग शेष प्रस्तावित वृक्षारोपण – 288 नग	
श्रेणी	बी1	आवेदित खदान को मिलाकर कुल क्षेत्रफल 8.512 हेक्टेयर है।

1. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य 21 अक्टूबर 2023 से प्रारंभ किया गया है।
2. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–
   a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
   b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

i. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.

ii. Project proponent shall submit the details of monitoring equipments alongwith its specification. Project proponent shall monitor as per the Methodology issued by MoEF&CC.

iii. Project proponent shall submit the NOC from DFO, forest department mentioning distance between mine lease boundary to forest boundary.

iv. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.

v. Project proponent will present the information along with photographs by mentioning the numbering of the plants and the name of the plant.

vi. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.

vii. Project proponent shall submit an affidavit stating that no harm, no damage and no contamination shall be committed to nearby water bodies.

viii. EIA study shall be done at minimum 10 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.

ix. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

x. Project proponent shall submit a Cumulative Environment Impact Assessment Study (Air, Water, Noise, Soil, Traffic etc) of the mines located in the nearby area and Ecology of the buffer zone of study area and shall incorporate the same in the EIA report.

xi. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

xii. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.

xiii. Project proponent shall submit the DPR (Detailed Project Report) of plantation and undertake plantation & incorporate in the EIA report.

xiv. Project proponent shall submit the DPR (Detailed Project Report) of 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintainance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.

xv. Project proponent shall submit the DPR (Detailed Project Report) of plantation & maintenance for 5 years & undertake plantation (as far as possible tree bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain minimum 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall submit half yearly reports regarding compliance to the Authority. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.

xvi. Project proponent shall submit DPR (Detailed Project Report) of CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

2. मेसर्स बड़े सुरोखी सेण्ड क्वारी (सरपंच/सचिव, ग्राम पंचायत बड़े सुरोखी), ग्राम–बड़े सुरोखी, तहसील–गीदम, जिला–दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2858)

विषय वस्तु	आवेदित प्रकरण से संबंधित विवरण	समिति द्वारा नोट किया गया कि
ऑनलाईन आवेदन	ई.सी.– 453720 एवं 02/12/2023	
खदान का प्रकार	रेत (गौण खनिज) खदान	प्रस्तावित
क्षेत्रफल एवं क्षमता	5 हेक्टेयर एवं 30,000 घनमीटर प्रतिवर्ष	

खसरा क्रमांक एवं नदी	पार्ट ऑफ 440 एवं डंकनी नदी	
बैठक का विवरण	511वीं बैठक दिनांक 31/01/2024	प्रस्तुतीकरण हेतु सूचना दिनांक 23/01/2024
प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित प्रतिनिधि		श्री संतु कुंजाम, सरपंच उपस्थित हुये।
पूर्व में जारी ई.सी.	पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।	
ग्राम पंचायत एन.ओ.सी.	ग्राम पंचायत बड़े सुरोखी दिनांक 23/01/2023	
उत्खनन योजना अनुमोदन	दिनांक 31/10/2023	
चिन्हांकित/ सीमांकित	दिनांक 06/10/2023	
500 मीटर	दिनांक 24/01/2024	अन्य खदानों की संख्या निरंक है।
200 मीटर	दिनांक 24/01/2024	प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
एल.ओ.आई.	एल.ओ.आई. धारक – सरपंच/सचिव, ग्राम पंचायत बड़े सुरोखी दिनांक – 06/10/2023 वैधता अवधि – 01 वर्ष	
वन विभाग एन.ओ.सी.		आवेदित क्षेत्र की निकटतम वन क्षेत्र से दूरी उल्लेख करते हुए, कार्यालय वनमंडलाधिकारी का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी	आबादी ग्राम– बड़े सुरोखी 1.2 कि.मी. स्कूल ग्राम– बड़े सुरोखी 2.1 कि.मी. अस्पताल–गीदम 11.5 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग–2.5 कि.मी.	
खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी	**खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई–** अधिकतम 196 मीटर, न्यूनतम 112 मीटर **खनन स्थल की लंबाई–** अधिकतम –974 मीटर, न्यूनतम 970 मीटर **खनन स्थल की चौड़ाई –** अधिकतम 84 मीटर, न्यूनतम 39 मीटर **खदान की नदी तट के किनारे से दूरी –** अधिकतम 97 मीटर, न्यूनतम 12 मीटर	समिति द्वारा पाया गया कि जिस खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई 196 मीटर है, उस खनन स्थल पर नदी तट के किनारे से दूरी न्यूनतम 97 मीटर है तथा खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई 112 मीटर है, उस खनन स्थल पर नदी तट के किनारे से दूरी न्यूनतम 12 मीटर है। अतः गैर माईनिंग क्षेत्र की आवश्यकता नहीं है।
खदान स्थल पर रेत की मोटाई –	स्थल पर रेत की गहराई – 3 मीटर रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 1 मीटर खदान में माईनेबल रेत की मात्रा–30,000 घनमीटर खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी	

	अनुसार – स्थल पर किये गये गढ्ढे (Pits) की संख्या–5 रेत की उपलब्ध औसत गहराई 3 मीटर रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा प्रस्तुत किया गया है।	
खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवल्स	ग्रिड बिन्दु – 25 मीटर X 25 मीटर लेवल्स (Levels) दिनांक 22/12/2023 खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है।	
वृक्षारोपण कार्य	नदी के तट पर वृक्षारोपण – 324 नग किया जाना है।	प्रस्तावित कार्य हेतु 5 वर्ष की राशि – 3,84,942 रूपये ग्राम पंचायत का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
परियोजना से संबंधित शपथ पत्र	1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण, सघन वृक्षारोपण एवं 90 प्रतिशत जीवन स्तर सुनिश्चित, छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् रोजगार, सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित कार्य एवं संबंधित शाखा से कार्य पूर्ण प्रतिवेदन जिओटैग फोटोग्राफ सहित जानकारी अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करने बाबत्, प्राकृतिक जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं सवर्धन हेतु, पर्यावरण स्वीकृति में दिये गए शर्तों का पालन किया जाऐगा एवं छः माही पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावेगा, धूल के निराकरण हेतु टैंकर द्वारा जल छिड़काव करना, खनिज का परिवहन तारपोलिन से ढ़ककर करने, वाहनों का परिवहन आबादी क्षेत्र से न करने एवं वर्षाऋतु के दौरान रेत उत्खनन का कार्य नहीं किया जाएगा। 2. इन्फोर्समेंट एवं मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेण्ड माईनिंग 2020 के प्रावधानों का पालन किया जावेगा एवं अनुमोदित उत्खनन योजना में दिये गये माईनेबल रिर्जव का 60 प्रतिशत रिजर्व ही उत्खनन किया जावेगा। 3. खदान में उत्खनन के दौरान सस्टेनेवल सेण्ड माईनिंग मैनेजमेंट गाइडलाईन 2016 एवं इन्फोर्समेंट एवं मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेण्ड माईनिंग 2020 के प्रावधानों का पालन किया जाएगा।	परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्न शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किये गये है:– 1. परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है। 2. परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है। 3. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को Common Cause vs. Union of India Writ Petition (C) 114 of 2014 में दिए गए दिशा निर्देशों का मेरे द्वारा पालन किया जावेगा। 4. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को writ petition (S) Civil No.114 /2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा।

	उपरोक्त सभी तथ्यों का पालन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized Undertaking) प्रस्तुत किया गया है।	
श्रेणी	बी–2	आवेदित खदान को मिलाकर कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर है।

1. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
6	2%	0.12	Following activities at Nearby, Village- Bade Surokhi	
			Plantation in Village	6.315
			Total	**6.315**

सी.ई.आर. के अंतर्गत वृक्षारोपण (नीम, पीपल, करंज, कदम, जामुन, अमलतास, अर्जुन, बरगद आदि) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कुल 640 नग वृक्षारोपण हेतु पौधों के लिए राशि 58,640 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 1,36,700 रूपये, खाद के लिए राशि 4,800 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 72,000 रूपये एवं अन्य कार्यो हेतु राशि 10,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 2,82,140 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 3,49,376 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत बड़े सुरोखी के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 295, क्षेत्रफल 0.40 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

2. सी.ई.आर. कार्य एवं नदी तट में वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं नदी तट में वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

3. रेत उत्खनन मैनुअल विधि से एवं भराई का कार्य लोडर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है। समिति का मत है कि लोडर जैसे यंत्र भारी वाहन की श्रेणी के है। अतः भराई का कार्य मैनुअल विधि से ही कराई जावें। भारी वाहनों के नदी में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 1 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनःभरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। डंकनी छोटी नदी है तथा इसमें वर्षाकाल में सामान्यतः 1 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनःभराव होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनःभरण (Replenishment) बाबत् सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।

2. **लीज क्षेत्र की सतह का बेसलाईन डाटा –**

   i. रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व उपरोक्तानुसार निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर नदी में रेत की सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे कर, उसके आंकड़ें तत्काल एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किये जायें।

   ii. रेत खनन उपरांत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर/नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर किया जायेगा।

   iii. इसी प्रकार पोस्ट–मानसून (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा।

   iv. रेत सतह के पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) के मापन का कार्य आगामी 6 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। प्री–मानसून के आंकड़ें अगस्त 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 एवं पोस्ट–मानसून के आंकड़ें दिसम्बर 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे।

3. आवेदित क्षेत्र की निकटतम वन क्षेत्र से दूरी उल्लेख करते हुए, कार्यालय वनमंडलाधिकारी का अनापत्ति प्रमाण पत्र को एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की सशर्त अनुशंसा की जाती है।

4. ग्राम पंचायत के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक एवं क्षेत्रफल सहित) नदी तट पर वृक्षारोपण किये जाने बाबत् ग्राम पंचायत के सहमति पत्र को एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की सशर्त अनुशंसा की जाती है।

5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से मेसर्स बड़े सुरोखी सेण्ड क्वारी (सरपंच, ग्राम पंचायत बड़े सुरोखी) को ग्राम–बड़े सुरोखी, तहसील–गीदम, जिला–दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 440, कुल लीज क्षेत्रफल–5 हेक्टेयर के कुल 60 प्रतिशत क्षेत्रफल में ही रेत उत्खनन अधिकतम 1 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 30,000 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से पांच वर्ष तक की अवधि हेतु **परिशिष्ट–01** में वर्णित शर्तों के अधीन दिये जाने की अनुशंसा की गई। रेत की खुदाई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। रिवर बेड (River Bed) में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गढ्ढे (Excavation pits) से लोडिंग प्वाईट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

6. सस्टेनेबल सेण्ड माईनिंग मैनेजमेंट गाईडलाईन्स, 2016 (Sustainable Sand Mining Management Guidelines 2016) एवं ईन्फोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेण्ड माईनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के अनुसार कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.) छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

3. मेसर्स बड़ेतुमनार सेण्ड क्वारी (D-7) (सरपंच/सचिव, ग्राम पंचायत बड़ेतुमनार), ग्राम–बड़ेतुमनार, तहसील–गीदम, जिला–दंतेवाड़ा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2885)

विषय वस्तु	आवेदित प्रकरण से संबंधित विवरण	समिति द्वारा नोट किया गया कि
ऑनलाईन आवेदन	ई.सी.– 454146 एवं 04/12/2023	
खदान का प्रकार	रेत (गौण खनिज) खदान	प्रस्तावित
क्षेत्रफल एवं क्षमता	5 हेक्टेयर एवं 30,000 घनमीटर प्रतिवर्ष	
खसरा क्रमांक एवं नदी	पार्ट ऑफ 802 एवं शंकनी–डंकनी नदी	
बैठक का विवरण	511वीं बैठक दिनांक 31/01/2024	प्रस्तुतीकरण हेतु सूचना दिनांक 23/01/2024
प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित प्रतिनिधि		श्री गुड्डी राम कश्यप, सरपंच उपस्थित हुये।
पूर्व में जारी ई.सी.	पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।	
ग्राम पंचायत एन.ओ.सी.	ग्राम पंचायत बड़ेतुमनार दिनांक 23/01/2023	
उत्खनन योजना अनुमोदन	दिनांक 31/10/2023	
चिन्हांकित/ सीमांकित	दिनांक 06/10/2023	
500 मीटर	दिनांक 24/01/2024	अन्य खदानों की संख्या निरंक है।
200 मीटर	दिनांक 24/01/2024	प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
एल.ओ.आई.	एल.ओ.आई. धारक – सरपंच/सचिव, ग्राम पंचायत बड़े तुमनार दिनांक – 06/10/2023 वैधता अवधि – 1 वर्ष	
वन विभाग एन.ओ.सी.		आवेदित क्षेत्र की निकटतम वन क्षेत्र से दूरी उल्लेख करते हुए, कार्यालय वनमंडलाधिकारी का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी	आबादी ग्राम–बड़ेतुमनार 2 कि.मी. स्कूल ग्राम–बड़ेतुमनार 2.1 कि.मी. अस्पताल–गिदम 17.9 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग–200 मीटर	
खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी	**खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई–** अधिकतम 126 मीटर, न्यूनतम 85 मीटर **खनन स्थल की लंबाई–** अधिकतम – 850 मीटर, न्यूनतम 810 **खनन स्थल की चौड़ाई –** अधिकतम 71 मीटर, न्यूनतम 40 मीटर **खदान की नदी तट के किनारे से दूरी –** अधिकतम 40 मीटर, न्यूनतम 10 मीटर	समिति द्वारा पाया गया कि जिस खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई 126 मीटर है, उस खनन स्थल पर नदी तट के किनारे से दूरी न्यूनतम 40 मीटर है तथा खनन 85 मीटर है, उस खनन स्थल पर नदी तट के किनारे से दूरी न्यूनतम 10 मीटर है। अतः गैर माईनिंग क्षेत्र की आवश्यकता नहीं है।
खदान स्थल पर रेत की मोटाई –	स्थल पर रेत की गहराई – 2.5 मीटर रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 1 मीटर खदान में माईनेबल रेत की मात्रा–30,000 घनमीटर खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी अनुसार – स्थल पर किये गये गढ्ढे (Pits) की संख्या–5 रेत की उपलब्ध औसत गहराई 3 मीटर रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा प्रस्तुत किया गया है।	
खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवल्स	ग्रिड बिन्दु – 25 मीटर X 25 मीटर लेवल्स (Levels) दिनांक 22/12/2023 खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है।	
वृक्षारोपण कार्य	नदी के तट पर – 118 नग वृक्षारोपण किया जाना है।	प्रस्तावित कार्य हेतु 5 वर्ष की राशि – 2,34,276 रूपये ग्राम पंचायत का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
परियोजना से संबंधित शपथ पत्र	1. परियोजना प्रस्तादक द्वारा फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण, सघन वृक्षारोपण एवं 90 प्रतिशत जीवन स्तर सुनिश्चित, छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् रोजगार, सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित कार्य एवं संबंधित शाखा से कार्य पूर्ण प्रतिवेदन जिओटैग फोटोग्राफ सहित जानकारी अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करने बाबत्, प्राकृतिक जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं सवर्धन हेतु,	परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्न शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किये गये है:– 1. परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है। 2. परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और

	पर्यावरण स्वीकृति में दिये गए शर्तों का पालन किया जाऐगा एवं छः माही पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावेगा, धूल के निराकरण हेतु टैंकर द्वारा जल छिड़काव करना, खनिज का परिवहन तारपोलिन से ढककर करने, वाहनों का परिवहन आबादी क्षेत्र से न करने एवं वर्षाऋतु के दौरान रेत उत्खनन का कार्य नहीं किया जाएगा। 2. इन्फोर्समेंट एवं मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेंड माईनिंग 2020 के प्रावधानों का पालन किया जावेगा एवं अनुमोदित उत्खनन योजना में दिये गये माईनेबल रिर्जव का 60 प्रतिशत रिजर्व ही उत्खनन किया जावेगा। 3. खदान में उत्खनन के दौरान सस्टेनेबल सेंड माईनिंग मैनेजमेंट गाइडलाईन 2016 एवं इन्फोर्समेंट एवं मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेंड माईनिंग 2020 के प्रावधानों का पालन किया जाएगा। उपरोक्त सभी तथ्यों का पालन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized Undertaking) प्रस्तुत किया गया है।	जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है। 3. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को Common Cause vs. Union of India Writ Petition (C) 114 of 2014 में दिए गए दिशा निर्देशों का मेरे द्वारा पालन किया जावेगा। 4. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को writ petition (S) Civil No.114 /2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा।
श्रेणी	बी–2	आवेदित खदान का क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर है।

1. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	**CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)**
6.81	2%	0.14	Following activities at Nearby, **Village- Bade Tumnaar**	
			Plantation in Village	5.06
			Total	**5.06**

2. सी.ई.आर. के अंतर्गत वृक्षारोपण (नीम, पीपल, करंज, कदम, जामुन, अमलतास, अर्जुन आदि) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कुल 405 नग वृक्षारोपण हेतु पौधों के लिए राशि 40,780 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 39,200 रूपये, खाद के लिए राशि 3,060 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 72,000 रूपये एवं अन्य कार्यो हेतु राशि 10,000 रूपये, इस **प्रकार प्रथम** वर्ष में कुल राशि 1,65,040 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 3,41,784 रूपये **हेतु घटकवार व्यय का विवरण** प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम **पंचायत बड़े तुमनार के**

सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 449, क्षेत्रफल 15.91 हेक्टेयर में से 0.40 डिसमिल में) संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

3. सी.ई.आर. कार्य एवं नदी तट में वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं नदी तट में वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

4. रेत उत्खनन मैनुअल विधि से एवं भराई का कार्य लोडर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है। समिति का मत है कि लोडर जैसे यंत्र भारी वाहन की श्रेणी के है। अतः भराई का कार्य मैनुअल विधि से ही कराई जावें। भारी वाहनों के नदी में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 1 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनःभरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। शंकनी–डंकनी नदी छोटी नदी है तथा इसमें वर्षाकाल में सामान्यतः 1 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनःभराव होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–

1. परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनःभरण (Replenishment) बाबत् सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।

2. **लीज क्षेत्र की सतह का बेसलाईन डाटा –**

   i. रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व उपरोक्तानुसार निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर नदी में रेत की सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे कर, उसके आंकड़ें तत्काल एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किये जायें।

   ii. रेत खनन उपरांत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर/नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर किया जायेगा।

   iii. इसी प्रकार पोस्ट–मानसून (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा।

   iv. रेत सतह के पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) के मापन का कार्य आगामी 6 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। प्री–मानसून के आंकड़ें अगस्त 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 एवं पोस्ट–मानसून के आंकड़ें दिसम्बर 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे।

3. आवेदित क्षेत्र की निकटतम वन क्षेत्र से दूरी उल्लेख करते हुए, कार्यालय वनमंडलाधिकारी का अनापत्ति प्रमाण पत्र को एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की सशर्त अनुशंसा की जाती है।

4. ग्राम पंचायत के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक एवं क्षेत्रफल सहित) नदी तट पर वृक्षारोपण किये जाने बाबत् ग्राम पंचायत के सहमति पत्र को एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की सशर्त अनुशंसा की जाती है।

5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से मेसर्स बड़ेतुमनार सेण्ड क्वारी, (D-7) (सरपंच/सचिव, ग्राम पंचायत बड़ेतुमनार) को ग्राम–बड़ेतुमनार, तहसील–गीदम, जिला–दंतेवाड़ा, पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 802, कुल लीज क्षेत्रफल–5 हेक्टेयर के कुल 60 प्रतिशत क्षेत्रफल में ही रेत उत्खनन अधिकतम 1 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 30,000 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से पांच वर्ष तक की अवधि हेतु **परिशिष्ट–02** में वर्णित शर्तों के अधीन दिये जाने की अनुशंसा की गई। रेत की खुदाई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। रिवर बेड (River Bed) में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गढ्ढे (Excavation pits) से लोडिंग प्वाईंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

6. सस्टेनेबल सेण्ड माईनिंग मैनेजमेंट गाईडलाईन्स, 2016 (Sustainable Sand Mining Management Guidelines 2016) एवं ईन्फोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेण्ड माईनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के अनुसार कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.) छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

4. मेसर्स गोयल एनर्जी एण्ड स्टील प्रायवेट लिमिटेड, यूनिट–4, ग्राम–बोरझरा, तहसील व जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2879)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी1/ 454284/2023, दिनांक 04/12/2023 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह क्षमता विस्तार का प्रकरण है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम–बोरझरा, तहसील व जिला–रायपुर स्थित पटवारी हल्का नंबर 29/101, खसरा कमांक–344/3, कुल क्षेत्रफल–1.607 हेक्टेयर में Regularization cum Expansion of existing Steel Plant – Steel Re-Rolling Mill (Re-rolled Product) (Existing 30,000 TPA), New Induction Furnace with CCM (Ingots/Billets) – 1,20,000 TPA हेतु आवेदन किया गया है। क्षमता विस्तार के तहत् परियोजना का कुल विनियोग 4 करोड़ रूपये होगा।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/01/2024 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 511वीं बैठक दिनांक 31/01/2024

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा कोई अनुरोध पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी एवं अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

5. मेसर्स गोयल एनर्जी एण्ड स्टील प्रायवेट लिमिटेड, यूनिट–5, ग्राम–बोरझरा, तहसील व जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2880)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी1/ 454320/2023, दिनांक 04/12/2023 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह क्षमता विस्तार का प्रकरण है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा रिंग रोड नंबर–2, ग्राम–बोरझरा, तहसील व जिला–रायपुर स्थित पटवारी हल्का नंबर 29/101, खसरा कमांक–324/2, कुल क्षेत्रफल–1.619 हेक्टेयर में **Regularization cum Expansion of existing Steel Plant – Steel Re-Rolling Mill (Re-rolled Product) (Existing 30,000 TPA), New Induction Furnace with CCM (Ingots/Billets) – 1,20,000 TPA** हेतु आवेदन किया गया है। क्षमता विस्तार के तहत् परियोजना का कुल विनियोग 4 करोड़ रूपये होगा।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/01/2024 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 511वीं बैठक दिनांक 31/01/2024:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा कोई अनुरोध पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी एवं अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

6. मेसर्स अरौद सेण्ड माईन (सरपंच, ग्राम पंचायत अरौद), ग्राम–अरौद, तहसील–चरामा, जिला–उत्तर बस्तर कांकेर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2892)

विषय वस्तु	आवेदित प्रकरण से संबंधित विवरण	समिति द्वारा नोट किया गया कि
ऑनलाईन आवेदन	ई.सी.– 446411 एवं 05/12/2023	
खदान का प्रकार	रेत (गौण खनिज) खदान	प्रस्तावित
क्षेत्रफल एवं क्षमता	3.9 हेक्टेयर एवं 78,000 घनमीटर प्रतिवर्ष	
खसरा क्रमांक एवं नदी	पार्ट ऑफ 01 एवं महानदी	
बैठक का विवरण	511वीं बैठक दिनांक 31/01/2024	प्रस्तुतीकरण हेतु सूचना दिनांक 23/01/2024

प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित प्रतिनिधि		श्रीमती सत्यवती मरकाम, सरपंच उपस्थित हुई।
पूर्व में जारी ई.सी.	पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।	
ग्राम पंचायत एन.ओ.सी.	ग्राम पंचायत अरौद दिनांक 02/02/2023	
उत्खनन योजना अनुमोदन	दिनांक 20/09/2023	
चिन्हांकित/ सीमांकित	दिनांक 04/08/2023	
500 मीटर	दिनांक 25/09/2023	अन्य खदानों की संख्या निरंक है।
200 मीटर	दिनांक 25/09/2023	प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
एल.ओ.आई.	एल.ओ.आई. धारक – सरपंच, ग्राम पंचायत अरौद दिनांक – 04/08/2023 वैधता अवधि – 1 वर्ष	
वन विभाग एन.ओ.सी.	वनमण्डलाधिकारी, कांकेर वनमण्डल कांकेर द्वारा जारी दिनांक 19/04/2023	वन खंड कक्ष क्रमांक RF-223 से दूरी – 2 कि.मी.
महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी	आबादी ग्राम – अरौद 1 कि.मी. स्कूल ग्राम – अरौद 1.2 कि.मी. अस्पताल – चिनौरी 2 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग – 3.5 कि.मी. राज्यमार्ग – 15 कि.मी.	
खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी	**खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई–** अधिकतम 253 मीटर, न्यूनतम 205 मीटर **खनन स्थल की लंबाई–** अधिकतम – 560 मीटर, न्यूनतम 518 **खनन स्थल की चौड़ाई –** अधिकतम 100 मीटर, न्यूनतम 49 मीटर **खदान की नदी तट के किनारे से दूरी –** अधिकतम 84 मीटर, न्यूनतम 35 मीटर	
खदान स्थल पर रेत की मोटाई –	स्थल पर रेत की गहराई – 3 मीटर रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 2 मीटर खदान में माईनेबल रेत की मात्रा–78,000 घनमीटर खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी अनुसार – स्थल पर किये गये गढ्ढे (Pits) की संख्या – 4 रेत की उपलब्ध औसत गहराई 3 मीटर रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा प्रस्तुत किया गया है।	

खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवल्स	ग्रिड बिन्दु – 25 मीटर X 25 मीटर लेवल्स (Levels) दिनांक 27/01/2024 खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है।	
वृक्षारोपण कार्य	नदी के तट पर वृक्षारोपण – 800 नग किया जाना है।	प्रस्तावित कार्य हेतु 5 वर्ष की राशि – 9,55,440 रूपये ग्राम पंचायत का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
परियोजना से संबंधित शपथ पत्र	1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण, सघन वृक्षारोपण एवं 90 प्रतिशत जीवन स्तर सुनिश्चित, छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् रोजगार, खदान से किसी भी प्रकार का दुषित जल, प्राकृतिक जल स्त्रोत में प्रवाहित न करने, पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों का पालन करने, छः माही पालन प्रतिवेदन जमा करने, सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित कार्य एवं लीज क्षेत्र के बहार खनन नहीं किया जाएगा। 2. इन्फोर्समेंट एवं मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेंड माईनिंग 2020 के प्रावधानों का पालन किया जावेगा एवं अनुमोदित उत्खनन योजना में दिये गये माईनेबल रिर्जव का 60 प्रतिशत रिजर्व ही उत्खनन किया जावेगा। 3. खदान में उत्खनन के दौरान सस्टेनेवल सेंड माईनिंग मैनेजमेंट गाइडलाईन 2016 एवं इन्फोर्समेंट एवं मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेंड माईनिंग 2020 के प्रावधानों का पालन किया जाएगा। उपरोक्त सभी तथ्यों का पालन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized Undertaking) प्रस्तुत किया गया है।	परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्न शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किये गये है:– 1. परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है। 2. परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है। 3. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को Common Cause vs. Union of India Writ Petition (C) 114 of 2014 में दिए गए दिशा निर्देशों का मेरे द्वारा पालन किया जावेगा। 4. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को writ petition (S) Civil No.114 /2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा।
श्रेणी	बी–2	आवेदित खदान का क्षेत्रफल 3.9 हेक्टेयर है।

1. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (In Lakh	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation

		Rupees)		(in Lakh Rupees)
37	2%	0.74	Following activities at Nearby, Village- Aroud	
			Plantation in Village	4.91
			Total	**4.91**

2. सी.ई.आर. के अंतर्गत वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कुल 450 नग वृक्षारोपण हेतु पौधों के लिए राशि 33,750 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 76,320 रूपये, खाद के लिए राशि 4,500 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 69,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 1,83,570 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 3,07,500 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत अरौद के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 123, क्षेत्रफल 2.05 हेक्टेयर में से 0.4 हेक्टेयर) संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

3. सी.ई.आर. कार्य एवं नदी तट में वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं नदी तट में वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

4. रेत उत्खनन मैनुअल विधि से एवं भराई का कार्य लोडर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है। समिति का मत है कि लोडर जैसे यंत्र भारी वाहन की श्रेणी के है। अतः भराई का कार्य मैनुअल विधि से ही कराई जावें। भारी वाहनों के नदी में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 2 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनःभरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। महानदी बड़ी नदी है तथा इसमें वर्षाकाल में सामान्यतः 1.5 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनःभराव होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनःभरण (Replenishment) बाबत् सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।

2. **लीज क्षेत्र की सतह का बेसलाईन डाटा –**

   i. रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व उपरोक्तानुसार निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर नदी में रेत की सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे कर, उसके आंकड़ें तत्काल एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किये जायें।

   ii. रेत खनन उपरांत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के

बाहर/नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर किया जायेगा।

iii. इसी प्रकार पोस्ट–मानसून (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा।

iv. रेत सतह के पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) के मापन का कार्य आगामी 6 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। प्री–मानसून के आंकड़ें अगस्त 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 एवं पोस्ट–मानसून के आंकड़ें दिसम्बर 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे।

3. ग्राम पंचायत के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक एवं क्षेत्रफल सहित) नदी तट पर वृक्षारोपण किये जाने बाबत् ग्राम पंचायत के सहमति पत्र को एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की सशर्त अनुशंसा की जाती है।

4. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से मेसर्स अरौद सेण्ड माईन (सरपंच, ग्राम पंचायत अरौद) को ग्राम–अरौद, तहसील–चरामा, जिला–उत्तर बस्तर कांकेर, पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 01, कुल लीज क्षेत्रफल–3.9 हेक्टेयर के कुल 60 प्रतिशत क्षेत्रफल में ही रेत उत्खनन अधिकतम 1.5 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 35,100 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से पांच वर्ष तक की अवधि हेतु **परिशिष्ट–03** में वर्णित शर्तों के अधीन दिये जाने की अनुशंसा की गई। रेत की खुदाई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। रिवर बेड (River Bed) में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गढ्ढे (Excavation pits) से लोडिंग प्वाईंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

5. सस्टेनेबल सेण्ड माईनिंग मैनेजमेंट गाईडलाईन्स, 2016 (Sustainable Sand Mining Management Guidelines 2016) एवं ईन्फोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेण्ड माईनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के अनुसार कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.) छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

7. मेसर्स कुदमुरा–1 सेण्ड क्वारी (सचिव/सरपंच, ग्राम पंचायत कुदमुरा), ग्राम–कुदमुरा, तहसील–मैसमा, जिला–कोरबा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2903)

विषय वस्तु	आवेदित प्रकरण से संबंधित विवरण	समिति द्वारा नोट किया गया कि
ऑनलाईन आवेदन	ई.सी.– 454537 एवं 06/12/2023	
खदान का प्रकार	रेत (गौण खनिज) खदान	प्रस्तावित
क्षेत्रफल एवं क्षमता	4.8 हेक्टेयर एवं 43,200 घनमीटर प्रतिवर्ष	
खसरा क्रमांक एवं नदी	325/1 एवं माण्ड नदी	

बैठक का विवरण	511वीं बैठक दिनांक 31/01/2024	प्रस्तुतीकरण हेतु सूचना दिनांक 22/01/2024
प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित प्रतिनिधि		श्रीमति बीजमोती राठिया, सरपंच उपस्थित हुई।
पूर्व में जारी ई.सी.	पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।	
ग्राम पंचायत एन.ओ.सी.	ग्राम पंचायत कुदमुरा दिनांक 03/05/2023	
उत्खनन योजना अनुमोदन	दिनांक 31/05/2023	
चिन्हांकित/ सीमांकित	दिनांक 30/05/2023	
500 मीटर	दिनांक 31/05/2023	अन्य खदानों की संख्या निरंक है।
200 मीटर	दिनांक 31/05/2023	प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
एल.ओ.आई.	एल.ओ.आई. धारक – सचिव/सरपंच, ग्राम पंचायत कुदमुरा दिनांक – 31/05/2023 वैधता अवधि – 1 वर्ष	
वन विभाग एन.ओ.सी.	वनमण्डलाधिकारी, कोरबा वनमण्डल, कोरबा द्वारा जारी दिनांक 18/05/2023	वन खंड कक्ष क्रमांक P-1139 से दूरी – 600 मीटर
महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी	आबादी ग्राम – कुदमुरा 1.3 कि.मी. स्कूल ग्राम – हाटी 4 कि.मी. अस्पताल – हाटी 4 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग – 37 कि.मी. राज्यमार्ग – 1.5 कि.मी.	नहर – 5 कि.मी. से अधिक तालाब – 700 मीटर
खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी	**खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई–** अधिकतम– 205 मीटर, न्यूनतम 172 मीटर **खनन स्थल की लंबाई–** अधिकतम– 685 मीटर, न्यूनतम 682 मीटर **खनन स्थल की चौड़ाई –** अधिकतम–86 मीटर, न्यूनतम 53.81 मीटर **खदान की नदी तट के किनारे से दूरी –** अधिकतम–30 मीटर, न्यूनतम 21 मीटर	
खदान स्थल पर रेत की मोटाई –	स्थल पर रेत की गहराई – 3.95 मीटर रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 1.5 मीटर खदान में माईनेबल रेत की मात्रा–43,200 घनमीटर खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी अनुसार – स्थल पर किये गये गढ्ढे (Pits) की संख्या – 5 रेत की उपलब्ध औसत गहराई 2.5 मीटर रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा	

	प्रस्तुत किया गया है।	
खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवल्स	ग्रिड बिन्दु – 25 मीटर X 25 मीटर लेवल्स (Levels) दिनांक 11/06/2023 खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है।	
वृक्षारोपण कार्य	कुल वृक्षारोपण– 1,200 नग नदी के तट पर – 800 नग पंहुच मार्ग के दोनों ओर – 400 नग ग्राम पंचायत कुदमुरा द्वारा सहमति प्राप्त भूमि (नदीतट का खसरा क्रमांक 317/1, 325/1 एवं पहुंचमार्ग का खसरा क्रमांक 314/1)	प्रस्तावित कार्य हेतु 5 वर्ष की राशि – 1,65,000 रूपये
परियोजना से संबंधित शपथ पत्र	1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण, सघन वृक्षारोपण एवं 90 प्रतिशत जीवन स्तर सुनिश्चित, छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् रोजगार, सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित कार्य एवं लीज क्षेत्र के बहार खनन नहीं किया जाएगा। 2. इन्फोर्समेंट एवं मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेंड माईनिंग 2020 के प्रावधानों का पालन किया जावेगा एवं अनुमोदित उत्खनन योजना में दिये गये माईनेबल रिर्जव का 60 प्रतिशत रिजर्व ही उत्खनन किया जावेगा। 3. खदान में उत्खनन के दौरान सस्टेनेवल सेंड माईनिंग मैनेजमेंट गाइडलाईन 2016 एवं इन्फोर्समेंट एवं मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेंड माईनिंग 2020 के प्रावधानों का पालन किया जाएगा। उपरोक्त सभी तथ्यों का पालन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized Undertaking) प्रस्तुत किया गया है।	परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्न शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किये गये है:– 1. परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है। 2. परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है। 3. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को Common Cause vs. Union of India Writ Petition (C) 114 of 2014 में दिए गए दिशा निर्देशों का मेरे द्वारा पालन किया जावेगा। 4. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को writ petition (S) Civil No.114 /2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा।
श्रेणी	बी–2	आवेदित खदान का क्षेत्रफल 4.8 हेक्टेयर है।

1. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
40	2%	0.8	Following activities at Nearby, **Village- Kudmura**	
			Pavitra Van Nirman	0.80
			Total	**0.80**

सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन निर्माण" के तहत् वृक्षारोपण (बरगद, पीपल, नीम, आंवला, जामुन, छीता आदि) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कुल 300 नग वृक्षारोपण हेतु पौधों के लिए राशि 15,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 22,000 रूपये, खाद के लिए राशि 1,500 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 9,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 47,500 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 48,000 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत कुदमुरा के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 1123/4, क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

2. सी.ई.आर. कार्य एवं नदी तट में वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं नदी तट में वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

3. रेत उत्खनन मैनुअल विधि से एवं भराई का कार्य लोडर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है। समिति का मत है कि लोडर जैसे यंत्र भारी वाहन की श्रेणी के है। अतः भराई का कार्य मैनुअल विधि से ही कराई जावें। भारी वाहनों के नदी में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 1.5 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनःभरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। माण्ड नदी छोटी नदी है तथा इसमें वर्षाकाल में सामान्यतः 1 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनःभराव होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–

1. परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनःभरण (Replenishment) बाबत् सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।

2. **लीज क्षेत्र की सतह का बेसलाईन डाटा –**

i. रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व उपरोक्तानुसार निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर नदी में रेत की सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे कर, उसके आंकड़ें तत्काल एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किये जायें।

ii. रेत खनन उपरांत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर/नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर किया जायेगा।

iii. इसी प्रकार पोस्ट–मानसून (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा।

iv. रेत सतह के पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) के मापन का कार्य आगामी 6 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। प्री–मानसून के आंकड़ें अगस्त 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 एवं पोस्ट–मानसून के आंकड़ें दिसम्बर 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे।

3. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से मेसर्स कुदमुरा–1 सेण्ड क्वॉरी (सचिव/सरपंच, ग्राम पंचायत कुदमुरा) को ग्राम–कुदमुरा, तहसील–भैसमा, जिला–कोरबा, खसरा क्रमांक 325/1, कुल लीज क्षेत्रफल–4.8 हेक्टेयर के कुल 60 प्रतिशत क्षेत्रफल में ही रेत उत्खनन अधिकतम 1 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 28,800 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से पांच वर्ष तक की अवधि हेतु **परिशिष्ट–04** में वर्णित शर्तों के अधीन दिये जाने की अनुशंसा की गई। रेत की खुदाई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। रिवर बेड (River Bed) में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गढ्ढे (Excavation pits) से लोडिंग प्वाईंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

4. सस्टेनेबल सेण्ड माईनिंग मैनेजमेंट गाईडलाईन्स, 2016 (Sustainable Sand Mining Management Guidelines 2016) एवं ईन्फोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेण्ड माईनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के अनुसार कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.) छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

8. मेसर्स कुदमुरा–2 सेण्ड क्वारी (सचिव/सरपंच, ग्राम पंचायत कुदमुरा), ग्राम–कुदमुरा, तहसील–भैसमा, जिला–कोरबा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2908)

विषय वस्तु	आवेदित प्रकरण से संबंधित विवरण	समिति द्वारा नोट किया गया कि
ऑनलाईन आवेदन	ई.सी.– 454573 एवं 06/12/2023	
खदान का प्रकार	रेत (गौण खनिज) खदान	प्रस्तावित
क्षेत्रफल एवं क्षमता	4.5 हेक्टेयर एवं 40,500 घनमीटर प्रतिवर्ष	
खसरा क्रमांक एवं नदी	325/1 एवं माण्ड नदी	
बैठक का विवरण	511वीं बैठक दिनांक 31/01/2024	प्रस्तुतीकरण हेतु सूचना दिनांक

		22/01/2024
प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित प्रतिनिधि		श्रीमति बीजमोती राठिया, सरपंच उपस्थित हुई।
पूर्व में जारी ई.सी.	पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।	
ग्राम पंचायत एन.ओ.सी.	ग्राम पंचायत कुदमुरा दिनांक 03/05/2023	
उत्खनन योजना अनुमोदन	दिनांक 31/05/2023	
चिन्हांकित/ सीमांकित	दिनांक 30/05/2023	
500 मीटर	दिनांक 31/05/2023	अन्य खदानों की संख्या निरंक है।
200 मीटर	दिनांक 31/05/2023	प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
एल.ओ.आई.	एल.ओ.आई. धारक – सचिव/सरपंच, ग्राम पंचायत कुदमुरा दिनांक – 31/05/2023 वैधता अवधि – 1 वर्ष	
वन विभाग एन.ओ.सी.	वनमण्डलाधिकारी, कोरबा वनमण्डल कोरबा द्वारा जारी दिनांक 28/05/2023	वन खण्ड कक्ष क्रमांक P-1139 से दूरी – 100 मीटर
महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी	आबादी ग्राम – कुदमुरा 1.3 कि.मी. स्कूल ग्राम – हाटी 2.5 कि.मी. अस्पताल – हाटी 2.5 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग – 37 कि.मी. राज्यमार्ग – 530 मीटर	नहर – 5 कि.मी. से अधिक तालाब – 850 मीटर
खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी	**खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई–** अधिकतम 333 मीटर, न्यूनतम 271 मीटर **खनन स्थल की लंबाई–** अधिकतम – 515 मीटर, न्यूनतम 462.7 **खनन स्थल की चौड़ाई –** अधिकतम 110 मीटर, न्यूनतम 40 मीटर **खदान की नदी तट के किनारे से दूरी –** अधिकतम 65 मीटर, न्यूनतम 28.3 मीटर	
खदान स्थल पर रेत की मोटाई –	स्थल पर रेत की गहराई – 3.88 मीटर रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 1.5 मीटर खदान में माईनेबल रेत की मात्रा–40,500 घनमीटर खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी अनुसार – स्थल पर किये गये **गड्ढे** (Pits) की संख्या – 5 रेत की उपलब्ध **औसत गहराई 3.8 मीटर** रेत की वास्तविक **गहराई हेतु पंचनामा** प्रस्तुत किया गया है।	

खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवल्स	ग्रिड बिन्दु – 25 मीटर X 25 मीटर लेवल्स (Levels) दिनांक 11/06/2023 खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है।	
वृक्षारोपण कार्य	कुल वृक्षारोपण– 1,125 नग नदी के तट पर – 800 नग पंहुच मार्ग के दोनों ओर – 325 नग ग्राम पंचायत कुदमुरा द्वारा सहमति प्राप्त भूमि (नदीतट का खसरा क्रमांक 317/1, 325/1 एवं पहुंचमार्ग का खसरा क्रमांक 326/1)	प्रस्तावित कार्य हेतु 5 वर्ष की राशि – 1,65,000 रूपये
परियोजना से संबंधित शपथ पत्र	1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण, सघन वृक्षारोपण एवं 90 प्रतिशत जीवन स्तर सुनिश्चित, छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् रोजगार, सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित कार्य एवं लीज क्षेत्र के बहार खनन नहीं किया जाएगा। 2. इन्फोर्समेंट एवं मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेंड माईनिंग 2020 के प्रावधानों का पालन किया जावेगा एवं अनुमोदित उत्खनन योजना में दिये गये माईनेबल रिर्जव का 60 प्रतिशत रिजर्व ही उत्खनन किया जावेगा। 3. खदान में उत्खनन के दौरान सस्टेनेवल सेंड माईनिंग मैनेजमेंट गाइडलाईन 2016 एवं इन्फोर्समेंट एवं मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेंड माईनिंग 2020 के प्रावधानों का पालन किया जाएगा। उपरोक्त सभी तथ्यों का पालन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized Undertaking) प्रस्तुत किया गया है।	परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्न शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किये गये है:– 1. परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है। 2. परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है। 3. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को Common Cause vs. Union of India Writ Petition (C) 114 of 2014 में दिए गए दिशा निर्देशों का मेरे द्वारा पालन किया जावेगा। 4. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को writ petition (S) Civil No.114 /2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा।
श्रेणी	बी–2	आवेदित खदान का क्षेत्रफल 4.5 हेक्टेयर है।

1. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (In Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
38.125	2%	0.763	Following activities at Nearby, Village- Kudmura	
			Pavitra Van Nirman	0.95
			Total	0.95

सी.ई.आर. के अंतर्गत ग्राम–कुदमुरा में वृक्षारोपण (बरगद, पीपल, नीम, आंवला, जामुन, छीता आदि) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कुल 300 नग वृक्षारोपण हेतु पौधों के लिए राशि 15,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 22,000 रूपये, खाद के लिए राशि 1,500 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 9,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 47,500 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 48,000 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत कुदमुरा के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 1123/4, क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर में) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

2. समिति द्वारा पाया गया कि वनमण्डलाधिकारी, कोरबा वनमण्डल कोरबा द्वारा दिनांक 28/05/2023 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार वन खण्ड कक्ष क्रमांक P-1139 से आवेदित क्षेत्र की दूरी 100 मीटर है।

उपरोक्त के संबंध में समिति का मत है कि वन क्षेत्र की सीमा के 250 मीटर की दूरी को गैर माईनिंग क्षेत्र छोड़ते हुये माईनिंग प्लान को संशोधित कर खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से वन क्षेत्र की सीमा के 250 मीटर की दूरी को गैर माईनिंग क्षेत्र छोड़ते हुये माईनिंग प्लान को संशोधित कर खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

9. मेसर्स गुमड़ा (डी–4) सेण्ड क्वारी (सरपंच/सचिव, ग्राम पंचायत गुमड़ा), ग्राम–गुमड़ा, तहसील–गीदम, जिला–साउथ बस्तर दंतेवाड़ा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2906)

विषय वस्तु	आवेदित प्रकरण से संबंधित विवरण	समिति द्वारा नोट किया गया कि
ऑनलाईन आवेदन	ई.सी.– 454383 एवं 06/12/2023	
खदान का प्रकार	रेत (गौण खनिज) खदान	प्रस्तावित
क्षेत्रफल एवं क्षमता	5 हेक्टेयर एवं 30,000 घनमीटर प्रतिवर्ष	
खसरा क्रमांक एवं नदी	1224(पार्ट) एवं डंकनी नदी	
बैठक का विवरण	511वीं बैठक दिनांक 31/01/2024	प्रस्तुतीकरण हेतु सूचना दिनांक 23/01/2024
प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित प्रतिनिधि		श्री जगमोहन सोनी, सरपंच उपस्थित हुये।

पूर्व में जारी ई.सी.	पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।	
ग्राम पंचायत एन.ओ.सी.	ग्राम पंचायत गुमड़ा दिनांक 15/05/2023	
उत्खनन योजना अनुमोदन	दिनांक 31/10/2023	
चिन्हांकित/ सीमांकित	दिनांक 06/10/2023	
500 मीटर	दिनांक 24/01/2024	अन्य खदानों की संख्या निरंक है।
200 मीटर	दिनांक 24/01/2024	प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
एल.ओ.आई.	एल.ओ.आई. धारक – सरपंच, ग्राम पंचायत गुमड़ा दिनांक – 06/10/2023 वैधता अवधि – 1 वर्ष	
वन विभाग एन.ओ.सी.	वनमण्डलाधिकारी, दन्तेवाड़ा वनमण्डल, दन्तेवाड़ा द्वारा जारी दिनांक 27/07/2023	खदान से 5 कि.मी. की सीमा के भीतर कोई वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी	आबादी ग्राम – गुमड़ा 1.7 कि.मी. स्कूल ग्राम – गुमड़ा 1.8 कि.मी. अस्पताल – दन्तेवाड़ा 9.1 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग – 10 कि.मी.	
खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी	**खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई–** अधिकतम – 125 मीटर, न्यूनतम 63 मीटर **खनन स्थल की लंबाई–** अधिकतम – 1,038 मीटर, न्यूनतम 1,026 मीटर **खनन स्थल की चौड़ाई –** अधिकतम – 60 मीटर, न्यूनतम 36 मीटर **खदान की नदी तट के किनारे से दूरी –** अधिकतम – 79 मीटर, न्यूनतम 10 मीटर	समिति द्वारा पाया गया कि जिस खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई 125 मीटर है, उस खनन स्थल पर नदी तट के किनारे से दूरी न्यूनतम 79 मीटर है तथा खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई 63 मीटर है, उस खनन स्थल पर नदी तट के किनारे से दूरी न्यूनतम 10 मीटर है। अतः गैर माईनिंग क्षेत्र की आवश्यकता नहीं है।
खदान स्थल पर रेत की मोटाई –	स्थल पर रेत की गहराई – 2.5 मीटर रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 1 मीटर खदान में माईनेबल रेत की मात्रा–30,000 घनमीटर खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी अनुसार – स्थल पर किये गये गढ्ढे (Pits) की संख्या – 5 रेत की उपलब्ध औसत गहराई 2.5 मीटर रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा प्रस्तुत किया गया है।	

खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवल्स	ग्रिड बिन्दु – 25 मीटर X 25 मीटर लेवल्स (Levels) दिनांक 23/12/2023 खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है।	
वृक्षारोपण कार्य	नदी के तट पर – 346 नग वृक्षारोपण किया जाना है।	प्रस्तावित कार्य हेतु 5 वर्ष की राशि – 3,94,426 रूपये ग्राम पंचायत का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
परियोजना से संबंधित शपथ पत्र	1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण, सघन वृक्षारोपण एवं 90 प्रतिशत जीवन स्तर सुनिश्चित, छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् रोजगार, सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित कार्य एवं संबंधित शाखा से कार्य पूर्ण प्रतिवेदन जिओटैग फोटोग्राफ सहित जानकारी अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करने बाबत्, प्राकृतिक जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं सवर्धन हेतु, पर्यावरण स्वीकृति में दिये गए शर्तों का पालन किया जाऐगा एवं छः माही पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावेगा, धूल के निराकरण हेतु टैंकर द्वारा जल छिड़काव करना, खनिज का परिवहन तारपोलिन से ढ़ककर करने, वाहनों का परिवहन आबादी क्षेत्र से न करने एवं वर्षाऋतु के दौरान रेत उत्खनन का कार्य नहीं किया जाएगा। 2. इन्फोर्समेंट एवं मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेंड माईनिंग 2020 के प्रावधानों का पालन किया जावेगा एवं अनुमोदित उत्खनन योजना में दिये गये माईनेबल रिर्जव का 60 प्रतिशत रिजर्व ही उत्खनन किया जावेगा। 3. खदान में उत्खनन के दौरान सस्टेनेवल सेंड माईनिंग मैनेजमेंट गाइडलाईन 2016 एवं इन्फोर्समेंट एवं मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेंड माईनिंग 2020 के प्रावधानों का पालन किया जाएगा। उपरोक्त सभी तथ्यों का पालन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized Undertaking) प्रस्तुत किया गया है।	परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्न शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किये गये है:– 1. परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है। 2. परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है। 3. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को Common Cause vs. Union of India Writ Petition (C) 114 of 2014 में दिए गए दिशा निर्देशों का मेरे द्वारा पालन किया जावेगा। 4. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को writ petition (S) Civil No.114 /2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा।
श्रेणी	बी–2	आवेदित खदान का क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर है।

1. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (In Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
16	2%	0.32	Following activities at Nearby, **Village- Gumda**	
			Plantation in Village	5.06
			Total	**5.06**

2. सी.ई.आर. के अंतर्गत वृक्षारोपण (नीम, पीपल, करंज, कदम, जामुन, अमलतास, अर्जुन आदि) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कुल 405 नग वृक्षारोपण हेतु पौधों के लिए राशि 40,780 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 39,200 रूपये, खाद के लिए राशि 3,060 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 72,000 रूपये एवं अन्य कार्यो हेतु राशि 10,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 1,65,040 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 3,41,784 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत बड़े तुमनार के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 690, क्षेत्रफल 15.91 हेक्टेयर में से 0.16 हेक्टेयर) संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।
3. सी.ई.आर. कार्य एवं नदी तट में वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं नदी तट में वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।
4. रेत उत्खनन मैनुअल विधि से एवं भराई का कार्य लोडर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है। समिति का मत है कि लोडर जैसे यंत्र भारी वाहन की श्रेणी के है। अतः भराई का कार्य मैनुअल विधि से ही कराई जावें। भारी वाहनों के नदी में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 1 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनःभरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। डंकनी नदी छोटी नदी है तथा इसमें वर्षाकाल में सामान्यतः 1 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनःभराव होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनःभरण (Replenishment) बाबत् सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।

2. लीज क्षेत्र की सतह का बेसलाईन डाटा –

i. रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व उपरोक्तानुसार निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर नदी में रेत की सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे कर, उसके आंकड़ें तत्काल एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किये जायें।

ii. रेत खनन उपरांत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर/नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर किया जायेगा।

iii. इसी प्रकार पोस्ट–मानसून (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा।

iv. रेत सतह के पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) के मापन का कार्य आगामी 6 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। प्री–मानसून के आंकड़ें अगस्त 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 एवं पोस्ट–मानसून के आंकड़ें दिसम्बर 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे।

ग्राम पंचायत के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक एवं क्षेत्रफल सहित) नदी तट पर वृक्षारोपण किये जाने बाबत् ग्राम पंचायत के सहमति पत्र को एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की सशर्त अनुशंसा की जाती है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से मेसर्स गुमड़ा (डी–4) सेण्ड क्वारी (सरपंच/सचिव, ग्राम पंचायत गुमड़ा) को ग्राम–गुमड़ा, तहसील–गीदम, जिला–साउथ बस्तर दंतेवाड़ा के पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 1224, कुल लीज क्षेत्रफल–5 हेक्टेयर के कुल 60 प्रतिशत क्षेत्रफल में ही रेत उत्खनन अधिकतम 1 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 30,000 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से पांच वर्ष तक की अवधि हेतु **परिशिष्ट–05** में वर्णित शर्तों के अधीन दिये जाने की अनुशंसा की गई। रेत की खुदाई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। रिवर बेड (River Bed) में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गढ्ढे (Excavation pits) से लोडिंग प्वाईंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

3. सस्टेनेबल सेण्ड माईनिंग मैनेजमेंट गाईडलाईन्स, 2016 (Sustainable Sand Mining Management Guidelines 2016) एवं ईन्फोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेण्ड माईनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के अनुसार कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.) छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

10. मेसर्स चिखली सेण्ड क्वारी (प्रो.– श्री आदित्य कुमार वर्मा), ग्राम–चिखली, तहसील–आरंग, जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2911)

विषय वस्तु	आवेदित प्रकरण से संबंधित विवरण	समिति द्वारा नोट किया गया कि
ऑनलाईन आवेदन	ई.सी.– 453470 एवं 06/12/2023	
खदान का प्रकार	रेत (गौण खनिज) खदान	प्रस्तावित
क्षेत्रफल एवं क्षमता	4.95 हेक्टेयर एवं 89,100 घनमीटर प्रतिवर्ष	
खसरा क्रमांक एवं नदी	1127(पार्ट) एवं महानदी	
बैठक का विवरण	511वीं बैठक दिनांक 31/01/2024	प्रस्तुतीकरण हेतु सूचना दिनांक 23/01/2024
प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित प्रतिनिधि		श्री अभिषेक यादव, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुये। अधिकृत प्रतिनिधि का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
पूर्व में जारी ई.सी.	पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।	
ग्राम पंचायत एन.ओ.सी.	ग्राम पंचायत चिखली दिनांक 02/12/2013	
उत्खनन योजना अनुमोदन	दिनांक 01/12/2023	
चिन्हांकित/ सीमांकित	दिनांक 04/12/2023	
500 मीटर	दिनांक 04/12/2023	अन्य खदानों की संख्या निरंक है।
200 मीटर	दिनांक 04/12/2023	प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
एल.ओ.आई.	एल.ओ.आई. धारक – श्री आदित्य कुमार वर्मा दिनांक – 04/10/2023 वैधता अवधि – 1 वर्ष	
वन विभाग एन.ओ.सी.	वनमण्डलाधिकारी, रायपुर वनमण्डल रायपुर द्वारा जारी दिनांक 07/08/2023	वन कक्ष क्रमांक 1 से दूरी – 500 मीटर
महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी	आबादी ग्राम – चिखली 1.65 कि.मी. स्कूल ग्राम – चिखली 2.8 कि.मी. अस्पताल – पलारी 18.9 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग – 16.55 कि.मी. राज्यमार्ग – 15 कि.मी.	तालाब – 1.9 कि.मी. सिंचाई नहर – 1.35 कि.मी. नाला – 1.35 कि.मी. एनिकट – 10.10 कि.मी. रोड ब्रिज – 14.7 कि.मी.
खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी	**खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई–** अधिकतम 1010 मीटर, न्यूनतम 925 मीटर **खनन स्थल की लंबाई–** अधिकतम – 192 मीटर, न्यूनतम 177 **खनन स्थल की चौड़ाई –** अधिकतम 273 मीटर, न्यूनतम 263 मीटर **खदान की नदी तट के किनारे से दूरी –** अधिकतम 115 मीटर, न्यूनतम 105 मीटर	

खदान स्थल पर रेत की मोटाई –	स्थल पर रेत की गहराई – 5.1 मीटर रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 3 मीटर खदान में माईनेबल रेत की मात्रा–89,100 घनमीटर खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी अनुसार – स्थल पर किये गये गढ्ढे (Pits) की संख्या– 5 रेत की उपलब्ध औसत गहराई 5.25 मीटर रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा प्रस्तुत किया गया है।	
खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवल्स –	ग्रिड बिन्दु – 25 मीटर X 25 मीटर लेवल्स (Levels) दिनांक 12/06/2023 खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है।	
वृक्षारोपण कार्य	नदी के तट पर वृक्षारोपण – 1,000 नग किया जाना है। ग्राम पंचायत चिखली द्वारा सहमति प्राप्त भूमि (खसरा क्रमांक 1128 एवं क्षेत्रफल 0.4 हेक्टेयर)	प्रस्तावित कार्य हेतु 5 वर्ष की राशि – 15,17,375 रूपये
परियोजना से संबंधित शपथ पत्र	1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण, सघन वृक्षारोपण एवं 90 प्रतिशत जीवन स्तर सुनिश्चित, छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् रोजगार, सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित कार्य एवं संबंधित शाखा से कार्य पूर्ण प्रतिवेदन जिओटैग फोटोग्राफ सहित जानकारी अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करने बाबत्, प्राकृतिक जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं सवर्धन हेतु, पर्यावरण स्वीकृति में दिये गए शर्तों का पालन किया जाऐगा एवं छः माही पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावेगा, वर्षाऋतु के दौरान रेत उत्खनन का कार्य नहीं किया जाएगा। 2. इन्फोर्समेंट एवं मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेंड माईनिंग 2020 के प्रावधानों का पालन किया जावेगा एवं अनुमोदित उत्खनन योजना में दिये गये माईनेबल रिर्जव का 60 प्रतिशत रिजर्व ही उत्खनन किया जावेगा। 3. खदान में उत्खनन के दौरान सस्टेनेवल सेंड माईनिंग मैनेजमेंट गाइडलाईन	परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्न शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किये गये है:– 1. परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है। 2. परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है। 3. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को Common Cause vs. Union of India Writ Petition (C) 114 of 2014 में दिए गए दिशा निर्देशों का मेरे द्वारा पालन किया जावेगा। 4. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 09/01/2020 को writ petition

	2016 एवं इन्फोर्समेंट एवं मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेंड माईनिंग 2020 के प्रावधानों का पालन किया जाएगा। उपरोक्त सभी तथ्यों का पालन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized Undertaking) प्रस्तुत किया गया है।	(S) Civil No.114 /2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा।
श्रेणी	बी–2	आवेदित खदान का क्षेत्रफल 4.95 हेक्टेयर है।

1. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
44.80	2%	0.896	Following activities at Nearby, **Village- Chikhali**	
			Plantation around village Pond	0.93
			Total	**0.93**

2. सी.ई.आर. के अंतर्गत तालाब के चारों ओर वृक्षारोपण (आम की विभिन्न प्रजातियां, कटहल, जामुन आदि) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कुल 60 नग पौधों के लिए राशि राशि 6,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 9,000 रूपये, खाद के लिए राशि 4,500 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 10,000 रूपये एवं अन्य कार्यो हेतु राशि 5,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 34,500 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 58,000 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत चिखली के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 565, क्षेत्रफल 1.72 हेक्टेयर में) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

3. सी.ई.आर. कार्य एवं नदी तट में वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं नदी तट में वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

4. रेत उत्खनन मैनुअल विधि से एवं भराई का कार्य लोडर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है। समिति का मत है कि लोडर जैसे यंत्र भारी वाहन की श्रेणी के है। अतः भराई का कार्य मैनुअल विधि से ही कराई जावें। भारी वाहनों के नदी में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 3 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनःभरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया

है। महानदी बड़ी नदी है तथा इसमें वर्षाकाल में सामान्यतः 1.5 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनःभराव होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनःभरण (Replenishment) बाबत् सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।

2. **लीज क्षेत्र की सतह का बेसलाईन डाटा –**

   i. रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व उपरोक्तानुसार निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर नदी में रेत की सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे कर, उसके आंकड़ें तत्काल एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किये जायें।

   ii. रेत खनन उपरांत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर/नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर किया जायेगा।

   iii. इसी प्रकार पोस्ट–मानसून (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा।

   iv. रेत सतह के पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) के मापन का कार्य आगामी 6 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। प्री–मानसून के आंकड़ें अगस्त 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 एवं पोस्ट–मानसून के आंकड़ें दिसम्बर 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे।

3. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से मेसर्स चिखली सेण्ड क्वारी (प्रो.– श्री आदित्य कुमार वर्मा) को ग्राम–चिखली, तहसील–आरंग, जिला–रायपुर के पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 1127, कुल लीज क्षेत्रफल–4.95 हेक्टेयर के कुल 60 प्रतिशत क्षेत्रफल में ही रेत उत्खनन अधिकतम 1.5 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 44,550 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से पांच वर्ष तक की अवधि हेतु **परिशिष्ट–08** में वर्णित शर्तों के अधीन दिये जाने की अनुशंसा की गई। रेत की खुदाई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। रिवर बेड (River Bed) में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गढ्ढे (Excavation pits) से लोडिंग प्वाईंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

4. सस्टेनेबल सेण्ड माईनिंग मैनेजमेंट गाईडलाईन्स, 2016 (Sustainable Sand Mining Management Guidelines 2016) एवं ईन्फोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेण्ड माईनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के अनुसार कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.) छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

11. मेसर्स साउथ इस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड (नवापारा अण्डरग्राउण्ड कोल माईन), भटगांव क्षेत्र, ग्राम–लटोरी, अनुजनगर, गजाधरपुर एवं महेशपुर, तहसील–लटोरी, जिला–सूरजपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2924)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ सीएमआईएन/ 452597/ 2023, दिनांक 08/12/2023 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु ऑनलाईन आवेदन किया गया।

प्रस्ताव का विवरण – यह क्षमता विस्तार का प्रकरण है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्षमता विस्तार के तहत् भटगांव क्षेत्र, ग्राम–लटोरी, अनुजनगर, गजाधरपुर एवं महेशपुर, तहसील–लटोरी, जिला–सूरजपुर स्थित कुल क्षेत्रफल–442.14 हेक्टेयर में अण्डरग्राउण्ड कोल माईन क्षमता–0.18 मिलियन टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 0.36 मिलियन टन प्रतिवर्ष करने के टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/01/2024 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 511वीं बैठक दिनांक 31/01/2024:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री प्रदीप कुमार, एरिया जनरल मैनेजर एवं पर्यावरण सलाहकार के रूप में मेसर्स सेन्ट्रल माईन प्लानिंग एंड डिजाईन इन्सटिट्यूट लिमिटेड, रांची की ओर से श्री संदीप मरकाम, डी.जी.एम. उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का विवरण** – पूर्व में भारत सरकार, पर्यावरण और वन मंत्रालय, नई दिल्ली के ज्ञापन क्रमांक J-11015/3/2001-IA.II (M), दिनांक 07/01/2002 द्वारा कुल क्षेत्रफल–442.14 हेक्टेयर में अण्डरग्राउण्ड कोल माईन क्षमता–0.18 मिलियन टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई है।

2. विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:–

वर्ष	वास्तविक उत्पादन (घनमीटर)	वर्ष	वास्तविक उत्पादन (घनमीटर)
2006–07	0.010	2015–16	0.105
2007–08	0.063	2016–17	0.123
2008–09	0.141	2017–18	0.125
2009–10	0.207	2018–19	0.132
2010–11	0.236	2019–20	0.153
2011–12	0.247	2020–21	0.098
2012–13	0.255	2021–22	0.104
2013–14	0.211	2022–23	0.076
2014–15	0.176		

समिति द्वारा पाया गया कि प्रस्तुत उत्पादन आंकड़ों में परियोजना प्रस्तावक द्वारा वर्ष 2009–10, वर्ष 2010–11, वर्ष 2011–12, वर्ष 2012–13 एवं वर्ष 2013–14 में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति से अधिक का उत्खनन किये जाने के कारण उल्लंघन की श्रेणी का है। भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 07/07/2021

एवं 28/01/2022 के माध्यम से उल्लंघन की प्रकरण हेतु एस.ओ.पी. तैयार किया गया है। माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (एस) (सिविल) नम्बर (एस) 1394/2023 दिनांक 02/01/2024 द्वारा निम्न आदेश जारी किया गया है:–

"Stay of operation of the Office Memoranda dated 7th July, 2021 and 28th January 2022 issued by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change."

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में समिति का मत है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (एस) (सिविल) नम्बर (एस) 1394/2023 दिनांक 02/01/2024 के पालनार्थ प्रकरण लंबित रखा जाएगा।

3. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन हेतु एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में आवेदन किया गया है, जो प्रक्रियाधीन है। समिति का मत है कि एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

4. **जल एवं वायु सम्मति** – छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा कोल माईन क्षमता 0.18 मिलियन टन प्रतिवर्ष हेतु जल एवं वायु सम्मति नवीनीकरण दिनांक 07/11/2022 को जारी की गई है, जो कि दिनांक 31/12/2023 तक वैध थी। समिति का मत है कि जल एवं वायु सम्मति नवीनीकरण की वैध प्रति एवं पालन प्रतिवेदन फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

5. **उत्खनन योजना** – माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो कंपनी सेकेट्री, साउथ इस्टर्न कोल फिल्ड्स लिमिटेड के रिफरेन्स नं. एसईसीएल/बीएसपी/सीएडी/207वीं सीओएफडी ईएक्सटी/23–24/1159, दिनांक 23/01/2024 द्वारा अनुमोदित है।

6. **भूमि संबंधी विवरण** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि कुल लीज क्षेत्रफल 442.14 हेक्टेयर क्षेत्र में से 346.47 हेक्टेयर कृषि भूमि, 71.98 हेक्टेयर वन भूमि एवं 23.69 हेक्टेयर शासकीय भूमि है।

7. भारत सरकार, पर्यावरण और वन मंत्रालय (फॉरेस्ट क्लीयरेन्स डिवीजन), नई दिल्ली के ज्ञापन क्रमांक 46/99–FC दिनांक 25/01/2001 के माध्यम से 71.98 हेक्टेयर क्षेत्र हेतु स्टेज–II फारेस्ट क्लीयरेंस 30 वर्ष के लिए स्वीकृत की गई है।

8. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – वर्तमान में माईनिंग प्लान अनुसार जियोलॉजिकल रिजर्व 23.984 मिलियन टन एवं माईनेबल रिजर्व 4.69 मिलियन टन है। अण्डर ग्राउण्ड सेमी मेकैनाईज्ड विधि एवं पिलर विधि से उत्खनन किया जाता है। कन्ट्रोल ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	उत्खनन (मिलियन टन)	वर्ष	उत्खनन (मिलियन टन)
2023–24	0.12	2031–32	0.36
2024–25	0.18	2032–33	0.36
2025–26	0.30	2031–34	0.36
2026–27	0.36	2034–35	0.36
2027–28	0.36	2035–36	0.36
2028–29	0.36	2036–37	0.36
2029–30	0.36	2037–38	0.36
2030–31	0.36		

9. जल **आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5,880 घनमीटर प्रतिदिन (फ्रेश वॉटर 5,837 घनमीटर प्रतिदिन एवं सलाईन वॉटर 43 घनमीटर प्रतिदिन) होगी। वर्तमान में जल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से की जाती है। जल की आपूर्ति हेतु 5,837 घनमीटर प्रतिदिन हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसकी वैधता दिनांक 04/05/2022 तक थी। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि आगामी अवधि हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी में आवेदन किया गया है। समिति का मत है कि जल की आपूर्ति हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की वैध प्रति फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

10. **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु खदान से लगी हुई कॉलोनी ऊर्जा नगर, शक्ति नगर, भटगांव नगर के कॉलोनी में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित है। औद्योगिक दूषित जल (माईन वॉटर) के लिए 9 अण्डर ग्राउण्ड सम्स क्षमता 95,00,000 गैलन निर्मित है। सम्स में एकत्रित जल को पम्प किया जाकर 05 नग प्राईमरी सेटलिंग टैंक में रखा जाकर उपचार किया जाता है। समिति का मत है कि ई.टी.पी. के संबंध में जानकारी फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

11. **वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – अण्डर ग्राउण्ड कोल को कन्व्हेयर बेल्ट के माध्यम से भण्डारण क्षेत्र तक लाया जाता है। बेल्ट कन्व्हेयर में जल छिड़काव की व्यवस्था है। साथ ही लोडिंग, अनलोडिंग एवं धूल उत्सर्जन बिन्दुओं में जल छिड़काव की व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त आंतरिक मार्गों में प्रत्येक 200 मीटर की दूरी में 21 नग वॉटर स्प्रींकलर्स स्थापित है। आंतरिक मार्गों का पक्कीकरण किया गया है।

12. **लेण्ड एरिया स्टेटमेंट** –

Land Use

S.No.	LAND USE	Area under Surface Rights (ha)	Area under Mining Rights (ha)	Total Area (ha)
1.	Agriculture Land	5.32	341.15	346.47
2.	Forest Land		71.98	71.98
3.	Govt.	1.62	22.07	23.69
Total				**442.14**

Area Under Surface Rights

S.No.	Details	Area (ha)
Within Mine Take Area		
1.	Infrastructure	3.26
2.	Other (Specify) Explosive magzine, Mineral Storage	3.68
Sub Total		**6.94**
3.	Residental Buildings	-
4.	Roads	-
Total		**6.94**

Pre Mining Land Use Pattern

S.N.	Particulars	Forest Land	Tenancy Land	Govt. Land					Grand Total
				Graz-ing Land	Wast-e Land	Wate-r Bod-y	Othe-rs	Tot-al	
Within Mining Area									
1.	Mining take Area	71.98	341.15	-	-	-	22.07	-	435.20
2.	Infrastructure etc.	-	5.32	-	-	-	1.62	-	6.94
3.	Explosive Magzine	-	-	-	-	-	-	-	-
Total		-	-	-	-	-	-	-	-
Outside Mine Take Area									
4.	Area for Top Soil	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	External Dump	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Roads	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Residential Colony	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	R & R Site	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Nala Diversion, If Any	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Saftey Zone	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Land (In Hect.)		**71.98**	**346.47**				**23.69**		**442.14**

Post Mining Land Use Pattern

S.No.	Pattern Of Utilization	Area (ha)
1.	**Reclaimed exeternal and internal dumps**	**NA**
2.	**Green Belt**	**NA**
3.	**Final Void/ Water Body**	**NA**
4.	**Build up Area (Infrastructure etc)**	**6.94**
5.	**Mine Take Area**	**435.20**
	Total	**442.14**

13. वृक्षारोपण कार्य – समिति का मत है कि लीज क्षेत्र की सीमा के चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में वृक्षारोपण किया जाकर (पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं नाम) फोटोग्राफ्स को फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

14. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के संशोधित अधिसूचना क्रमांक का.आ. 1886(अ), दिनांक 20/04/2022 द्वारा कोयला खनन पट्टा क्षेत्र 500 हेक्टेयर से कम के कोयला खदानों को प्रवर्ग 'ख' में रखा गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से उपरोक्त माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन (एस) (सिविल) नम्बर (एस) 1394/2023 में पारित आदेश दिनांक 02/01/2024 का अवलोकन किया जाए तथा उल्लंघन के प्रकरण में भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देश एवं प्रचलित नियमों के अधीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

12. मेसर्स साउथ इस्टर्न कोल फील्डस् लिमिटेड (रानी अटारी अंडरग्राउण्ड कोल माईन), चिरमिरी क्षेत्र, ग्राम–रानी अटारी, तहसील–पसान, जिला–कोरबा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2967)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ सीएमआईएन/ 456204/ 2023, दिनांक 20/12/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु ऑनलाईन आवेदन किया गया।

प्रस्ताव का विवरण – यह क्षमता विस्तार का प्रकरण है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्षमता विस्तार के तहत् चिरमिरी क्षेत्र, ग्राम–रानी अटारी, तहसील–पसान, जिला–कोरबा स्थित कुल क्षेत्रफल–389.491 हेक्टेयर में अण्डरग्राउण्ड कोल माईन क्षमता–0.48 मिलियन टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 0.576 मिलियन टन प्रतिवर्ष (Stage–I: 20% Expansion) करने के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/01/2024 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 511वीं बैठक दिनांक 31/01/2024:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री नवीनत श्रीवास्तव, महाप्रबंधक, बी. हरि बाबू, मुख्य प्रबंधक एवं पर्यावरण सलाहकार के रूप में मेसर्स सेन्ट्रल माईन प्लानिंग एंड डिजाईन इन्सटिट्यूट लिमिटेड, रांची की ओर से श्री अभिषेक कुमार उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 11/04/2022 को जारी ऑफिस मेमोरेण्डम में उल्लेखित तथ्य निम्न है:–

   "Guidelines for granting Environmental Clearance (EC) under para 7 (II) (a) of EIA Notification, 2006, for expansion up to 50%, within the existing premises/mine lease area, without additional land acquisition"

   Project proponent shall apply in the requisite form on the PARIVESH Portal under para 7 (II) of EIA notification, 2006, along with EIA/EMP reports based on standard TORs and public consultation report, if applicable. The concerned EAC/SEAC shall appraise the project proposal and it may prescribe additional sector specific and/or other environmental sefeguards after due diligence, as required."

2. भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 11/04/2022 को जारी ऑफिस मेमोरेण्डम में उल्लेखित तथ्य निम्न है:—

"In order to avoid undue delay in obtaining requisite clearance and ensure that due environmental safeguards are in place, it is hereby clarified that the revised EIA/EMP report based on standard ToRs, may be prepared for a maximum of 50% expansion of the original EC capacity for which public hearing has been held, in order to avail the benefit of the above-said OM dated 11th April 2022. However, the EC shall be granted in phases of 20%, 40% and 50% capacity expansion, based on the above mentioned revised EIA/EMP report, subject to submission of Certified Compliance Reports for ECs granted at each stage."

3. **पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का विवरण** — पूर्व में भारत सरकार, पर्यावरण और वन मंत्रालय, नई दिल्ली के ज्ञापन दिनांक 08/04/2010 द्वारा कुल क्षेत्रफल— 389.491 हेक्टेयर में अण्डरग्राउण्ड कोल माईन क्षमता—0.48 मिलियन टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई है।

4. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन हेतु एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में आवेदन किया गया है, जो प्रक्रियाधीन है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा 15 फरवरी 2024 तक एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किये जाने बाबत् शपथ पत्र (undertaking) प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

5. **जल एवं वायु सम्मति** — छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा कोल माईन क्षमता 0.48 मिलियन टन प्रतिवर्ष हेतु जल एवं वायु सम्मति नवीनीकरण दिनांक 25/10/2023 को जारी की गई है, जो कि दिनांक 31/10/2024 तक वैध थी।

6. **उत्खनन योजना** — माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो कंपनी सेकेट्री, साउथ इस्टर्न कोल फिल्ड्स लिमिटेड के रिफरेन्स नं. एसईसीएल/बीएसपी/सीएडी/ 201वीं सीओएफडी ईएक्सटी/23—24/975, दिनांक 12/12/2023 द्वारा अनुमोदित है।

7. **जल आपूर्ति** — प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु आवश्यक जल की मात्रा 614 घनमीटर प्रतिदिन (खनन हेतु 270 घनमीटर प्रतिदिन, डस्ट सप्रेसन में 137 घनमीटर प्रतिदिन, फायर सर्विस में 46 घनमीटर प्रतिदिन, घरेलू में 116 घनमीटर प्रतिदिन, अन्य में 45 घनमीटर प्रतिदिन) होगी। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि जल की उपयोगिता हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड अथॉरिटी में आवेदन किया गया है, जो प्रक्रियाधीन है।

8. **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** — घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु खदान क्षेत्र में सेप्टिक टैंक एवं सोक पिट स्थापित है। औद्योगिक दूषित जल (माईन वॉटर) क्षमता 5,000 गैलन/घंटा के उपचार हेतु ई.टी.पी. की स्थापित किया जाना बताया गया है। वार्क शॉप से उत्पन्न दूषित जल के उपचार हेतु ऑयल एवं ग्रीस ट्रैप स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

9. **वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – अण्डर ग्राउण्ड कोल को कन्व्हेयर बेल्ट के माध्यम से भण्डारण क्षेत्र तक लाया जाता है। बेल्ट कन्व्हेयर में जल छिड़काव की व्यवस्था है। साथ ही लोडिंग, अनलोडिंग एवं धूल उत्सर्जन बिन्दुओं में जल छिड़काव की व्यवस्था है। भण्डारण क्षेत्र एवं रेल्वे साईडिंग में मिस्ट स्प्रेयर्स स्थापित है। 02 नग मोबाईल कैन्नस की व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त आंतरिक मार्गो के लिए रोड स्वीपर मशीन की व्यवस्था होना बताया गया है। आंतरिक मार्गों का पक्कीकरण किया गया है।

10. कोयला मंत्रालय, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 19/03/1998 एवं 07/01/1999 द्वारा कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 के प्रावधानों के तहत् मेसर्स साउथ इस्टर्न कोल फील्डस् लिमिटेड को दिया गया था।

11. **भूमि संबंधी विवरण** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि कुल लीज क्षेत्रफल 389.491 हेक्टेयर क्षेत्र में से 361.491 हेक्टेयर वन भूमि, 28 हेक्टेयर प्राईवेट भूमि है।

12. भारत सरकार, पर्यावरण और वन मंत्रालय (फॉरेस्ट क्लीयरेन्स डिवीजन), नई दिल्ली के ज्ञापन दिनांक 23/02/2009 के माध्यम से 1607.05 हेक्टेयर (अण्डर ग्राउण्ड) एवं 20.833 हेक्टेयर भूमि (Surface rights) हेतु स्टेज–II फारेस्ट क्लीयरेंस 20 वर्ष के लिए स्वीकृत की गई है।

13. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी कटघोरा वन मण्डल कटघोरा के ज्ञापन दिनांक 01/12/2023 के माध्यम से खदान क्षेत्र के आस–पास हाथी प्रवास पर जागृति एवं नियत्रंण हेतु रूपये 19,00,000/– जमा किये जाने हेतु लेख किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त राशि जमा किये जाने की कार्यवाही किया जाना बताया गया।

14. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – वर्तमान में माईनिंग प्लान अनुसार जियोलॉजिकल रिजर्व 46.73 मिलियन टन एवं माईनेबल रिजर्व 5.733 मिलियन टन है। अण्डर ग्राउण्ड सेमी मेकैनाईज्ड विधि एवं पिलर विधि से उत्खनन किया जाता है। खदान की संभावित आयु 9 वर्ष है। ब्लास्टिंग किया जाना प्रस्तावित नहीं है। Low Height continuous miner with shuttle car combination के माध्यम से उत्खनन किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (मिलियन टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (मिलियन टन)
प्रथम	0.576	षष्टम	0.72
द्वितीय	0.672	सप्तम	0.72
तृतीय	0.72	अष्टम	0.72
चतुर्थ	0.72	नवम	0.165
पंचम	0.72		

15. ई.आई.ए. एवं ई.एम.पी. (Envrionmental Impact Assessment & Environmental Management Plan) रिपोर्ट सेन्ट्रल माईन प्लानिंग एण्ड डिजाईन इंस्टिट्यूट लिमिटेड, रांची द्वारा तैयार किया गया है, जिसकी वैधता दिनांक 22/08/2024 तक है।

16. प्रस्तुत ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण निम्नानुसार है:–

i. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी** – मॉनिटरिंग कार्य 1 मार्च 2023 से 31 मई 2023 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 9 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर भू–जल गुणवत्ता मापन, 9 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 8 स्थलों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 3 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

ii. मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पीएम, एसओ$_2$, एनओ$_2$ का सान्द्रण लेवल:–

Concentration level (µg/m^3) of criteria pollutants				
Criteria Pollutants	**Minimum (µg/m^3)**	**Maximum (µg/m^3)**	**GSR 742 (E) Standard at Core Zone (µg/m^3)**	**GSR 826 (E) Standard at Buffer Zone (µg/m^3)**
Suspended Particulate Matter (SPM) (Core zone)	193.6	235.2	600	-
Suspended Particulate Matter (SPM) (Buffer zone)	737	128.7	-	-
PM_{10} (Core zone)	124.1	150.8	300	-
PM_{10} (Buffer zone)	45.2	80.5	-	100
$PM_{2.5}$ (Core zone)	79.3	96.1	-	-
$PM_{2.5}$ (Buffer zone)	39.8	49.9	-	60
SO_2 (Core zone)	15.1	29.0	120	-
SO_2 (Buffer zone)	18.8	29.3	-	80
NO_x (Core zone)	19.2	33.7	120	-
NO_x (Buffer zone)	14.5	24.8	-	80

iii. **परियोजना स्थल के आसपास जल स्त्रोतों की गुणवत्ता:–** ई.आई.ए. के Chapter-3 Description of the Environment में दर्शाये गये टेबल अनुसार क्लोराइडस, नाइट्रेट्स, सल्फर, कार्बोनेट्स, लेड, आर्सेनिक एवं अन्य रसायनिक तत्वों का सान्द्रण लेवल भारतीय मानक से कम है।

iv. **परिवेशीय ध्वनि स्तर:–**

Noise level - dB (A)			
Equivalent Noise level	**Minimum dB (A)**	**Maximum dB (A)**	**CPCB Standard dB (A)**
Day L_{eq}	44.1	71.1	75
Night L_{eq}	33.5	60.1	70

जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से कम है।

v. फ्लोरा (Floura) एवं फौना (Fauna) की जानकारी प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि फ्लोरा (Floura) एवं फौना (Fauna) की पुनः अध्ययन कर

जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा फ्लोरा (Floura) एवं फौना (Fauna) की पुनः अध्ययन कराये जाने एवं उसकी रिपोर्ट अर्धवार्षिक रिपोर्ट में जमा किये जाने बाबत् शपथ पत्र (undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

17. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 1.0 हेक्टेयर में 2500 नग वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त वृक्षारोपण वन विकास निगम से कराया जाना प्रस्तावित है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण लगाये जाने हेतु वन विकास निगम द्वारा तय की गई निर्धारित राशि के आधार पर 05 वर्ष हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों का रोपण (90 प्रतिशत जीवन दर सहित), सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव हेतु प्रथम वर्ष में रूपये 4,86,500/– एवं आगामी चार वर्षों में रूपये 4,04,775/–, इस प्रकार 05 वर्षों में कुल रूपये 4,04,775/– वृक्षारोपण हेतु व्यय किया जाना प्रस्तावित है।

18. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु उपयुक्त विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Additional Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
38.32	2%	76.64	Eco Park Nirman	81.27
			Total	**81.27**

सी.ई.आर. के अंतर्गत "ईको पार्क निर्माण" हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 2 हेक्टेयर भूमि में 2,500 नग किया जाना प्रस्तावित है। प्रथम वर्ष में बाउण्ड्रीवाल हेतु स्टोन फाउण्डेशन में राशि 37,80,000/– रूपये, बाउण्ड्री ब्रिकवाल हेतु राशि 24,15,000/– रूपये, पौधों के रोपण, रख–रखाव, सिंचाई आदि लिए राशि 9,73,000 रूपये, गेट हेतु राशि 50,000/– रूपये एवं अन्य में राशि 1,00,000/– रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 8,09,550 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत् ईको पार्क निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध कराने बाबत् स्थानीय पंचायतों/निगम से सम्पर्क किया जाना बताया गया है। भूमि उपलब्ध होने उपरांत वृक्षारोपण का कार्य वन विकास निगम से कराया जाएगा।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से प्रस्तुत्त करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की सशर्त अनुशंसा की जाती है।

2. भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) एवं जारी ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 11/04/2022 तथा दिनांक 30/05/2022 के अनुसार Para 7 (II) (a)

के तहत् खदान क्षमता विस्तार के तहत् चिरमिरी क्षेत्र, ग्राम–रानी अटारी, तहसील–पसान, जिला–कोरबा स्थित कुल क्षेत्रफल–389.491 हेक्टेयर में अण्डरग्राउण्ड कोल माईन क्षमता–0.48 मिलियन टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 0.576 मिलियन टन प्रतिवर्ष (Stage–I: 20% Expansion) हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई। इसके अतिरिक्त निम्न शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई:–

i. Project proponent shall obtain 2 to 4 hectare land for Eco Park under CER (Corporate Environment Responsibility) from local authorities within 03 months.

ii. Project proponent shall obtain CTE/CTO from Chhattisgarh Environment Conservation Board for Coal production capacity 0.576 MTPA.

iii. Project proponent shall made CER fund as follows:-

Additional Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (In Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
38.32	2%	76.64	Eco Park Nirman	81.27
			Total	**81.27**

iv. The project proponent shall submit the Corporate Environmental Responsibility project work completion report issued by the concerned principal of the respective schools.

v. The company shall have a well laid down environmental policy duly approve by the Board of Directors. The environmental policy should prescribe for standard operating procedures to have proper checks and balances and to bring into focus any infringements / deviation / violation of the environmental / forest / wildlife norms / conditions. The company shall have defined system of reporting infringements / deviation / violation of the environmental / forest / wildlife norms / conditions and / shareholders / stake holders. The copy of the board resolution in this regard shall be submitted to the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Delhi / SEIAA, Chhattisgarh as a part of six-monthly report.

vi. Project proponent shall ensure to develop a Greenbelt consisting of 3-tier plantation of width not less than 7.5 meter (not less than 1 Hectare) all along the mine lease area. Project proponent shall do plantation over reclaimed area as per the above proposal. The green belt comprising a mix of native species (endemic species should be given priority) shall be developed all along the major approach/ coal transportation roads.

vii. Project proponent shall form a tripartite committee (Representative of Industry, Representative of District administration/CECB and Member of Gram panchayat) which will monitor the compliance of Green Belt within the premises, Corporate Environmental Responsibility activities etc.

viii. The project proponent shall used the maximum surface water. Project proponent shall not use ground water without prior permission from the

Central Ground Water Authority (CGWA). Ground water shall be used only for domestic purpose.

ix. Provision for monitoring of vehicles by installation of closed-circuit cameras (CCTv) at suitable locations i.e. entry gate, weigh bridge, internal parking area etc. shall also be made to ensure the incoming and outgoing vehicles are mechanically covered.

x. The project proponent shall make provision for carryout Ambient Air Quality monitoring for common / criterion parameters relevant to the main pollutant released (e.g. PM10 and PM2.5 in reference to PM emission, and SO2 and NOx in reference to SO2 and NOx emissions) within and outside the plant area (at least at four locations one within and three outside the plant area at an angle of 120° each), covering upwind and downwind directions and connected to SPCB and CPCB online server.

xi. Project authorities shall provide Occupational heath surveillance records and submitted in six- monthly monitoring report.

xii. Environment clearance will be valid as per the provision of EIA Notification, 2006 (as amended).

पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृतियों में अधिरोपित शर्तें यथावत् रहेंगी।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

13. मेसर्स साउथ इस्टर्न कोल फील्डस् लिमिटेड (विजय वेस्ट अंडरग्राउण्ड कोल माईन), पोस्ट–वेस्ट चिरमिरी, ग्राम–केन्दई, तहसील–पसान, जिला–कोरबा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2975)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ सीएमआईएन/ 456345/ 2023, दिनांक 22/12/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु ऑनलाईन आवेदन किया गया।

प्रस्ताव का विवरण – यह क्षमता विस्तार का प्रकरण है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्षमता विस्तार के तहत् पोस्ट–वेस्ट चिरमिरी, ग्राम–केन्दई, तहसील–पसान, जिला–कोरबा स्थित कुल क्षेत्रफल–438.10 हेक्टेयर में अण्डरग्राउण्ड कोल माईन क्षमता–0.5 मिलियन टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 0.6 मिलियन टन प्रतिवर्ष (Stage–I: 20% Expansion) करने के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/01/2024 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 511वीं बैठक दिनांक 31/01/2024:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री बी.के. जेना, जनरल मैनेजर, श्री मनोज कुमार, डायरेक्टर एवं पर्यावरण सलाहकार के रूप में मेसर्स सेन्ट्रल माईन प्लानिंग एण्ड डिजाईन इन्सटिट्यूट लिमिटेड, रांची की ओर से श्री प्रतीश वी पी, मैनेजर इनव्हायरोमेंट उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 11/04/2022 को जारी ऑफिस मेमोरेण्डम में उल्लेखित तथ्य निम्न है:–

"Guidelines for granting Environmental Clearance (EC) under para 7 (II) (a) of EIA Notification, 2006, for expansion up to 50%, within the existing premises/mine lease area, without additional land acquisition"

Project proponent shall apply in the requisite form on the PARIVESH Portal under para 7 (II) of EIA notification, 2006, along with EIA/EMP reports based on standard TORs and public consultation report, if applicable. The concerned EAC/SEAC shall appraise the project proposal and it may prescribe additional sector specific and/or other environmental sefeguards after due diligence, as required."

2. भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 11/04/2022 को जारी ऑफिस मेमोरेण्डम में उल्लेखित तथ्य निम्न है:–

"In order to avoid undue delay in obtaining requisite clearance and ensure that due environmental safeguards are in place, it is hereby clarified that the revised EIA/EMP report based on standard ToRs, may be prepared for a maximum of 50% expansion of the original EC capacity for which public hearing has been held, in order to avail the benefit of the above-said OM dated 11th April 2022. However, the EC shall be granted in phases of 20%, 40% and 50% capacity expansion, based on the above mentioned revised EIA/EMP report, subject to submission of Certified Compliance Reports for ECs granted at each stage."

3. **पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का विवरण** – पूर्व में भारत सरकार, पर्यावरण और वन मंत्रालय, नई दिल्ली के ज्ञापन दिनांक 15/04/2009 द्वारा कुल क्षेत्रफल–438.10 हेक्टेयर में अण्डरग्राउण्ड कोल माईन क्षमता–0.5 मिलियन टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई है।

4. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन हेतु एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में आवेदन किया गया है, जो प्रक्रियाधीन है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा 15 फरवरी 2024 तक एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किये जाने बाबत् शपथ पत्र (undertaking) प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

5. **जल एवं वायु सम्मति** – छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा Mining of Coal (Underground Project) कोल माईन क्षमता 0.5 मिलियन टन प्रतिवर्ष हेतु जल एवं वायु सम्मति नवीनीकरण दिनांक 21/09/2023 को जारी की गई है, जो कि दिनांक 31/08/2024 तक वैध है।

6. **उत्खनन योजना** – माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो कंपनी सेक्रेट्री, साउथ इस्टर्न कोल फिल्ड्स लिमिटेड के रिफरेन्स नं. एसईसीएल/बीएसपी/सीएडी/ 199वीं सीओएफडी ईएक्सटी/23–24/938, दिनांक 03/12/2023 द्वारा अनुमोदित है।

7. **जल आपूर्ति** – प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु आवश्यक जल की मात्रा 690 घनमीटर प्रतिदिन (खनन हेतु 270 घनमीटर प्रतिदिन, डस्ट सप्रेसन में 137 घनमीटर प्रतिदिन, फायर सर्विस में 137 घनमीटर प्रतिदिन, घरेलू में 92 घनमीटर प्रतिदिन, अन्य में 54 घनमीटर प्रतिदिन) होगी। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि जल की उपयोगिता हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड अथॉरिटी में आवेदन किया गया है, जो प्रक्रियाधीन है।

8. **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु खदान क्षेत्र में सेप्टिक टैंक एवं सोक पिट स्थापित है। औद्योगिक दूषित जल (माईन वॉटर) के उपचार हेतु ई.टी.पी. की स्थापित किया जाना बताया गया है। वार्क शॉप से उत्पन्न दूषित जल के उपचार हेतु ऑयल एवं ग्रीस ट्रैप स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

9. **वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – अण्डर ग्राउण्ड कोल को कन्व्हेयर बेल्ट के माध्यम से भण्डारण क्षेत्र तक लाया जाता है। बेल्ट कन्व्हेयर में जल छिड़काव की व्यवस्था है। साथ ही लोडिंग, अनलोडिंग एवं धूल उत्सर्जन बिन्दुओं में जल छिड़काव की व्यवस्था है। भण्डारण क्षेत्र एवं रेल्वे साईडिंग में मिस्ट स्प्रेयर्स स्थापित है। मोबाईल कैन्नस की व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त आंतरिक मार्गो के लिए रोड स्वीपर मशीन की व्यवस्था होना बताया गया है। आंतरिक मार्गों का पक्कीकरण किया गया है।

10. कोयला मंत्रालय, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 19/03/1998 एवं 07/01/1999 द्वारा कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 के प्रावधानों के तहत् मेसर्स साउथ इस्टर्न कोल फील्डस् लिमिटेड को दिया गया है।

11. **भूमि संबंधी विवरण** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि कुल लीज क्षेत्रफल 438.1 हेक्टेयर क्षेत्र में से 349 हेक्टेयर वन भूमि, 89.1 हेक्टेयर प्राईवेट भूमि है।

During Mining

S. No.	Particulars	Tenanacy land	Forest land	Grand total (in Ha.)
1.	Mining area	77.0	340	425
2.	Infrastructure area (within mine lease area)	-	8.0	
3.	Roads (outside mine lease area)	-	1.0	1.0
4.	Residential Colony (outside mine lease area)	12.10	-	12.10
5.	R & R site	-	-	-
6.	Nala Diversion, If any	-	-	-
7.	Safety zone	-	-	-
Total land (in Ha.)		**89.10**	**349.0**	**438.10**

Post Mining

S. No.	Land use	Area (Ha)

		Plantation	Water body	Public use	Undistubed	Total
1.	External OB	-	-	-	-	-
2.	Top Soil dump	-	-	-	-	-
3.	Excavation	-	-	-	-	-
4.	Roads (outside mining)	-	-	1.0	-	1.0
5.	Built-up area (including Infrastructure and roads within mining area)	8.0	-	-	-	8.0
6.	Green belt	-	-	-	-	-
7.	Undisturbed area	0.216	-	-	416.784	417.0
Total		8.216	0.00	1.0	428.884	438.10

12. भारत सरकार, पर्यावरण और वन मंत्रालय (फॉरेस्ट क्लीयरेन्स डिवीजन), नई दिल्ली के ज्ञापन दिनांक 23/02/2009 के माध्यम से 1607.05 हेक्टेयर (अण्डर ग्राउण्ड) एवं 20.833 हेक्टेयर भूमि (Surface rights) हेतु स्टेज–II फारेस्ट क्लीयरेंस 20 वर्ष के लिए स्वीकृत की गई है।

19. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी कटघोरा वन मण्डल कटघोरा के ज्ञापन दिनांक 01/12/2023 के माध्यम से खदान क्षेत्र के आस–पास हाथी प्रवास पर जागृति एवं नियत्रंण हेतु रूपये 19,00,000/– जमा किये जाने हेतु लेख किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त राशि जमा किये जाने की कार्यवाही किया जाना बताया गया।

13. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – वर्तमान में माईनिंग प्लान अनुसार जियोलॉजिकल रिजर्व 96.97 मिलियन टन एवं माईनेबल रिजर्व 8.632 मिलियन टन है। अण्डर ग्राउण्ड सेमी मेकैनाईज्ड विधि एवं पिलर विधि से उत्खनन किया जाता है। खदान की संभावित आयु 12 वर्ष है। ब्लास्टिंग किया जाना प्रस्तावित नहीं है। Low Height continuous miner with shuttle car combination के माध्यम से उत्खनन किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (मिलियन टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (मिलियन टन)
प्रथम	0.6	सप्तम	0.75
द्वितीय	0.7	अष्टम	0.75
तृतीय	0.75	नवम	0.75
चतुर्थ	0.75	दशम	0.75
पंचम	0.75	एकादश	0.75
षष्टम	0.75	द्वादश	0.582

14. ई.आई.ए. एवं ई.एम.पी. (Envrionmental Impact Assessment & Environmental Management Plan) रिपोर्ट सेन्ट्रल माईन प्लानिंग एण्ड डिजाईन इंस्टिट्यूट

लिमिटेड, रांची द्वारा तैयार किया गया है, जिसकी वैधता दिनांक 22/08/2024 तक है।

15. **प्रस्तुत ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण निम्नानुसार है:–**

i. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी** – मॉनिटरिंग कार्य 1 मार्च 2023 से 31 मई 2023 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 9 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर भू–जल गुणवत्ता मापन, 9 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 8 स्थलों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 3 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

ii. **मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पीएम, एसओ$_2$, एनओ$_2$ का सान्द्रण लेवल:–**

Concentration level (µg/m^3) of criteria pollutants				
Criteria Pollutants	**Minimum (µg/m^3)**	**Maximum (µg/m^3)**	**GSR 742 (E) Standard at Core Zone (µg/m^3)**	**GSR 826 (E) Standard at Buffer Zone (µg/m^3)**
Suspended Particulate Matter (SPM) (Core zone)	93.0	130.6	600	-
Suspended Particulate Matter (SPM) (Buffer zone)	199.3	233.3	-	Not Specified
PM_{10} (Core zone)	125.3	146.8	300	-
PM_{10} (Buffer zone)	57.8	81.1	-	100
$PM_{2.5}$ (Core zone)	78.6	92.3	-	-
$PM_{2.5}$ (Buffer zone)	37.4	47.5	-	60
SO_2 (Core zone)	18.3	28.2	120	-
SO_2 (Buffer zone)	14.9	30.2	-	80
NO_x (Core zone)	22.4	32.3	120	-
NO_x (Buffer zone)	12.1	26.6	-	80

iii. **परियोजना स्थल के आसपास जल स्त्रोतों की गुणवत्ता:–** ई.आई.ए. के Chapter-3 Description of the Environment में दर्शाये गये टेबल अनुसार क्लोराइडस, नाइट्रेट्स, सल्फर, कार्बोनेट्स, लेड, आर्सेनिक एवं अन्य रसायनिक तत्वों का सान्द्रण लेवल भारतीय मानक से कम है।

iv. परिवेशीय ध्वनि स्तर:–

Noise level - dB (A)			
Equivalent Noise level	**Minimum dB (A)**	**Maximum dB (A)**	**CPCB Standard dB (A)**
Day L_{eq}	45.2	71.5	75
Night L_{eq}	32.7	59.7	70

जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से कम है।

v. फ्लोरा (Floura) एवं फौना (Fauna) की जानकारी प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि फ्लोरा (Floura) एवं फौना (Fauna) की पुनः अध्ययन कर जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा फ्लोरा (Floura) एवं फौना (Fauna) की पुनः अध्ययन कराये जाने एवं उसकी रिपोर्ट अर्धवार्षिक रिपोर्ट में जमा किये जाने बाबत् शपथ पत्र (undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

16. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 0.5 हेक्टेयर में 1,250 नग वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त वृक्षारोपण वन विकास निगम से कराया जाना प्रस्तावित है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण लगाये जाने हेतु वन विकास निगम द्वारा तय की गई निर्धारित राशि के आधार पर 05 वर्ष हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों का रोपण (90 प्रतिशत जीवन दर सहित), सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव हेतु प्रथम वर्ष में रूपये 2,43,250/– एवं आगामी चार वर्षों में रूपये 2,02,387.50/–, इस प्रकार 05 वर्षो में कुल रूपये 4,45,637.50/– वृक्षारोपण हेतु व्यय किया जाना प्रस्तावित है।

17. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु उपयुक्त विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Additional Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
49	2%	98	Eco Park Nirman	110.83
			Total	**110.83**

सी.ई.आर. के अंतर्गत "ईको पार्क निर्माण" हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 3 हेक्टेयर भूमि में 3,750 नग किया जाना प्रस्तावित है। प्रथम वर्ष में बाउण्ड्रीवाल हेतु स्टोन फाउण्डेशन में राशि 50,40,000/– रूपये, बाउण्ड्री ब्रिकवाल हेतु राशि 32,20,000/– रूपये, पौधों के रोपण, रख–रखाव, सिंचाई आदि लिए राशि 14,59,500 रूपये, गेट हेतु राशि 50,000/– रूपये एवं अन्य में राशि 1,00,000/– रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 12,14,325 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत् ईको पार्क निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध कराने बाबत् स्थानीय पंचायतों/निगम से सम्पर्क किया जाना बताया गया है। भूमि उपलब्ध होने उपरांत वृक्षारोपण का कार्य वन विकास निगम से कराया जाएगा।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की सशर्त अनुशंसा की जाती है।

2. भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) एवं जारी ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 11/04/2022 तथा दिनांक 30/05/2022 के अनुसार Para 7 (II) (a) के तहत् खदान क्षमता विस्तार के तहत् पोस्ट–वेस्ट चिरमिरी, ग्राम–केन्दई, तहसील–पसान, जिला–कोरबा स्थित कुल क्षेत्रफल–438.10 हेक्टेयर में अण्डरग्राउण्ड कोल माईन क्षमता–0.5 मिलियन टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 0.6 मिलियन टन प्रतिवर्ष (Stage–I: 20% Expansion) हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई। इसके अतिरिक्त निम्न शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई:–

i. Project proponent shall obtain 3 to 5 hectare land for Eco Park under CER (Corporate Environment Responsibility) from local authorities within 03 months.

ii. Project proponent shall obtain CTE/CTO from Chhattisgarh Environment Conservation Board for Coal production capacity 0.576 MTPA.

iii. Project proponent shall made CER fund as follows:-

Additional Capital Investment (In Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (In Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (In Lakh Rupees)
49	2%	98	Eco Park Nirman	110.83
			Total	**110.83**

iv. The project proponent shall submit the Corporate Environmental Responsibility project work completion report issued by the concerned authority.

v. The company shall have a well laid down environmental policy duly approve by the Board of Directors. The environmental policy should prescribe for standard operating procedures to have proper checks and balances and to bring into focus any infringements / deviation / violation of the environmental / forest / wildlife norms / conditions. The company shall have defined system of reporting infringements / deviation / violation of the environmental / forest / wildlife norms / conditions and / shareholders / stake holders. The copy of the board resolution in this regard shall be submitted to the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Delhi / SEIAA, Chhattisgarh as a part of six-monthly report.

vi. Project proponent shall ensure to develop a Greenbelt consisting of 3-tier plantation of width not less than 7.5 meter (not less than 1 Hectare) all along the mine lease area. Project proponent shall do plantation over reclaimed area as per the above proposal. The green belt comprising a mix of native species (endemic species should be given priority) shall be developed all along the major approach/ coal transportation roads.

vii. Project proponent shall form a tripartite committee (Representative of Industry, Representative of District administration/CECB and Member of

Gram panchayat) which will monitor the compliance of Green Belt within the premises, Corporate Environmental Responsibility activities etc.

viii. The project proponent shall used the maximum surface water. Project proponent shall not use ground water without prior permission from the Central Ground Water Authority (CGWA). Ground water shall be used only for domestic purpose.

ix. Provision for monitoring of vehicles by installation of closed-circuit cameras (CCTv) at suitable locations i.e. entry gate, weigh bridge, internal parking area etc. shall also be made to ensure the incoming and outgoing vehicles are mechanically covered.

x. The project proponent shall make provision for carryout Ambient Air Quality monitoring for common / criterion parameters relevant to the main pollutant released (e.g. PM10 and PM2.5 in reference to PM emission, and SO2 and NOx in reference to SO2 and NOx emissions) within and outside the plant area (at least at four locations one within and three outside the plant area at an angle of 120° each), covering upwind and downwind directions and connected to SPCB and CPCB online server.

xi. Project authorities shall provide Occupational heath surveillance records and submitted in six- monthly monitoring report.

xii. Environment clearance will be valid as per the provision of EIA Notification, 2006 (as amended).

पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृतियों में अधिरोपित शर्तें यथावत् रहेंगी।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

एजेन्डा आयटम क्रमांक–3: एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ से प्रेषित किये गये आवेदनों पर विचार कर निर्णय लिया जाना।

1. मेसर्स गणपति मेटल्स एंड मिनरल्स लाईम स्टोन माईन (प्रो.– श्री गौतम चंद जैन), ग्राम–तालपुर, तहसील–सहसपुर लोहारा, जिला–कबीरधाम (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1512)

आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन / 192949/2021, दिनांक 13/01/2021 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु ऑनलाईन आवेदन किया गया था। वर्तमान में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में वैधता वृद्धि किये जाने हेतु दिनांक 20/04/2023 को अनुरोध पत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण –

1. खदान ग्राम–तालपुर, तहसील–सहसपुर लोहारा, जिला–कबीरधाम के खसरा क्रमांक 41/1, 41/3, 43/5, 43/8, 43/9 एवं 43/10 में स्थित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–1.457 हेक्टेयर, क्षमता – 33,750 टन प्रतिवर्ष की है।

2. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 579, दिनांक 25/06/2021 द्वारा ग्राम–तालपुर, तहसील–सहसपुर लोहारा, जिला–कबीरधाम के खसरा क्रमांक 41/1, 41/3, 43/5, 43/8, 43/9 एवं 43/10 में स्थित चूना पत्थर (गौण

खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–1.457 हेक्टेयर, क्षमता – 33,750 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई है।

3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुरोध पत्र में उल्लेखित तथ्य निम्नानुसार है:–

"मेरे गौण खनिज चूना पत्थर खदान जो ग्राम–तालपुर, तहसील–सहसपुरलोहारा, जिला–कबीरधाम के खसरा क्रमांक 41/1,41/3, 43/5, 43/8, 43/9 एवं 43/10, कुल रकबा 1.457 हेक्टेयर के लिए पर्यावरण स्वीकृति जारी दिनांक से 2 वर्ष के लिए प्रदान की गई थी तथा कंडिका क्रं – 3 में उल्लेख किया गया था कि सेफ्टी जोन के खुदे हुए भाग को पुनःभराव करने के पश्चात् लीज की पर्यावरण स्वीकृति की अवधि में वृद्धि की जाएगी। मेरे द्वारा सेफ्टी जोन पर पुनःभराव का कार्य कर लिया गया है तथा पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन तथा अर्द्धवार्षिक प्रतिवेदन जमा किया गया।

अतः पर्यावरण स्वीकृति की अवधि को लीज अवधि तक मान्य करने हेतु अनुरोध किया गया है।"

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 22/05/2023 को संपन्न 146वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था कि:–**

1. लीज क्षेत्र के 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में पूर्व से उत्खनित भाग को पुनःभराव कर वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण करने हेतु खनिज विभाग से पुष्टि कराकर प्रतिवेदन सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
2. लीज क्षेत्र के 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में किये गये वृक्षारोपण की जियोटैग फोटोग्राफ्स प्रस्तुत की जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 19/06/2023 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 12/09/2023 को जानकारी/दस्तावेज प्रेषित किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 04/01/2024 को संपन्न 160वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/जानकारी/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कबीरधाम के ज्ञापन क्रमांक 649/ख.लि./खनिज/2023 कबीरधाम, दिनांक 24/07/2023 द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन अनुसार "लीज अवधि के पूर्व सीमा क्षेत्र के कुछ भाग पर 7.5 मीटर पट्टी पर लगभग 8 से 10 मीटर गड्ढा था, जो कि पूर्ण रूप से पुनः भराव कर वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किया गया है। उक्त संबंध में दिनांक 24/07/2023 को ग्रामवासियों के समक्ष जांच किया गया। जांच पर पाया गया कि उक्त सीमा क्षेत्र में 7.5 मीटर पट्टी पर पूर्व में हुए गढ्ढे लगभग 8–10 मीटर का पुनः भराव कर वृक्षारोपण कार्य किया गया है।" होना बताया गया है।
2. लीज क्षेत्र के 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में किये गये वृक्षारोपण की जियोटैग फोटोग्राफ्स प्रस्तुत की गई है।

3. प्राधिकरण द्वारा पाया गया कि पूर्व में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 579, दिनांक 25/06/2021 द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति "आवेदक द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति जारी दिनांक से 6 माह के भीतर, पूर्व से उत्खनित क्षेत्र को पुनःभराव कर वृक्षारोपण का कार्य किया जाएगा। तत्पश्चात् उनके द्वारा कार्यपूर्ति प्रतिवेदन जमा करने उपरांत पर्यावरणीय स्वीकृति की अवधि वृद्धि की जाएगी।" शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि के लिए जारी करने का निर्णय लिया गया था।

वर्तमान में परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व से उत्खनित क्षेत्र को पुनःभराव कर कार्यपूर्ति प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में परीक्षण उपरांत उपयुक्त अनुशंसा किये जाने हेतु प्रकरण को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 511वीं बैठक दिनांक 31/01/2024:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गईः–

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचना कमांक का.आ. 1807(अ), दिनांक 12/04/2022 के अनुसार "(iv) **The prior Environmental Clearance granted for mining projects shall be valid for the project life as laid down in the mining plan approved and renewed by competent authority, from time to time, subject to a maximum of thirty years, whichever is earlier:** " का उल्लेख है।

2. उक्त अधिसुचना के अनुक्रम में भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 13/12/2022 अनुसार निम्नानुसार प्रावधान हैः–

   The validity of the Environmental Clearances, which had not expired as on the date of publication of Notification i.e. 12/04/2022, shall stand automatically extended to respective increased validity as mentioned at para no. 1 column (C) above:

   Provided that the period of validity of Environmental Clearance with respect to the type of Projects and Activities listed at Para 1 above may be extended in respect of valid Environmental Clearance, by the regulatory authority concerned, by a maximum period of years as indicated at Para No. 1 Column (D) above, if an application is made in the laid down proforma to the regulatory authority by the applicant as per the provisions of EIA Notification 2006: Provided further that the regulatory authority may also consult the concerned Expert Appraisal Committee before grant of such extension.

Type of Project	Earlier EC validity (Years) (A)	Further extendable for (Years) (B)	Increased EC validity (Years) (C)	Further extendable for (Years) (D)
River Valley projects	10	3	13	2
Nuclear	7	3	15	5

Projects				
Projects other than River Valley, Nuclear and Mining Projects.	7	3	10	1
Mining Projects	30		30 (Subject to adequacy of EIA/EMP to be reviewed every 5 years after 30 Years)	20

3. उपरोक्त अधिसूचना एवं जारी आफिस मेमोरेण्डम के अनुक्रम समिति का मत है कि खनिज विभाग द्वारा जारी अनुमोदित माईनिंग प्लान की वैध प्रति मंगाया जाना आवश्यक है। साथ ही लीज क्षेत्र के 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में रोपित किये गये पौधों का संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख करते हुये फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया कि:–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का स्व–प्रमाणित पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाए।
2. खनिज विभाग द्वारा जारी अनुमोदित माईनिंग प्लान की वैध प्रति प्रस्तुत किया जाए।
3. लीज क्षेत्र के 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में रोपित किये गये पौधों का संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख करते हुये फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
4. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों में निहित सी.ई.आर. के संबंध में किये गये कार्य की जानकारी एवं संबंधित विभाग से कार्यपूर्ति प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

2. मेसर्स मुख्तियारपारा आर्डिनरी स्टोन क्वारी (प्रो.– श्रीमती बीना सिंह), ग्राम–मुख्तियारपारा, तहसील–मनेन्द्रगढ़, जिला–कोरिया (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1993)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 266682/ 2022, दिनांक 20/04/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व संचालित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–मुख्तियारपारा, तहसील–मनेन्द्रगढ़, जिला–कोरिया स्थित खसरा क्रमांक – 2/1, कुल क्षेत्रफल – 2.023 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित साधारण पत्थर उत्खनन क्षमता – 12,069 टन प्रतिवर्ष है।

परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 03/08/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 419वीं बैठक दिनांक 08/08/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री गोपाल सिंह, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**

   i. पूर्व में साधारण पत्थर खदान खसरा क्रमांक 2/1, कुल क्षेत्रफल – 2.023 हेक्टेयर, क्षमता – 12,074 टन (4,471.85 घनमीटर) प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–कोरिया द्वारा दिनांक 10/01/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति दिनांक से 5 वर्ष तक की अवधि हेतु जारी की गई थी।

   ii. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसार:–

   "9A. Notwithstanding anything contained in this notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid."

   उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से दिनांक 09/01/2023 तक वैध होगी।

   iii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तो के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

   iv. निर्धारित शर्तानुसार 500 नग वृक्षारोपण किया गया है।

   v. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–कोरिया के ज्ञापन क्रमांक/1048/खनिज/उ.प./2021 कोरिया, बैकुण्ठपुर, दिनांक 14/07/2021 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:–

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)
2016	निरंक
2017	632
2018	447
2019	390
2020	542

समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा विगत वर्ष 2020 से आज दिनांक तक किये गये उत्खनन की वास्तविक जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत मुखियारपारा का दिनांक 20/10/2010 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि क्रशर की स्थापना हेतु ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

3. **उत्खनन योजना** – मॉडिफाईड क्वारी प्लान एलांग विथ प्रोग्रेसिव क्वारी क्लोजर प्लान विथ इन्वायरोन्मेंट मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनिज अधिकारी, जिला–कोरिया के ज्ञापन क्रमांक/2186/खनिज/उत्ख.यो.अनु. /2021, कोरिया बैकुण्ठपुर, दिनांक 09/03/2021 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान**– कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कोरिया के ज्ञापन क्रमांक/1050/खनिज/उ.प./2021/कोरिया बैकुण्ठपुर, दिनांक 14/07/2021 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानो की संख्या निरंक है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कोरिया के ज्ञापन क्रमांक/1049/खनिज/उ.प./2021, कोरिया बैकुण्ठपुर, दिनांक 14/07/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, एनीकट एवं बांध आदि प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।

6. **भूमि एवं लीज का विवरण** – यह शासकीय भूमि है। लीज श्रीमती बीना सिंह के नाम पर है। लीज डीड 05 वर्ष अर्थात् दिनांक 05/01/2012 से 04/01/2017 तक की अवधि हेतु वैध थी। तत्पश्चात् लीज डीड 25 वर्ष अर्थात् दिनांक 05/01/2017 से दिनांक 04/01/2042 तक की अवधि हेतु विस्तारित की गई है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी (सा.) वनमण्डल, मनेन्द्रगढ़ के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./2009/398 मनेन्द्रगढ़, दिनांक 22/08/2009 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 200 मीटर की दूरी पर है। इस संबंध में समिति का मत है कि लीज क्षेत्र में वन क्षेत्र की सीमा की तरफ 50 मीटर गैर माईनिंग क्षेत्र छोड़कर उत्खनन कार्य किया जाना आवश्यक है तथा आगामी वर्षों की वर्षवार उत्खनन योजना हेतु तैयार किये जाने वाले माईनिंग स्कीम में 50 मीटर गैर माईनिंग क्षेत्र छोड़कर अनुमोदित कराया जाना आवश्यक है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–मुख्तियापारा 500 मीटर, स्कूल ग्राम–मुख्तियापारा 500 मीटर एवं अस्पताल चिरमिरी 7 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 4.8 कि.मी. दूर है। हसदेव नदी 120 मीटर दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 9,39,481 टन, माईनेबल रिजर्व 5,13,643 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 4,87,961 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 4,890 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 22 मीटर है, जिसमें से 16 मीटर पहाड़ी क्षेत्र है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर है तथा कुल मात्रा 3,325 घनमीटर है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 42 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है, जिसका क्षेत्रफल 1,000 वर्गमीटर होगा। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	12,073
द्वितीय	12,069
तृतीय	12,069
चतुर्थ	12,069
पंचम	12,069

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 4 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत के माध्यम से किया जाता है। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 1,000 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 50,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 1,41,450 रूपये, खाद के लिए राशि 10,000 रूपये, रख–रखाव आदि के लिए राशि 36,000 रूपये, इस प्रकार कुल राशि 2,37,450 रूपये प्रथम वर्ष हेतु एवं कुल राशि 1,44,000 रूपये आगामी चार वर्षों हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

15. लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर है तथा कुल मात्रा 3,325 घनमीटर है। ऊपरी मिट्टी को सीमा पट्टी (7.5 मीटर) में 1 मीटर ऊंचाई तक फैलाकर वृक्षारोपण करने उपरांत शेष ऊपरी मिट्टी का उपयोग ईट निर्माण के लिए किया जाना बताया गया। इस संबंध में समिति का मत है कि ऊपरी मिट्टी

का उपयोग ईट निर्माण हेतु नहीं किया जाएगा। अतः ऊपरी मिट्टी के रख–रखाव के संबंध में उपयुक्त जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

16. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का उपयुक्त प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था कि:–

1. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
2. विगत वर्ष 2020 से अब तक किये गये उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाए।
3. क्रशर की स्थापना हेतु ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत की जाए।
4. लीज क्षेत्र में वन क्षेत्र की सीमा की तरफ 50 मीटर गैर माईनिंग क्षेत्र छोड़कर उत्खनन कार्य किया जाए तथा आगामी वर्षों की वर्षवार उत्खनन योजना हेतु तैयार किये जाने वाले माईनिंग स्कीम में 50 मीटर गैर माईनिंग क्षेत्र छोड़कर अनुमोदित कराये जाने बाबत् शपथ पत्र (Affidavit) प्रस्तुत किया जाए।
5. ऊपरी मिट्टी के रख–रखाव हेतु प्रबंधन योजना प्रस्तुत की जाए।
6. सी.ई.आर. के तहत् वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
7. कंट्रोल ब्लास्टिंग का कार्य विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
8. परियोजना से जिन–जिन स्थलों से फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
9. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर एवं बाहर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनरल्स कनसेशन नियम (Minerals Conssesion Rule) के तहत् बाउण्ड्री पिल्लर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा तालाब, पोखर, नहर, नदी, नाला एवं अन्य जल निकायों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु प्रस्ताव 1 माह के भीतर प्रस्तुत किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का वचन पत्र प्रस्तुत किया जाए कि उनके विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 14/09/2022 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 30/11/2022 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(ब) समिति की 445वीं बैठक दिनांक 11/01/2023:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गईः–

1. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त किये जाने हेतु एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर को दिनांक 28/12/2022 को आवेदन किया गया है।
2. विगत वर्ष 2020 से अब तक किये गये उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत नहीं किया गया है।
3. क्रशर की स्थापना हेतु ग्राम पंचायत मुख्तियारपारा का दिनांक 17/03/2022 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
4. लीज क्षेत्र में वन क्षेत्र की सीमा की तरफ 50 मीटर गैर माईनिंग क्षेत्र छोड़कर उत्खनन कार्य किये जाने तथा आगामी वर्षों की वर्षवार उत्खनन योजना हेतु तैयार किये जाने वाले माईनिंग स्कीम में 50 मीटर गैर माईनिंग क्षेत्र छोड़कर अनुमोदित कराये जाने बाबत् शपथ पत्र (Noterized Affidavit) प्रस्तुत किया गया है।
5. लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर है तथा कुल मात्रा 3,325 घनमीटर है। ऊपरी मिट्टी को 26^0 का स्लोप रखते हुये लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी 4,890 वर्गमीटर क्षेत्र (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित) में फैलाकर वृक्षारोपण किया जाएगा।
6. सी.ई.आर. के तहत् वृक्षारोपण का विस्तृत प्रस्ताव निजी भूमि में किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि सी.ई.आर. के तहत् ग्राम पंचायत से सहमति प्राप्त भूमि में वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
7. कंट्रोल ब्लास्टिंग का कार्य विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

8. परियोजना से जिन–जिन स्थलों से फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

9. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर एवं बाहर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनरल्स कनसेशन नियम (Minerals Conssesion Rule) के तहत् बाउण्ड्री पिल्लर्स द्वारा सीमाकंन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा तालाब, पोखर, नहर, नदी, नाला एवं अन्य जल निकायों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु प्रस्ताव 1 माह के भीतर प्रस्तुत किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
2. विगत वर्ष 2020 से अब तक किये गये उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाए।
3. सी.ई.आर. के तहत् ग्राम पंचायत से सहमति प्राप्त भूमि में वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 27/02/2023 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 18/04/2023 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(स) समिति की 464वीं बैठक दिनांक 11/05/2023:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन हेतु एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में दिनांक 30/01/2023 को किये गये आवेदन की प्रति

प्रस्तुत की गई है। भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 08/06/2022 के अनुसार

At the time of issuance of expansion TOR, the MS of EAC/SEAC shall endorse a copy of the ToR to the concerned IRO of MoEF&CC. Based on the same, project proponent shall approach the concerned IRO of MoEF&CC to issue CCR. Such request shall be expeditiously considered and disposed of by the concerned IRO within a time frame of three months from the date of application of project proponent. In case, the CCR is not issued within three months, the project proponent shall approach concerned Regional Offices of Central Pollution Control Board (CPCB) or MS of respective State Pollution Control Boards (SPCB) or State Pollution Control Committees (SPCCs) for the same. है। इस संबंध में समिति का मत है कि पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर से मंगाया जाना आवश्यक है।

2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर के ज्ञापन क्रमांक/22/खनिज/उ.प./2023 एम.सी.बी., दिनांक 12/04/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:–

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)
2020–21	730
2021–22	590
2022–23	280
कुल	1,600

समिति का मत है कि उक्त प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा विगत दिनांक 09/01/2023 के उपरांत उत्खनन कार्य किया गया है अथवा नहीं? के संबंध में खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

3. सी.ई.आर. के तहत् ग्राम पंचायत से सहमति प्राप्त भूमि में (जामुन, नीम एवं आम) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 500 नग पौधों के लिए राशि 25,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 46,000 रूपये, खाद के लिए राशि 5,000 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 90,000 रूपये, इस प्रकार कुल राशि 1,91,000 रूपये के व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि 5 वर्षों हेतु पृथक–पृथक घटकवार विवरण प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर से मंगाया जाए।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा विगत दिनांक 09/01/2023 के उपरांत उत्खनन कार्य किया गया है अथवा नहीं? के संबंध में खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

3. सी.ई.आर. के तहत् ग्राम पंचायत से सहमति प्राप्त भूमि में (जामुन, नीम एवं आम) वृक्षारोपण हेतु 5 वर्षों के लिए पृथक–पृथक घटकवार विवरण प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/06/2023 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा द्वारा दिनांक 01/09/2023 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(द) समिति की 490वीं बैठक दिनांक 27/09/2023:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्रमांक 3954, दिनांक 23/08/2023 द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्रेषित किया गया है, जिसके अनुसार पूर्ण शर्तों का पालन किया जाना बताया गया है।
2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), मनेन्द्रगढ़ जिला–मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर के ज्ञापन क्रमांक/178/खनिज/उ.प./2023 एम.सी.बी. मनेन्द्रगढ़, दिनांक 03/07/2023 अनुसार जनवरी, 2023 से मई, 2023 तक में उत्खनन कार्य निरंक है।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (In Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (In Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	**CER Fund Allocation (In Lakh Rupees)**
38	2%	0.76	Following activities at, **Village- Mukhtiyarpara**	
			Plantation	1.66
			Total	**1.66**

सी.ई.आर. के तहत् वृक्षारोपण (नीम, आम, जामुन आदि) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 500 नग पौधों के लिए राशि 25,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 20,000 रूपये, खाद एवं सिंचाई के लिए राशि 23,000 रूपये तथा रख–रखाव के लिए राशि 10,000 रूपये इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 78,000 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 88,000 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत मुख्तियारपारा के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 174/11, क्षेत्रफल 0.4 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

4. समिति का मत है कि सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–सदस्यीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण

मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–सदस्यीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

5. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

   a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

   b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कोरिया के ज्ञापन क्रमांक/1050/खनिज/उ.प./2021/कोरिया बैकुण्ठपुर, दिनांक 14/07/2021 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानो की संख्या निरंक है। आवेदित खदान (ग्राम–मुख्तियारपारा) का क्षेत्रफल 2.023 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – मेसर्स मुख्तियारपारा आर्डिनरी स्टोन क्वारी (प्रो.– श्रीमती बीना सिंह) को ग्राम–मुख्तियारपारा, तहसील–मनेन्द्रगढ़, जिला–कोरिया के खसरा क्रमांक 2/1 में स्थित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–2.023 हेक्टेयर, क्षमता–12,069 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 09/01/2024 को संपन्न 161वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 200 मीटर की दूरी पर है। लीज क्षेत्र में वन क्षेत्र की सीमा की तरफ 50 मीटर गैर माईनिंग क्षेत्र छोड़कर उत्खनन कार्य किये जाने तथा आगामी वर्षों की वर्षवार उत्खनन योजना हेतु तैयार किये जाने वाले माईनिंग स्कीम में 50 मीटर गैर माईनिंग क्षेत्र छोड़कर संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में परीक्षण उपरांत उपयुक्त अनुशंसा किये जाने हेतु प्रकरण को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

(इ) समिति की 511वीं बैठक दिनांक 31/01/2024:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण कर, **विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि** आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 200

मीटर की दूरी पर है। लीज क्षेत्र में वन क्षेत्र की सीमा की तरफ 50 मीटर गैर माईनिंग क्षेत्र छोड़कर उत्खनन कार्य किये जाने तथा आगामी वर्षों की वर्षवार उत्खनन योजना हेतु तैयार किये जाने वाले माईनिंग स्कीम में 50 मीटर गैर माईनिंग क्षेत्र छोड़कर संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

3. मेसर्स अरोरा छत्तीसगढ़ एनर्जी एण्ड स्टील प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–हरदीकला, सिलपहरी औद्योगिक क्षेत्र, जिला–बिलासपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2363)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी1/424794/ 2023, दिनांक 04/04/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 18/04/2023 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 09/05/2023 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह क्षमता विस्तार का प्रकरण है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम–हरदीकला, सिलपहरी औद्योगिक क्षेत्र, जिला–बिलासपुर, कुल क्षेत्रफल–5.13 हेक्टेयर में इण्डक्शन फर्नेस (2 गुणा 7 टन) क्षमता – 35,770 टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर (2x7 टन + 1x8 टन) क्षमता 59,900 टन प्रतिवर्ष एवं हॉट चार्जिंग रोलिंग मिल क्षमता–32,000 टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 59,900 टन प्रतिवर्ष तथा कोल गैसीफायर–2,000 सामान्य घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु आवेदन किया गया है। वर्तमान में परियोजना का विनियोग 4.50 करोड़ है तथा क्षमता विस्तार उपरांत परियोजना का विनियोग 5.50 करोड़ है। इस प्रकार परियोजना का कुल विनियोग रुपए 10 करोड़ होगा।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/06/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 472वीं बैठक दिनांक 27/06/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री जयंत ऐरन, डायरेक्टर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **जल एवं वायु सम्मति –**

- क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, बिलासपुर से स्टील इंगॉट्स (2 नग इण्डक्शन फर्नेस क्षमता 7 टन) 35,770 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष हेतु एवं एम.एस. रोल्ड प्रोडक्ट्स क्षमता–32,000 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष हेतु जल एवं वायु सम्मति नवीनीकरण दिनांक 22/10/2019 को जारी की गई है, जिसकी वैद्यता 30/04/2025 तक है।

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है। समिति का मत है कि वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल

द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. **निकटतम स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी –**

- समीपस्थ आबादी ग्राम कोरमी 2 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। निकटतम रेल्वे स्टेशन बिलासपुर 4.3 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। चकरभाटा विमानपत्तन, बिलासपुर 14 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। अरपा नदी 11.6 कि.मी. दूर है।

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 किलोमीटर की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

3. **लीज का विवरण** – छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रीयल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के दिनांक 14/03/2005 के द्वारा प्लॉट नं. 22, क्षेत्रफल 12.68 एकड़ (5.13 हेक्टेयर) हेतु भूमि को लीज मेसर्स अरोरा (छत्तीसगढ़) इनर्जी एण्ड स्टील प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–हरदीकला, सिलपहरी औद्योगिक क्षेत्र, जिला–बिलासपुर के नाम पर जारी की गई है, जिसकी वैधता दिनांक 13/03/2104 तक है।

4. छत्तीसगढ़ शासन, वानिज्य एवं उद्योग विभाग, मंत्रालय दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ 11–23/2012/11/(6) दिनांक 16/04/2012 के द्वारा जिला–बिलासपुर, ग्राम सिल्पहरी एवं अन्य तीन ग्राम स्थित 605.95 एकड़ भूमि को सिल्पहरी औद्योगिक क्षेत्र अधिसूचित किया गया है।

5. **लेण्ड एरिया स्टेटमेंट –**

S.No.	Land use	Area (in SQM)	Area (%)
1.	Construction area	9,805	19
2.	Open & Road area	24,962.15	48
3.	Green belt area	17,205	33
	Total	**51,972.15**	**100**

समिति का मत है कि अद्यतन एवं क्षमता विस्तार उपरांत के स्थिति में लेण्ड एरिया स्टेटमेंट (क्षेत्रफल एवं प्रतिशत) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

6. **रॉ–मटेरियल –**

S. No.	Raw Material	Quantity (TPA)	Source	Mode
For M.S Billets/ Ingots				
1.	Sponge Iron	49,000	Open Market	By Road (through covered trucks)
2.	Scraps	12,400	Open Market	By Road (through covered trucks)
3.	Ferro Alloys	600	Open Market	By Road (through covered trucks)
For Rolling Mill				
1.	Billets	59,900	Own	-

			Induction Furnace	

7. प्रस्तावित इकाई संबंधी जानकारी –

S. No.	Name	Existing Installed Capacity	Total Capacity After Expansion
1.	Induction Furnace	35,700 TPA	59,900 TPA
2.	Hot Charged Rolling Mill	32,000 TPA	59,900 TPA

8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ प्रस्तुत किया गया है कि उनके द्वारा त्रुटिवश ऑनलाईन आवेदन में 2,000 घनमीटर प्रतिवर्ष कोल गैसीफायर का उल्लेख हो गया है। जिसका स्थापना प्रस्तावित उद्योग में नहीं किया जाएगा। समिति का मत है कि वर्तमान में स्थापित उद्योग में कौन–कौन से प्लांट एवं मशीनरी स्थापित है तथा स्थापित उद्योग में वर्तमान में वायु प्रदूषण नियंत्रण, जल प्रदूषण नियंत्रण, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, वृक्षारोपण एवं अन्य के संबंध में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से जानकारी एवं दस्तावेज (फोटोग्राफ सहित) जानकारी मंगाया जाना आवश्यक है।

9. **वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था –** प्रस्तावित परियोजना हेतु फ्यूम एक्सट्रेक्शन सिस्टम के साथ बेग फिल्टर एवं 35 मीटर ऊंची चिमनी स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। उपरोक्त व्यवस्था से पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 30 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर से कम रखा जाना प्रस्तावित है। फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण हेतु जल छिड़काव किया जाता है। यही व्यवस्था प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत अपनाई जाएगी।

10. **ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था –** परियोजना हेतु इण्डक्शन फर्नेस से स्लेग 1,100 टन प्रतिवर्ष ठोस अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होगा। रोलिंग मिल से मिल स्केल 500 टन प्रतिवर्ष, एण्ड कटिंग 600 टन प्रतिवर्ष एवं युज्ड ऑयल 1 टन प्रतिवर्ष ठोस के रूप में उत्पन्न होगी। मिल स्केल को पुनःउपयोग किया जाएगा। समिति का मत है कि वर्तमान एवं क्षमता विस्तार उपरांत के स्थिति में इण्डक्शन फर्नेस एवं रोलिंग मिल से उत्पन्न ठोस अपशिष्ट एवं उसके अपवहन व्यवस्था की विस्तृत जानकारी पृथक–पृथक प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

11. **जल प्रबंधन व्यवस्था –**

- **जल खपत एवं स्त्रोत** – प्रस्तावित परियोजना हेतु कुल 19 घनमीटर प्रतिदिन (घरेलू उपयोग हेतु 8 घनमीटर प्रतिदिन, औद्योगिक प्रक्रिया हेतु 11 घनमीटर प्रतिदिन, ग्रीन बेल्ट एवं डस्ट सप्रेशन हेतु 6 घनमीटर प्रतिदिन) का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। परियोजना अंतर्गत औद्योगिक प्रक्रिया हेतु आवश्यक जल की आपूर्ति सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी के माध्यम से की जाएगी। समिति का मत है कि वर्तमान एवं क्षमता विस्तार उपरांत के स्थिति में जल खपत एवं स्त्रोत की विस्तृत जानकारी पृथक–पृथक प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। साथ ही संबंधित शाखा से अनुमति पत्र प्राप्त कर समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

- **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – औद्योगिक प्रक्रिया से दूषित जल उत्पन्न होता है। रोलिंग मिल से कुलिंग उपरांत प्राप्त दूषित जल को ठंडा कर पुनः कूलिंग हेतु उपयोग में लाया जाता है। यही व्यवस्था प्रस्तावित कार्यकलाप

उपरांत अपनाई जाएगी। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत घरेलू दूषित जल की मात्रा 6 घनमीटर प्रतिदिन होगी। परियोजना से उत्पन्न दूषित जल के उपचार हेतु एमबीबीआर तकनीक आधारित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्षमता 8 घनमीटर प्रतिदिन की स्थापना प्रस्तावित है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के अंतर्गत बार स्क्रीन, ऑयल एण्ड ग्रीस ट्रेप, रॉ–सीवेज कलेक्शन टैंक, एमबीबीआर टैंक, स्लज पम्पस, फिल्टर प्रेस, इंटरमेडियेट टैंक, प्रेसर सेण्ड फिल्टर, एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर एवं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन आदि स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाएगी।

12. **भू–जल उपयोग प्रबंधन** – परियोजना स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार सेफ जोन में आता है। जिसके अनुसार–

(अ) वृहद एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 40 प्रतिशत दूषित जल का पुनःचक्रण एवं पुनःउपयोग किया जाना है।

(ब) ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक यथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग / ऑर्टिफिशियल जल रिचार्ज के आधार पर भू–जल निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान है। अतः उद्योग को रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

13. **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था** – वर्तमान में एवं क्षमता विस्तार उपरांत परिसर के पूर्ण रनऑफ अनुसार विस्तृत गणना कर रेन वॉटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

14. **विद्युत आपूर्ति स्त्रोत** – परियोजना हेतु कुल 7 मेगावॉट विद्युत की आवश्यकता होगी। विद्युत की आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड से की जाएगी। वैकल्पिक व्यवस्था हेतु 125 के.व्ही.ए. के 2 नग डी.जी. सेट का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है।

15. **वृक्षारोपण संबंधी जानकारी** – हरित पट्टिका के विकास हेतु कुल क्षेत्रफल के 1.71 हेक्टेयर (33 प्रतिशत) क्षेत्र में 4,250 नग पौधें रोपित किया जाना प्रस्तावित है। समिति का मत है कि हरित पट्टिका का क्षेत्रफल 33 प्रतिशत से बढ़ाकर 45 प्रतिशत किया जाना आवश्यक है एवं वृक्षारोपण हेतु (पौधों की संख्या सहित) पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का वर्षवार घटकवार एवं समयवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

16. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु उपयुक्त विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत किये जाने एवं वर्तमान में स्थापित उद्योग में कौन–कौन से प्लांट एवं मशीनरी स्थापित है तथा स्थापित उद्योग में वर्तमान में वायु प्रदूषण नियंत्रण, जल प्रदूषण नियंत्रण, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, वृक्षारोपण एवं अन्य के संबंध में छत्तीसगढ़ पर्यावरण

संरक्षण मंडल से जानकारी एवं दस्तावेज (फोटोग्राफ सहित) मंगाये जाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को लेख किया जाए।

2. अद्यतन एवं क्षमता विस्तार उपरांत के स्थिति में लेण्ड एरिया स्टेटमेंट (क्षेत्रफल एवं प्रतिशत) प्रस्तुत किया जाए।

3. वर्तमान एवं क्षमता विस्तार उपरांत के स्थिति में इण्डक्शन फर्नेस एवं रोलिंग मिल से उत्पन्न ठोस अपशिष्ट एवं उसके अपवहन व्यवस्था की विस्तृत जानकारी पृथक–पृथक प्रस्तुत किया जाए।

4. वर्तमान एवं क्षमता विस्तार उपरांत के स्थिति में जल खपत एवं स्त्रोत की विस्तृत जानकारी पृथक–पृथक प्रस्तुत किया जाए। साथ ही संबंधित शाखा से अनुमति पत्र प्राप्त कर समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाए।

5. वर्तमान में घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु की गई व्यवस्था के संबंध जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

6. वर्तमान में एवं क्षमता विस्तार उपरांत परिसर के पूर्ण रनऑफ अनुसार विस्तृत गणना कर रेन वॉटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

7. रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था पश्चात् को रिचार्ज किया जा सकेगा। सभी रिचार्ज स्ट्रक्चर्स इस प्रकार निर्मित किए जाएगें कि इनमें समान मात्रा में वर्षा जल का बहाव हो सके।

8. परियोजना के कुल क्षेत्रफल का 45 प्रतिशत क्षेत्र में हरित पट्टिका विकास हेतु (पौधों की संख्या सहित) पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का वर्षवार घटकवार एवं समयवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उनके विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

11. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु उपयुक्त विस्तृत प्रस्ताव (डी.पी.आर.) प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/08/2023 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 04/09/2023 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(ब) समिति की 490वीं बैठक दिनांक 27/09/2023:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 2697, दिनांक 01/09/2023 द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत किये गये है, जिसके अनुसार पूर्ण शर्तों का पालन किया जाना बताया गया है।

2. अद्यतन एवं क्षमता विस्तार उपरांत के स्थिति में लेण्ड एरिया स्टेटमेंट (क्षेत्रफल एवं प्रतिशत) प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसारः–

Land use	Existing Unit		Proposed Expansion	
	Area (m^2)	Area (%)	Area (m^2)	Area (%)
Building sheds area	8,010	15.61	8,155	15.89
Road/paved area	8,000	15.59	7,000	13.64
Green belt area	16,929	33	23,085	45
Open land area	16,711	32.57	11,410	22.24
Rain water reservoir	1,650	3.21	1,650	3.21
Total Area	**51,300**	**100**	**51,300**	**100**

3. वर्तमान एवं क्षमता विस्तार उपरांत उत्पन्न ठोस अपशिष्ट एवं उसके अपवहन व्यवस्था की विस्तृत जानकारी पृथक–पृथक प्रस्तुत किया है, जिसके अनुसारः–

Name of Waste	Quantity (TPA)	Management
Mill Scale	500	Use in Process (again melt in Induction furnace)
End Cutting	600	Use in Process (again melt in Induction furnace)
Used Oil	1.0	Use as libricating of rolling mill machines
Slag	1,100	Send to nearby bricks manufacturing unit and used for the road construction
Slag will be transported by tarpaulins covered trucks to nearby bricks manufacturing unit and road construction other waste will be utilized in house.		

4. वर्तमान में परियोजना हेतु कुल 9.8 घनमीटर प्रतिदिन (कूलिंग हेतु 4.8 घनमीटर प्रतिदिन, डस्ट सप्रेशन के लिए 1 घनमीटर प्रतिदिन, घरेलू उपयोग हेतु 3 घनमीटर प्रतिदिन एवं वृक्षारोपण के लिए 1 घनमीटर प्रतिदिन) उपयोग किया जाता है। क्षमता विस्तार उपरांत परियोजना हेतु कुल 19 घनमीटर प्रतिदिन (कूलिंग हेतु 11 घनमीटर प्रतिदिन, डस्ट सप्रेशन के लिए 3 घनमीटर प्रतिदिन, घरेलू उपयोग हेतु 8 घनमीटर प्रतिदिन एवं वृक्षारोपण के लिए 3 घनमीटर प्रतिदिन) उपयोग किया जाएगा। जल की आपूर्ति भू–जल से की जाती है। यही व्यवस्था क्षमता विस्तार उपरांत भी अपनाई जाएगी। भू–जल की उपयोगिता (19 घनमीटर प्रतिदिन) हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वाटर अथॉरिटी से दिनांक 28/08/2026 तक के लिए अनुमति प्राप्त की गई है।

5. औद्योगिक प्रक्रिया से कुलिंग उपरांत जनित दूषित जल को ठंडा कर पुनः कूलिंग हेतु उपयोग में लाया जाता है। परियोजना से उत्पन्न घरेलू दूषित जल की मात्रा 6 घनमीटर प्रतिदिन होगी, जिसके उपचार हेतु एमबीबीआर तकनीक आधारित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना प्रस्तावित है। उपचारित दूषित जल का उपयोग डस्ट सप्रेशन एवं वृक्षारोपण हेतु किया जाएगा। शून्य निस्सारण की स्थिति रखा जाना प्रस्तावित है।

6. वर्तमान में उद्योग परिसर में वर्षा के पानी का कुल रनऑफ 23,151.06 घनमीटर है। वर्तमान में रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के अंतर्गत 2 नग रिचार्ज पिट (व्यास 4 मीटर एवं गहराई 6 मीटर) एवं शेष वर्षा जल को तालाब में एकत्रित किया जाता है। क्षमता विस्तार उपरांत उद्योग परिसर में वर्षा के पानी का कुल रनऑफ 22,354.8 घनमीटर है। क्षमता विस्तार के तहत् रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के अंतर्गत 1 नग रिचार्ज पिट (व्यास 4 मीटर एवं गहराई 6 मीटर) निर्मित किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था पश्चात् परिसर के पूर्ण रनऑफ को रिचार्ज किया जा सकेगा। सभी रिचार्ज स्ट्रक्चर्स इस प्रकार निर्मित किए जाएगें कि इनमें समान मात्रा में वर्षा जल का बहाव हो सके।

7. परियोजना के कुल क्षेत्रफल का 23,085 वर्गमीटर (45 प्रतिशत) क्षेत्र में वृक्षारोपण (बड़, नीम, पीपल, बेल, आंवला, जामुन आदि) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 1,770 नग पौधों के लिए राशि 3,62,850 रूपये, खाद के लिए राशि 88,500 रूपये तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 1,46,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 5,97,350 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 7,06,606 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	**CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)**
550	2%	11	Following activities at nearby	
			Pavitra Van Nirman	11.02
			Total	**11.02**

सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन निर्माण" के तहत् (बड़, नीम, पीपल, बेल, आंवला, जामुन आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 456 नग पौधों के लिए राशि 93,480 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 1,02,000 रूपये, खाद के लिए राशि 22,800 रूपये, सिंचाई के लिए राशि 24,624 रूपये तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 1,46,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 3,88,904 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 7,13,660 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत सिलपहरी

के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 18/2, क्षेत्रफल 0.18 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

11. वर्तमान में सम्मति प्राप्त इकाईयों से उत्पादन की दशा में स्क्रबर एवं चिमनी से पार्टिकुलेट मेटर 50 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किये जाने से उत्सर्जन की मात्रा 6,978 किलोग्राम प्रतिवर्ष होता है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत प्रस्तावित इकाईयों से उत्पादन की दशा में बेग फिल्टर एवं चिमनी से पार्टिकुलेट मेटर 30 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किये जाने से उत्सर्जन की मात्रा 4,186.8 किलोग्राम प्रतिवर्ष होगा।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि मेसर्स अरोरा छत्तीसगढ़ एनर्जी एण्ड स्टील प्राईवेट लिमिटेड में प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत् ग्राम–हरदीकला, सिलपहरी औद्योगिक क्षेत्र, जिला–बिलासपुर स्थित क्षेत्रफल–5.13 हेक्टेयर में इण्डक्शन फर्नेस (2 गुणा 7 टन) क्षमता – 35,770 टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर (2x7 टन + 1x8 टन) क्षमता 59,900 टन प्रतिवर्ष एवं हॉट चार्जिंग रोलिंग मिल क्षमता–32,000 टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 59,900 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 09/01/2024 को संपन्न 161वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि आवेदित प्रकरण सिलपहरी औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है एवं क्षमता विस्तार का प्रकरण है। अतः भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा "Exemption from Public Consultation for the projects/activities located within the Industrial Estates/Parks-regarding" हेतु जारी ओ.एम. दिनांक 27/04/2018 के अनुसार निम्न प्रावधान है:–

(i) The exemption from public consultation, as provided under para 7(i) III Stage (3)(i)(b) of EIA Notification, 2006, to the projects or activities located within the industrial estates or parks, if applicable as under:

(a) Which were notified by the Central Government or the State/UT Governments, prior to the said Notification coming into force on 14th September, 2006

(b) Which obtain prior environmental clearances as mandated under the EIA Notification, 2006 [item 7(c) of the schedule to the said Notification].

(ii) The exemption from public consultation, as provided under para 7(i) III State (3)(i)(b) of the EIA Notification, 2006, is also applicable to the projects or activities (located within the industrial estates and parks), which were granted Terms of Reference (ToR/Standard ToR) prior to environmental clearances to such industrial estates/parks, subject to validity of the ToRs.

प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से उपरोक्त ओ.एम./तथ्यों के परिपेक्ष्य में परीक्षण उपरांत उपयुक्त अनुशंसा किये जाने हेतु प्रकरण को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

(ब) समिति की 511वीं बैठक दिनांक 31/01/2024:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 24/12/2013 को जारी ऑफिस मेमोरेण्डम के अनुसार प्रस्तावित उत्पाद/उत्पादन क्षमता बी–2 श्रेणी के अतंर्गत आता है।
2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 27/04/2018 के अनुसार घोषित औद्योगिक क्षेत्र के भीतर बी–1 श्रेणी के अंतर्गत आने वाले उद्योगो को लोक सुनवाई से छुट दिये जाने का प्रावधान है।

प्रस्तावित परियोजना बी–2 श्रेणी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 27/04/2018 लागू नही होगा।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पूर्व में समिति की 490वीं बैठक दिनांक 27/09/2023 में की गई अनुशंसा के आधार पर पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने की अनुशंसा की गई थी एवं पुनः अनुशंसा की जाती है। उक्त बैठक में निहित की गई शर्ते यथावत् रहेगी।

राज्य स्तर पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

4. मेसर्स डुमरडीहकला लाईम स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री पवन वाधवा), ग्राम–डुमरडीहकला, तहसील व जिला–राजनांदगांव (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1010)

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 43830, दिनांक 08/11/2019 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 73613/ 2020, दिनांक 07/04/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–डुमरडीहकला, तहसील व जिला–राजनांदगांव स्थित खसरा क्रमांक–23, कुल क्षेत्रफल–0.631 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–18,000 टन प्रतिवर्ष है।

पूर्व में एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 08/05/2020 द्वारा प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु जारी किया गया।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 08/07/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 415वीं बैठक दिनांक 14/07/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री पवन वाधवा, प्रोपराईटर एवं पर्यावरण सलाहकार के रूप में मेसर्स पी एण्ड एम सॉल्युशन, नोएडा, उत्तरप्रदेश की ओर से श्री जगमोहन चन्द्रा

उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गईः–

1. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि ड्राफ्ट ई.आई.ए. रिपोर्ट मेसर्स इण्डियन माईन प्लानर एण्ड कन्सलटेंट, कोलकाता द्वारा तैयार किया गया था। मेसर्स इण्डियन माईन प्लानर एण्ड कन्सलटेंट द्वारा अपरिहार्य कारणों से आवेदित प्रकरण की पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्ति हेतु आगामी कार्यवाही को जारी रखने में असक्षमता व्यक्त की गई। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा मेसर्स पी एण्ड एम सॉल्युशन, नोएडा, उत्तरप्रदेश को नियुक्त किया गया। इस बाबत् परियोजना प्रस्तावक द्वारा अण्डरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया गया है। तत्पश्चात् मेसर्स पी एण्ड एम सॉल्युशन, नोएडा, उत्तरप्रदेश द्वारा विश्लेषण एवं सत्यापित (Analyzed and verified) कर फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट का प्रस्तुतीकरण किया गया। आवेदित प्रकरण से संबंधित समस्त तथ्यों का उत्तरदायित्व मेसर्स पी एण्ड एम सॉल्युशन का होना बताया गया।

2. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरणः–**

   i. पूर्व में चूना पत्थर खदान खसरा क्रमांक 23, कुल क्षेत्रफल–0.631 हेक्टेयर, क्षमता–16,000 टन प्रतिवर्ष हेतु जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–राजनांदगांव द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 06/09/2016 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से दिनांक 31/03/2020 तक वैध थी।

   ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तो के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

   iii. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण किया गया है।

   iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 1394/ख.लि. 02/2022 राजनांदगांव, दिनांक 05/07/2022 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार हैः–

वर्ष	उत्पादन (टन)	वर्ष	उत्पादन (टन)
2009	625	2017	2,050
2010	8,487	2018	13,200
2011	658	2019	5,900
2012	9,820	2020	5,520
2013	5,355	2021	2,000
2014–16	निरंक	2022 (मार्च तक)	1,000

पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 31/03/2020 को समाप्त होने के उपरांत भी उत्खनन किया गया है। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ. एम. दिनांक 25/03/2020 के अनुसार जिन परियोजनाओं एवं कार्यकलापों को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 15/03/2020 से 30/04/2020 के मध्य समाप्त हो रही है। उनकी पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता **दिनांक**

30/06/2020 तक वृद्धि की गई है। तदानुसार जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 30/06/2020 तक थी। समिति द्वारा पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 30/06/2020 को समाप्त होने के पश्चात् भी उत्खनन का कार्य किया गया है। अतः उल्लंघन का प्रकरण होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 28/01/2022 के अनुसार "The interim order passed by the Madras High Court appears to be misconceived. However, this Court is not hearing an appeal from that interim order. The interim stay passed by the Madras High Court can have no application to operation of the Standard Operating Procedure to projects in territories beyond the territorial jurisdiction of Madras High Court. Morever, final decision may have been taken in accordance with the Orders/Rules prevailing prior to 7th July, 2021" का उल्लेख है। भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 07/07/2022 के अनुसार उल्लंघन के प्रकरणों हेतु स्टैण्डर्ड ऑफ प्रोसिजर (SOP) जारी की गई है, जिसके अनुसारः–

i. Such cases of violation shall be subject to appropriate
   a) Damage Assessment
   b) Remedial Plan and
   c) Community Augmentation Plan by the Central level Sectoral Expert Appraisal Committees or State/UnionTerritory level Expert Appraisal Committees, as the case may be.

ii. The Competent Authority shall issue directions to the project proponent, under section 5 of the Environment (Protection) Act, 1986 on case to case basis mandating payment of such amount (as may be determined based on Polluters Pay principle) and undertaking activities relating to Remedial Plan and Community Augmentation Plan (to restore environmental damage caused including its social aspects).

iii. The project proponent will be required to submit a bank guarentee equivalent to the amount of Remediation Plan and Natural and Community Resource Augmentation Plan with Central / the State Pollution Control Board (depending on whether it is appraised at Ministry or by SEIAA). The quantification of such liability will be recommended by Expert Appraisal Committee and finalized by Regulatory Authority. The bank guarantee shall be deposited prior to the grant of environmental clearance and will be released after successful implementation of the Remediation Plan and Natural and Community Resource Augmentation Plan.

iv. Penalty provisions for violation cases and applications: Where operation have commenced without EC: 1% of the total project cost incurred up to the date of filing of application along with EIA/EMP report PLUS 0.25% of the total turnover during the period of violation.

उपरोक्त बिन्दुओं के आधार पर जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

3. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत डुमरडीहकला का दिनांक 12/12/2007 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

4. **उत्खनन योजना** – मॉडिफाईड क्वारी प्लान (विथ इन्वायरोमेंट प्लान एण्ड क्वारी क्लोजर प्लान) प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त–संचालक (ख.प्र.), संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्रमांक 843/खनि02/मा.प्ल.अनुमोदन/न.क्र.05/2019(3) नवा रायपुर, दिनांक 25/02/2022 द्वारा अनुमोदित है।

5. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान**– कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/2634/ख.लि. 03/2019 राजनांदगांव, दिनांक 24/10/2019 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 10 खदानें, क्षेत्रफल 10.65 हेक्टेयर है। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि आवेदित खदान को शामिल करते हुये 500 मीटर के भीतर अवस्थित कुल 32 खदानें है। इस संबंध में समिति का मत है कि आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों संबंधी जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

6. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/2634/ख.लि. 03/2019 राजनांदगांव, दिनांक 24/10/2019 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, एनीकट, बांध एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।

7. **भूमि एवं लीज का विवरण** – भूमि आवेदक के नाम पर है। लीज श्री शंकर ज्ञानचंदानी के नाम पर थी, जिसकी अवधि 05 वर्ष (दिनांक 28/05/2008 से 27/05/2013) तक थी। तत्पश्चात् लीज डीड 25 वर्षों अर्थात् दिनांक 28/05/2013 से 27/05/2038 तक की अवधि हेतु विस्तारित की गई है। कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के पृ. ज्ञापन क्रमांक/471/ख.लि. 02/2017 राजनांदगांव, दिनांक 01/03/2017 को लीज का हस्तांतरण श्री पवन वाधवा के नाम पर किया गया है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डल अधिकारी, राजनांदगांव वनमण्डल, राजनांदगांव के ज्ञापन क्र./मा.चि./न.क्र. 10–2/2019/13139 राजनांदगांव, दिनांक 23/12/2019 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 10 कि.मी. की दूरी पर है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–ढाबा 1 कि.मी., स्कूल ग्राम–डुमरडीह 1.7 कि.मी. एवं अस्पताल राजनांदगांव 16 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 16 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 1 कि.मी. दूर है। तालाब ग्राम–ढाबा 1 कि.मी. दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 1,89,300 टन (75,720 घनमीटर), माईनेबल रिजर्व 75,082 टन (30,033 घनमीटर) एवं

रिकव्हरेबल रिजर्व 28,101 टन (11,240 घनमीटर) है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 2,544 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 13 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है तथा कुल मात्रा 1,000 घनमीटर था। वर्तमान में लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी अवस्थित नहीं है। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 5 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:—

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	6,000
द्वितीय	6,000
तृतीय	6,000
चर्तुथ	5,000
पंचम	5,000

13. **जल आपूर्ति** — परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 3 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से की जाएगी। इस बाबत् सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** — लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 636 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के भीतर पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के तहत् निम्नानुसार कार्य प्रस्तावित है:—

विवरण		प्रथम (रूपये)	द्वितीय (रूपये)	तृतीय (रूपये)	चतुर्थ (रूपये)	पंचम (रूपये)
खदान के बाउण्ड्री में (636 नग) वृक्षारोपण हेतु	वृक्षारोपण (90 प्रतिशत जीवन दर) हेतु राशि	48,336	4,864	4,864	4,864	4,864
	फेंसिंग हेतु राशि	79,100	—	—	—	—
	खाद हेतु राशि	4,770	480	480	480	480
	सिंचाई एवं रख-रखाव हेतु राशि	2,36,000	2,16,000	2,16,000	2,16,000	2,16,000
कुल राशि = 12,53,582		**3,68,206**	**2,21,344**	**2,21,344**	**2,21,344**	**2,21,344**

15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** — लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 2,544 वर्गमीटर क्षेत्र है, जिसमें से पूर्व दिशा में 94.5 वर्गमीटर क्षेत्र 6 मीटर की गहराई तक, पश्चिम दिशा में 760 वर्गमीटर क्षेत्र 5 मीटर की गहराई तक, उत्तर दिशा में 50 वर्गमीटर क्षेत्र 2 मीटर की गहराई तक तथा दक्षिण दिशा में 231 वर्गमीटर क्षेत्र 5 मीटर की गहराई तक उत्खनित है जिसका उल्लेख अनुमोदित मॉडिफाईड क्वॉरी प्लान में किया गया है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लघंन है। अतः परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध खनिज विभाग द्वारा अवैध उत्खनन किये जाने हेतु अर्थदण्ड राशि रूपये 1,39,000/— लगाया गया था, जिसको परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 10/02/2022 द्वारा अर्थदण्ड राशि रूपये 1,39,000/— खनिज विभाग में जमा किया जाकर रसीद की

प्रति प्रस्तुत की गई है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को आवश्यक कार्यवाही किया जाना आव"यक है।

16. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त क्रमांक VIII (i) के अनुसारः–

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आव"यक है।

17. **ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण :–**

i. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी** – मॉनिटरिंग कार्य अक्टूबर 2020 से दिसंबर 2020 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 12 स्थानों पर परिवेषीय वायु गुणवत्ता मापन, 12 स्थानों पर भू–जल गुणवत्ता मापन, 12 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 2 स्थलों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 12 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विष्लेषण किया गया है।

ii. **मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पीएम, एसओ$_2$, एनओ$_2$ का सान्द्रण लेवलः–**

Concentration level (µg/m^3) of criteria pollutants			
Criteria Pollutants	**Minimum (µg/m^3)**	**Maximum (µg/m^3)**	**CPCB Standard (µg/m^3)**
$PM_{2.5}$	21.39	40.45	60
PM_{10}	42.65	65.33	100
SO_2	5.09	9.87	80
NO_2	9.48	15.95	80

iii. **परियोजना स्थल के आसपास जल स्त्रोतों की गुणवत्ताः–** ई.आई.ए. के Chapter-3 Description of environment में दर्शाये गये टेबल अनुसार क्लोराइडस, नाइट्रेट्स, सल्फर, कार्बोनेट्स एवं अन्य रसायनिक तत्वों का सान्द्रण लेवल भारतीय मानक से कम है।

iv. **परिवेशीय ध्वनि स्तरः–**

Noise level - dB (A)			
Equivalent Noise level	**Minimum dB (A)**	**Maximum dB (A)**	**CPCB Standard dB (A)**
Day L_{eq}	43.2	61.1	75
Night L_{eq}	37.9	54.9	70

जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से कम है।

v. **पी.सी.यू. की गणनाः–** भारी वाहनों / मल्टीएक्शल हैवी वाहनों को समाहित करते हुये ट्रैफिक अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार वर्तमान

में 73 पी.सी.यू. प्रतिघंटा एवं व्ही/सी अनुपात (V/C ratio) 0.06 है। प्रस्तावित परियोजना उपरांत 6 पी.सी.यू. की वृद्धि होगी। तत्पश्चात् कुल 79 पी.सी.यू. प्रतिघंटा एवं व्ही/सी अनुपात (V/C ratio) 0.07 होगी। विस्तार के उपरांत भी रॉ–मटेरियल / प्रोडक्ट्स के परिवहन हेतु सड़क मार्ग की लोड कैरिंग क्षमता निर्धारित मानक (Excellent 0.0-0.2) के भीतर है।

18. लोक सुनवाई दिनांक 17/09/2021 दोपहर 12:00 बजे स्थान – ग्राम पंचायत भवन, ग्राम–डुमरडीहकला, तहसील व जिला–राजनांदगांव में संपन्न हुई। लोक सुनवाई दस्तावेज सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर के पत्र दिनांक 03/11/2021 द्वारा प्रेषित किया गया है।

19. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि आवेदित खदान को शामिल करते हुये क्लस्टर में कुल 32 खदानें आती है, जिसमें से वर्तमान में 17 खदानों द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु आवेदन किया गया है एवं शेष खदानों को पूर्व से ही पर्यावरणीय स्वीकृति जारी हो चुकी है। अतः कुल 17 खदानों द्वारा सामूहिक रुप से जनसुनवाई कराया गया है। **जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं:–**

i. खदान से निकलने वाले मिट्टी को नाले एवं सड़क किनारे डाल दिया जाता है एवं 7 एकड़ भूमि पर मिट्टी डाल दिया गया है। गांव में मवेशियों के लिये चारा नहीं बचता है।

ii. हैवी ब्लास्टिंग से घरों में दरार आ जाती है। ब्लास्टिंग के समय चवेली में चलना दुर्भर होता है, ब्लास्टिंग करने के दौरान सड़क बंद कर दिया जाता है।

iii. खदान में काम करने वाले श्रमिकों को जरूरत की सुविधाऐं प्रदान नहीं की जाती है। क्रशर सड़क से लगा हुआ है, उसके चलने के कारण कई एक्सीडेंट हो चुके है, जिससे कई लोगों की मृत्यु हो चुकी है।

iv. गांव के पास शासकीय भूमि का अवैध रूप से उत्खनन किया जाता है। वृक्षारोपण तथा जल छिड़काव का कार्य भी नहीं किया जाता है।

लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावकों की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि/कंसलटेंट का कथन निम्नानुसार है:–

i. खदान से निकलने वाले मिट्टी को नाले एवं सड़क किनारे नहीं डाला जाएगा, उसे खदान के 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में फैलाकर वृक्षारोपण का कार्य किया जाएगा।

ii. अनुभवी कांट्रेक्टर की निगरानी में ही कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाएगा, ब्लास्टिंग निम्न स्तर पर किया जाना प्रस्तावित है। ब्लास्टिंग के पूर्व हुटर बजाकर लोगों को सूचना दी जाएगी, जिससे ग्रामीणों को कम नुकसान या परेशानी नहीं होगी।

iii. खदान में काम करने वाले श्रमिकों के लिए समय–समय पर स्वास्थ्य शिविर लगाया जाएगा।

iv. माईनिंग प्लान के अनुसार ही उत्खनन कार्य किया जाएगा। खदान के बाउण्ड्री तथा हॉल रोड में वृक्षारोपण का कार्य निश्चित रूप से किया

जाएगा। वृक्षारोपण एवं धूल उत्सर्जन को रोकने के लिए सड़क पर दो से तीन बार जल का छिड़काव किया जाएगा।

20. क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मैनेजमेंट प्लान – परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि आवेदित खदान को शामिल करते हुये क्लस्टर में कुल 32 खदानें आती है। अतः क्लस्टर में शामिल खदानों द्वारा कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है। कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान के तहत् निम्न कार्य प्रस्तावित है:–

विवरण		प्रथम (रूपये)	द्वितीय (रूपये)	तृतीय (रूपये)	चतुर्थ (रूपये)	पंचम (रूपये)
प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिवहन के दौरान सड़कों/पहुंच मार्ग से उत्पन्न धूल उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव, पहुँच मार्ग की कुल लम्बाई 8 कि.मी.		3,60,000	3,60,000	3,60,000	3,60,000	3,60,000
पहुँच मार्ग के दोनों तरफ (5,333 नग) वृक्षारोपण हेतु	वृक्षारोपण (90 प्रतिशत जीवन दर) हेतु राशि	4,05,308	40,508	40,508	40,508	40,508
	फेंसिंग हेतु राशि	42,66,400	–	–	–	–
	खाद हेतु राशि	39,990	3,990	3,990	3,990	3,990
	सिंचाई एवं रख– रखाव हेतु राशि	20,28,000	17,28,000	17,28,000	17,28,000	17,28,000
सड़कों / पहुँच मार्ग के संधारण हेतु		4,00,000	4,00,000	4,00,000	4,00,000	4,00,000
हेल्थ चेकअप केम्प		1,00,000	1,00,000	1,00,000	1,00,000	1,00,000
कुल राशि= 1,81,29,690		**75,99,698**	**26,32,498**	**26,32,498**	**26,32,498**	**26,32,498**

कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता निम्नानुसार होगी:–

विवरण	प्रथम (रूपये)	द्वितीय (रूपये)	तृतीय (रूपये)	चतुर्थ (रूपये)	पंचम (रूपये)
प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिवहन के दौरान सड़कों/पहुंच मार्ग से उत्पन्न धूल उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव, पहुँच मार्ग की कुल लम्बाई 242 मीटर, सड़कों / पहुँच मार्ग के संधारण हेतु एवं हेल्थ चेकअप केम्प	20,625.5	20,625.5	20,625.5	20,625.5	20,625.5

पहुँच मार्ग के दोनों तरफ (81 नग) वृक्षारोपण हेतु	वृक्षारोपण (90 प्रतिशत जीवन दर) हेतु राशि	6,156	608	608	608	608
	फेंसिंग हेतु राशि	64,800	6,400	6,400	6,400	6,400
	खाद हेतु राशि	600	60	60	60	60
	सिंचाई एवं रख–रखाव हेतु राशि	20,690.4	12,679.3	12,679.3	12,679.3	12,679.3
कुल राशि = 2,74,363.1		1,12,871.9	40,372.8	40,372.8	40,372.8	40,372.8

21. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों एवं माननीय एन.जी.टी. द्वारा जारी आदेश के अनुसार सम्पूर्ण क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान तैयार किया जाना आवश्यक है।

समिति का मत है कि क्लस्टर में शामिल सभी खदानों द्वारा खनन के पर्यावरणीय दुष्प्रभावों की रोकथाम हेतु खदानों की वित्तीय एवं भौतिक सहभागिता सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

समिति का मत है कि क्लस्टर में आने वाले खदानों की उत्खनन गतिविधियों से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों की रोकथाम हेतु क्लस्टर में आने वाली शेष समस्त खदानों को शामिल करते हुये, क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने तथा कड़ाई से क्रियान्वित कराये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) के स्तर से उपयुक्त कार्यवाही किया जाना उचित होगा।

22. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
25	2%	0.50	Following activities at nearby, **Village-Dumardihkala**	
			Pavitra Van Nirman	12.31
			Total	**12.31**

23. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के अंतर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार "पवित्र वन" के तहत् (आँवला, बड़ पीपल, नीम, आम, अर्जुन, बेल आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 160 नग पौधों के लिए राशि 12,160 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 32,700 रूपये, खाद के लिए राशि 1,200 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 3,16,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 3,62,060 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 8,69,344 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम

पंचायत डुमरडीहकला के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 446, क्षेत्रफल 1.687 हेक्टेयर में से 0.1 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

24. ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर भंडारित कर संरक्षित रखे जाने हेतु, मिट्टी का अन्यत्र उपयोग न करने, विक्रय न करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने एवं इस मिट्टी का उपयोग पुनःभराव हेतु किये जाने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

25. ब्लास्टिंग का कार्य डी.जी.एम.एस. द्वारा अधिकृत विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था कि:-

1. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
2. Damage Assessment Plan, Remediation Plan and Natural and Community Resource Augmentation Plan को शामिल करते हुये पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति (Environment Compensation) की गणना कर जानकारी प्रस्तुत की जाए।
3. भविष्य में पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किये बिना उत्खनन नहीं करने एवं उत्खनन क्षमता से अधिक उत्खनन कार्य नहीं किये जाने बाबत् शपथ पत्र (undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
4. दिनांक 01/07/2020 से दिनांक 31/03/2022 तक की अवधि का परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान का आडिटेड बैलेंश शीट रिपोर्ट (Annual Report) की प्रति प्रस्तुत की जावे जिससे कि खदान का प्रश्नाधीन अवधि में टर्नओवर की जानकारी प्राप्त कर नियमानुसार अर्थदंड अधिरोपित किया जा सके।
5. आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों संबंधी नवीन प्रमाण पत्र खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाए।
6. छत्तीसगढ़ आदर्श पुर्नवास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
7. लोकसुनवाई के दौरान उठाये गये समस्त मुद्दों के निराकरण हेतु किये जाने वाले कार्यो बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए।
8. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।
9. क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान तैयार कर समस्त खदानों को एक नक्शे में प्रदर्शित करते हुये जानकारी प्रस्तुत की जाए। साथ ही क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों द्वारा कॉमन इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान के तहत् किये जाने वाले कार्यो हेतु अनुबंध कराकर जानकारी प्रस्तुत की जाए।
10. क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों के लिए तैयार कॉमन इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान हेतु सभी खदानों को अक्षांश एवं देशांतर सहित नक्शे में दर्शाते हुये प्रस्तुत किया जाए।

11. क्लस्टर में आने वाली खदानों की उत्खनन गतिविधियों से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले प्रभावों की रोकथाम हेतु क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों को शामिल करते हुये, क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने तथा क्रियान्वित कराने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) के स्तर से उपयुक्त कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 26/08/2022 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 20/09/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(ब) समिति की 425वीं बैठक दिनांक 21/09/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. परियोजना प्रस्तावक का कथन है कि चूंकि यह क्षमता विस्तार का प्रकरण नहीं है। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन स्वयं प्रमाणित कर प्रस्तुत किया गया है। इस संबंध में समिति का मत है कि एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. Damage Assessment Plan, Remediation Plan and Natural and Community Resource Augmentation Plan को शामिल करते हुये पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति (Environment Compensation) की गणना कर जानकारी प्रस्तुत किये जाने के संबंध परियोजना प्रस्तावक का कथन है कि हमारे द्वारा अवैध उत्खनन कार्य नहीं किया गया है। उत्खनन का कार्य खनिज विभाग से अनुमति तथा रॉयल्टी जमा करके ही खनन कार्य किया गया है तथा लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है। इस कारण से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति (Environment Compensation) की गणना नहीं की गई है। माईनिंग प्लान को अनुमोदित कराने के समय क्षतिपूर्ति की राशि चालान उत्खनन का जमा किया गया था। अतः परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध खनिज विभाग द्वारा अवैध उत्खनन किये जाने हेतु अर्थदण्ड राशि रूपये 1,39,000/– लगाया गया था, जिसको परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 10/02/2022 द्वारा अर्थदण्ड राशि रूपये 1,39,000/– खनिज विभाग में जमा किया जाकर रसीद की प्रति प्रस्तुत की गई है। इस संबंध में समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 30/06/2020 को समाप्त होने के पश्चात् भी उत्खनन का कार्य किया गया है। अतः उल्लंघन का प्रकरण होने के कारण Damage Assessment Plan, Remediation Plan and Natural and Community Resource Augmentation Plan को शामिल करते हुये पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति (Environment Compensation) की गणना कर जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

3. भविष्य में पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किये बिना उत्खनन नहीं करने एवं उत्खनन क्षमता से अधिक उत्खनन कार्य नहीं किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

4. दिनांक 01/07/2020 से दिनांक 31/03/2022 तक की अवधि का परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान का आडिटेड बैलेंश शीट रिपोर्ट (Annual Report) की प्रति प्रस्तुत नहीं किया गया है।

5. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/1393/ख.लि. 02/2022 राजनांदगांव, दिनांक 05/07/2022 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 30 खदानें, क्षेत्रफल 38.29 हेक्टेयर है।

6. छत्तीसगढ़ आदर्श पुर्नवास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

7. लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये समस्त मुद्दों के निराकरण हेतु किये जाने वाले कार्यो बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

8. क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान तैयार कर समस्त खदानों को एक नक्शे में प्रदर्शित करते हुये जानकारी प्रस्तुत की गई है। क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों द्वारा कॉमन इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान के तहत् किये जाने वाले कार्यो हेतु अनुबंध कराकर जानकारी प्रस्तुत की गई है।

9. क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों के लिए तैयार कॉमन इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान हेतु सभी खदानों को अक्षांश एवं देशांतर सहित जानकारी प्रस्तुत की गई है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।

2. उल्लंघन के लिए Environment Compensation की राशि की वास्तविक गणना करने हेतु जुलाई 2020 से अब तक किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाए।

3. Damage Assessment Plan, Remediation Plan and Natural and Community Resource Augmentation Plan को शामिल करते हुये पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति (Environment Compensation) की गणना कर जानकारी प्रस्तुत की जाए।

4. दिनांक 01/07/2020 से दिनांक 31/03/2022 तक की अवधि का परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान का आडिटेड बैलेंश शीट रिपोर्ट (Annual Report) की प्रति प्रस्तुत की जाए, जिससे कि खदान का प्रश्नाधीन अवधि में टर्नओवर की जानकारी प्राप्त कर नियमानुसार अर्थदंड अधिरोपित किया जा सके।

5. समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा किए गए उल्लंघन के लिए Environment Compensation की राशि का उपयोग आस–पास के शासकीय स्कूल/महाविद्यालय/संस्थान में रेनवॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था, तालाब गहरीकरण, पीने योग्य पानी की व्यवस्था एवं वृक्षारोपण किए जाने हेतु विस्तृत कार्ययोजना (प्रस्तावित स्कूल/ महाविद्यालय/ संस्थान का नाम, पता एवं कार्यवार खर्च का विवरण) प्रस्तुत किए जाने हेतु परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया जाए।

6. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तो के अनुरूप निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण इसी मानसून में करते हुए पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख किया जाकर फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 03/11/2022 द्वारा परियोजना प्रस्तावक को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने हेतु सूचित किया गया।

(स) समिति की 435वीं बैठक दिनांक 28/11/2022:

समिति द्वारा बैठक दिनांक 28/11/2022 को क्लस्टर के प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक द्वारा उन्हें पूर्व में निर्देशित जानकारी/दस्तावेज एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ कार्यालय में प्रस्तुत करने पर विचार कर, उन्हें निर्देशित किया गया।

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. समिति का मत है कि सी.ई.आर., कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान, कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता, सड़कों के रख–रखाव एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर., कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान, कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता, सड़कों के रख–रखाव एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।
2. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–
   a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
   b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. आवेदित खदान (ग्राम–डुमरडीहकला) को मिलाकर इस क्लस्टर हेतु कुल खदानों का क्षेत्रफल 41.696 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण यह खदान बी–1 श्रेणी की मानी गयी।
2. राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 03/11/2022 के माध्यम से चाही गई वांछित जानकारियों/ दस्तावेजों/ अभिलेखों को एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की सशर्त अनुशंसा की जाती है।
3. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों एवं माननीय एन. जी.टी. द्वारा जारी आदेश के अनुसार क्लस्टर में आने वाली खदानों की उत्खनन गतिविधियों से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले प्रभावों की रोकथाम हेतु

क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों को शामिल करते हुये, क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने तथा क्रियान्वित कराने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) के स्तर से उपयुक्त कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

4. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त किये जाने हेतु लेख किया जाए।

5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – मेसर्स डुमरडीहकला लाईम स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री पवन वाधवा) की ग्राम–डुमरडीहकला, तहसील व जिला–राजनांदगांव के खसरा क्रमांक–23 में स्थित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–0.631 हेक्टेयर, क्षमता–6,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की सशर्त अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 25/01/2023 को संपन्न 137वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया:–**

1. समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदक – मेसर्स डुमरडीहकला लाईम स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री पवन वाधवा) को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया। समिति द्वारा निर्धारित शर्तो के अंतर्गत निहित किये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित किया जाए। पालन नहीं किये जाने की स्थिति में विधिवत् कार्यवाही की जाएगी।

2. एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 03/11/2022 के माध्यम से चाही गई वांछित जानकारियों/दस्तावेजों/अभिलेखों को प्रस्तुत किये जाने के उपरांत एवं नियमानुसार जानकारी/दस्तावेज पूर्ण होने की स्थिति में ही परियोजना प्रस्तावक को सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

3. This Environmental Clearance (EC) is subject to orders/judgment of Hon'ble Supreme Court of India, Hon'ble High Court, Hon'ble National Green Tribunal (NGT) and any other Court of Law, Common Cause Conditions as may be applicable.

4. The Project Proponent shall comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court of India dated 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause Vs Union of India and Others before commencing the mining operations.

5. The State Government shall ensure that mining operations shall not be commenced till the entire compensation levied if any, for illegal mining paid by the Project Proponent through their respective Department of Mining & Geology in strict compliance of Judgment of Hon'ble Supreme Court of India dated 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause Vs Union of India and Others.

6. The Project Proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEF&CC OM No. Z-11013/57/2014-IA.II(M) dated 29/10/2014 titled Impact of Mining activities on Habitations-Issues related to the mining projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area.

7. The Project Proponent shall inform to MoEF&CC/SEIAA for any change in ownership of the mining lease. In case there is any change in ownership or mining lease is transferred, Project Proponent need to apply for transfer of Environmental Clearance as per provisions of the para 11 of EIA Notification, 2006, as amended from time to time.

This Environmental Clearance shall be effective from the date of submission of requisite documents as prescribed/recommended by SEAC for this project.

तदानुसार एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 15/02/2023 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 16/03/2023 के माध्यम से जानकारी/दस्तावेज/तथ्य प्रस्तुत किये गये है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 26/04/2023 को संपन्न 145वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी/दस्तावेज अपूर्ण है। **प्राधिकरण द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था** कि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 15/02/2023 के माध्यम से चाही गई जानकारी के संबंध में समाधानाकारक कार्यवाही करते हुए पूर्ण जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 01/06/2023 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 18/10/2023 के माध्यम से जानकारी/दस्तावेज/तथ्य प्रस्तुत किये गये है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 09/01/2024 को संपन्न 161वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/जानकारी/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि:–

1. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किये जाने के संबंध में क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, भिलाई–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 1687, दिनांक 13/09/2023 से प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।
2. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 1177/ख.लि.03/2023, राजनांदगांव दिनांक 15/06/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार जुलाई 2020 से उत्खनन की वास्तविक मात्रा की माहवार जानकारी निम्नानुसार है:–

माह	उत्पादन (टन)
जुलाई 2020	निरंक
अगस्त 2020	
सितम्बर 2020	
अक्टूबर 2020	
नवम्बर 2020	
दिसम्बर 2020	
जनवरी 2021	

फरवरी 2021	
मार्च 2021	2,000
अप्रैल 2021--फरवरी 2022	निरंक
मार्च 2022	1,000

3. Damage Assessment Plan, Remediation Plan and Natural and Community Resource Augmentation Plan को शामिल करते हुये पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति (Environment Compensation) की गणना कर जानकारी प्रस्तुत किया गया है। इस संबंध में प्राधिकरण का मत है कि प्रस्तुत गणना की जाँच किये जाने हेतु एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष प्रकरण को प्रेषित किया जाना आवश्यक है।
4. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनरल्स कनसेशन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत् बाउण्ड्री पिल्लर्स द्वारा सीमाकंन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
6. कंट्रोल ब्लास्टिंग किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized Affidavit) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।
8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized Affidavit) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।
9. ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर भंडारित कर संरक्षित रखे जाने हेतु, मिट्टी का दुरूपयोग न करने, विक्रय न करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने एवं इस मिट्टी उपयोग पुनःभराव कार्य में किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized Affidavit) प्रस्तुत किया गया है।
10. कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट के तहत तय की गई राशि का उपयोग पर्यावरण के हित में किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
11. लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में फेंसिंग कराकर वृक्षारोपण कार्य किया जाएगा। लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी एवं कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान के तहत् किये जाने वाले वृक्षारोपण तथा सी.ई.आर. के तहत् निर्धारित कार्यो की जानकारी जियोटेग (Geotag) फोटोग्राफ्स सहित अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये प्रस्तुत किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
12. समिति द्वारा निहित किये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से उपरोक्त तथ्यों/पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति (Environment Compensation) की गणना के जाँच के परिपेक्ष्य में परीक्षण

उपरांत उपयुक्त अनुशंसा किये जाने हेतु प्रकरण को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

(द) समिति की 511वीं बैठक दिनांक 31/01/2024:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण किया गया। समिति के संज्ञान में यह तथ्य आया कि माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (एस) (सिविल) नम्बर (एस) 1394/2023 दिनांक 02/01/2024 द्वारा निम्न आदेश जारी किया गया है:–

"Stay of operation of the Office Memoranda dated 7th July, 2021 and 28th January 2022 issued by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change."

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से उपरोक्त माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन (एस) (सिविल) नम्बर (एस) 1394/2023 में पारित आदेश दिनांक 02/01/2024 का अवलोकन किया जाए तथा भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देश एवं प्रचलित नियमों के अधीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

बैठक धन्यवाद ज्ञापन के साथ संपन्न हुई।

(कलविर्युस तिर्की)
सदस्य सचिव
राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
छत्तीसगढ़

(डॉ. बी.पी. नोन्हारे)
अध्यक्ष
राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
छत्तीसगढ़

परिशिष्ट–01

मेसर्स बड़े सुरोखी सेण्ड क्वारी (सरपंच, ग्राम पंचायत बड़े सुरोखी) को पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 440, कुल क्षेत्रफल – 5 हेक्टेयर के कुल 60 प्रतिशत क्षेत्रफल में ही रेत उत्खनन, ग्राम–बड़े सुरोखी, तहसील–गीदम, जिला–दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा में डंकनी नदी से रेत उत्खनन क्षमता 30,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु प्रस्तावित पर्यावरण स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

यह पर्यावरणीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जा रही है। अतः इन शर्तों को बहुत ध्यान से पढ़ा जावें तथा कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित किया जाए।

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से पांच वर्ष तक की अवधि हेतु वैध होगी।
2. सस्टेनेबल सेण्ड माईनिंग मैनेजमेंट गाईडलाईन्स, 2016 (Sustainable Sand Mining Management Guidelines 2016) एवं ईन्फोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेण्ड माईनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के अनुसार पालन सुनिश्चित किया जाए।
3. ईन्फोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेण्ड माईनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के तहत् 60 प्रतिशत क्षेत्र में उत्खनन कार्य किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
4. गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट – परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनःभरण (Replenishment) बाबत् सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके। उक्त स्टडी रिपोर्ट की प्रति जिला खनिज अधिकारी एवं एस.ई.आई.ए.ए., छ.ग. में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत की जाएगी। उक्त स्टडी रिपोर्ट के आधार पर ही आगामी उत्खनन की मात्रा एवं उत्खनन की अवधि प्रभावित होगी।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के मुख्य प्रवेश द्वार पर सूचना पटल (लीज धारक का नाम, खदान का क्षेत्रफल आक्षंश एवं देशांतर सहित, उत्खनन की मात्रा, स्वीकृति अवधि) लगाया जाए।
6. लीज क्षेत्र के चारों कोनो तथा सीमा लाईन के मध्य में सीमेंट के खम्में गड़ाना आवश्यक है ताकि लीज क्षेत्र नदी में स्पष्ट दृष्टिगोचर हो सके।
7. यदि खदान खनिज विभाग द्वारा अधिसूचित किसी क्लस्टर में है, अथवा 500 मीटर के भीतर स्वीकृत रेत खदानों का कुल रकबा 5 हेक्टेयर से अधिक होता है तो पर्यावरण स्वीकृति मान्य नहीं होगी।
8. माईनिंग प्लान अनुसार वैध उत्खनन क्षेत्र 5 हेक्टेयर के कुल 60 प्रतिशत क्षेत्रफल से अधिक नहीं होगा। शेष 40 प्रतिशत क्षेत्र में उत्खनन नहीं किया जाएगा। रेत का उत्खनन सतह से 1 मीटर गहराई तक ही किया जाएगा, उससे अधिक नहीं। इसी प्रकार खदान से रेत का अधिकतम उत्खनन 30,000 घनमीटर प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा।
9. माननीय एन.जी.टी. के आदेश दिनांक 26/02/2021 के अनुसार पट्टेदार द्वारा माईनिंग प्लान एवं पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों का पालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरण विशेषज्ञ नियुक्त करना होगा।

10. रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व उपरोक्तानुसार निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर नदी में रेत की सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे कर, उसके आंकड़ें तत्काल एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किये जायें। पोस्ट–मानसून (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर किया जायेगा। इसी प्रकार रेत खनन उपरांत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा। रेत सतह के पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) के मापन का कार्य आगामी 5 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। प्री–मानसून के आंकड़ें अगस्त 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 एवं पोस्ट–मानसून के आंकड़ें दिसम्बर 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे।

11. रेत की खुदाई एवं भराई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। इस प्रयोजन के लिये किसी उपकरण संयंत्र (Machinery) आदि का उपयोग नहीं किया जाएगा। रिवर बेड में भारी वाहनों जैसे– जेसीबी मशीन, पोकलैण्ड, लोडर, चैनमाउण्टेड मशीन, हाईवा आदि का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गढ्ढे (Excavation pits) से लोडिंग प्वाईंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

12. रेत का उत्खनन केवल चिन्हीत, सीमांकित एवं घोषित क्षेत्र मे ही किया जाएगा। रेत उत्खनन की अधिकतम गहराई सतह से 1.5 मीटर अथवा वर्तमान जल स्तर की ऊपरी सतह से 1 मीटर छोड़कर दोनो मे से जो कम हो, से अधिक नहीं होगी। रेत का उत्खनन किसी भी परिस्थिति में जल स्तर के नीचे नहीं किया जाएगा। न्यूनतम 2 मीटर मोटाई तक की रेत नदी तल (हार्ड रॉक) के ऊपर छोड़ा जाना आवश्यक है।

13. रेत उत्खनन नदी तटों से कम से कम 7.5 मीटर अथवा नदी की चौड़ाई के 10 प्रतिशत की दूरी जो भी अधिक हो छोड़कर ही किया जाएगा, ताकि नदी तटों का क्षरण न हो। किसी भी पुलिया, स्टापडेम, बांध, एनीकट, जल प्रदाय व्यवस्था एवं अन्य स्थायी संरचनाओं से खदान के अपस्ट्रीम में न्यूनतम 500 मीटर तथा डाउनस्ट्रीम में न्यूनतम 250 मीटर सुरक्षित क्षेत्र छोड़ा जाना अनिवार्य है।

14. यह सुनिश्चित किया जाए कि रेत उत्खनन के कारण नदी जल का वेग, टर्बिडिटी एवं जल बहाव के स्वरूप पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े। नदी के स्वतंत्र बहाव (Free flow of river) को प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा।

15. यह सुनिश्चित किया जाए कि उत्खनन केवल उसी क्षेत्र में किया जाए जिसमें तथा जिसके आस–पास के क्षेत्र पर कोई भी जीव–जन्तु प्रजनन हेतु निर्भर न हो। कछुओं के प्रजनन इकाईयों / क्षेत्रों का संरक्षण आवश्यक है, अतः इन क्षेत्रों के आस पास रेत उत्खनन नहीं किया जाए।

16. रेत उत्खनन एवं भराई / परिवहन दिन के समय (सूर्योदय और सूर्यास्त के मध्य) ही किया जाए। यह कार्य रात्रि के समय नहीं किया जाए। रात्रि में उत्खनन करना पाये जाने की स्थिति में अवैध उत्खनन माना जाएगा तथा परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त भी की जा सकेगी।

17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत उत्खनन विभिन्न प्रभागों यथा लोडिंग / अनलोडिंग आदि से उत्पन्न होने वाले फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु उपयुक्त वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएं जैसे जल छिड़काव अथवा अन्य उपयुक्त व्यवस्था की जाए। रेत उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

18. रेत का परिवहन तारपोलिन अथवा अन्य उपयुक्त माध्यम से ढ़के हुए वाहन से किया जाए, ताकि रेत वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।

19. उत्खनन क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण न हो, यह सुनिश्चित किया जाए।

20. **प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2024–25 में नदीतट के कटाव को रोकने हेतु लीज क्षेत्र के अनुसार अर्जुन, जामुन, बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के कुल 324 नग पौधों का रोपण नदी तट पर रोपित किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार की बाड़ का उपयोग) किया जाए। 5 फीट से 6 फीट ऊंचाई वाले पौधों का ही रोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए। रोपित पौधों की सुरक्षा एवं रख–रखाव आगामी 5 वर्षों तक करने का उत्तरदायित्व लेने संबंधी आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए। रोपित पौधों की सुरक्षा एवं रख–रखाव आगामी 5 वर्षों तक करने का उत्तरदायित्व परियोजना प्रस्तावक का रहेगा।**

21. रोपित किये जाने वाले पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख करते हुये फोटोग्राफ्स सहित जानकारी अर्धवार्षिक रिपोर्ट के साथ जमा करें। ऐसा नहीं करने पर पर्यावरण स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी।

22. वृक्षारोपण का रख–रखाव आगामी 5 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुये मृत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।

23. किये गये वृक्षारोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफ्स अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

24. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत किया जाए:–

Capital Investment (In Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (In Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (In Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (In Lakh Rupees)
6	2%	0.12	Following activities at Nearby, Village- Bade Surokhi	
			Plantation in Village	6.315
			Total	**6.315**

25. सी.ई.आर. के तहत् निर्धारित कार्यवाही 06 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। सी.ई.आर. के उपरोक्त प्रस्तावित कार्यो के कार्य पूर्ण उपरांत संबंधित ग्राम पंचायत

से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये प्रस्तुत किया जाए। सी.ई.आर. कार्य की सफलता सुनिश्चित करना आपका उत्तरदायित्व होगा। वृक्षारोपण असफल होने पर पर्यावरण स्वीकृति निरस्त की जावेगी।

26. सी.ई.आर. के अंतर्गत वृक्षारोपण (नीम, पीपल, करंज, कदम, जामुन, अमलतास, अर्जुन, बरगद आदि) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कुल 640 नग वृक्षारोपण हेतु पौधों के लिए राशि 58,640 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 1,36,700 रूपये, खाद के लिए राशि 4,800 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 72,000 रूपये एवं अन्य कार्यो हेतु राशि 10,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 2,82,140 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 3,49,376 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत बड़े सुरोखी के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 295, क्षेत्रफल 0.40 हेक्टेयर) के संबंध में प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कार्य पूर्ण करें।

27. सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाए। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाए।

28. जब भी निरीक्षण दल/अधिकारी निरीक्षण हेतु स्थल पर आये, तब उन्हें खदान/उद्योग/भट्टा के निरीक्षण के साथ–साथ सी.ई.आर. के तहत् आपके द्वारा कराये गये कार्यो का निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से कराना आपकी जिम्मेदारी होगी।

29. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित कार्य करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति को निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।

30. परियोजना प्रस्तावक संबंधित केन्द्र / राज्य शासन के विभागों, मण्डलों एवं अन्य संस्थानों से रेत उत्खनन आरंभ करने के पूर्व आवश्यक सभी अनुमतियां प्राप्त करेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण तथा पर्यावरण संरक्षण हेतु समय–समय पर केन्द्र/राज्य सरकार, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा जारी निर्देशों / मार्गदर्शिका का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

31. छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015, राज्य शासन द्वारा रेत उत्खनन हेतु जारी अधिसूचना दिनॉक 2/3/2006 के प्रावधानों/शर्तो एवं तदनुसार जारी दिशा निर्देशों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

32. कार्य स्थल पर यदि केम्पिंग श्रमिक कार्य पर लगायें जाते है तो ऐसे श्रमिकों के आवास की उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप में हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात हटाया जा सके।

33. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए। साथ ही नदी में मल मूत्र विसर्जन, अथवा खाद्य सामग्री के पैकेट, प्लॉस्टिक आदि का विसर्जन प्रतिबंधित रहेगा। नदी एवं नदी जल की स्वच्छता का ध्यान रखा जावें।

34. श्रमिकों का समय–समय पर आक्यूपेशनल हेल्थ सर्विलेंस कराया जाये।

35. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ / भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

36. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिकमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।

37. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा मे परिवर्तन अथवा विर्निदिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा मे किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोडने अथवा उत्सर्जन / निस्स्राव के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

38. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस–पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ आवश्यक शर्तों सहित सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल मे अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की वेबसाइट parivesh.nic.in पर भी किया जा सकता है।

39. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, जगदलपुर, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर को प्रेषित किया जाए। एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मानिटरिंग की जाएगी।

40. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली/एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर/केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी।

41. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन हथालन एवं सीमापार संचलन) नियम, 2008 (यथा संशोधित) तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।

42. प्रस्तावित परियोजना के बारे मे एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्त निर्दिष्ट करने बाबत निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

43. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला–व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय मे 30 दिवस की अवधि के लिये प्रदर्शित करेगा।

44. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरूद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि मे की जा सकेगी।

सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी.

अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.

मेसर्स बड़ेतुमनार सेण्ड क्वारी, (D-7) (सरपंच/सचिव, ग्राम पंचायत बड़ेतुमनार) को पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 802, कुल क्षेत्रफल – 5 हेक्टेयर के कुल 60 प्रतिशत क्षेत्रफल में ही रेत उत्खनन, ग्राम–बड़ेतुमनार, तहसील–गीदम, जिला–दंतेवाड़ा में शंकनी–डंकनी नदी से रेत उत्खनन क्षमता 30,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु प्रस्तावित पर्यावरण स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

यह पर्यावरणीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जा रही है। अतः इन शर्तों को बहुत ध्यान से पढ़ा जावें तथा कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित किया जाए।

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से पांच वर्ष तक की अवधि हेतु वैध होगी।
2. सस्टेनेबल सेण्ड माईनिंग मैनेजमेंट गाईडलाईन्स, 2016 (Sustainable Sand Mining Management Guidelines 2016) एवं ईन्फोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेण्ड माईनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के अनुसार पालन सुनिश्चित किया जाए।
3. ईन्फोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेण्ड माईनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के तहत् 60 प्रतिशत क्षेत्र में उत्खनन कार्य किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
4. **गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट** – परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनःभरण (Replenishment) बाबत् सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके। उक्त स्टडी रिपोर्ट की प्रति जिला खनिज अधिकारी एवं एस.ई.आई.ए.ए., छ.ग. में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत की जाएगी। उक्त स्टडी रिपोर्ट के आधार पर ही आगामी उत्खनन की मात्रा एवं उत्खनन की अवधि प्रभावित होगी।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के मुख्य प्रवेश द्वार पर सूचना पटल (लीज धारक का नाम, खदान का क्षेत्रफल अक्षांश एवं देशांतर सहित, उत्खनन की मात्रा, स्वीकृति अवधि) लगाया जाए।
6. लीज क्षेत्र के चारों कोनो तथा सीमा लाईन के मध्य में सीमेंट के खम्भें गड़ाना आवश्यक है ताकि लीज क्षेत्र नदी में स्पष्ट दृष्टिगोचर हो सके।
7. यदि खदान खनिज विभाग द्वारा अधिसूचित किसी क्लस्टर में है, अथवा 500 मीटर के भीतर स्वीकृत रेत खदानों का कुल रकबा 5 हेक्टेयर से अधिक होता है तो पर्यावरण स्वीकृति मान्य नहीं होगी।
8. माईनिंग प्लान अनुसार वैध उत्खनन क्षेत्र 5 हेक्टेयर के कुल 60 प्रतिशत क्षेत्रफल से अधिक नहीं होगा। शेष 40 प्रतिशत क्षेत्र में उत्खनन नहीं किया जाएगा। रेत का उत्खनन सतह से 1 मीटर गहराई तक ही किया जाएगा, उससे अधिक नहीं। इसी प्रकार खदान से रेत का अधिकतम उत्खनन 30,000 घनमीटर प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा।
9. माननीय एन.जी.टी. के आदेश दिनांक 26/02/2021 के अनुसार पट्टेदार द्वारा माईनिंग प्लान एवं पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों का पालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरण विशेषज्ञ नियुक्त करना होगा।

10. रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व उपरोक्तानुसार निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर नदी में रेत की सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे कर, उसके आंकड़ें तत्काल एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किये जायें। पोस्ट–मानसून (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर किया जायेगा। इसी प्रकार रेत खनन उपरांत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा। रेत सतह के पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) के मापन का कार्य आगामी 5 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। प्री–मानसून के आंकड़ें अगस्त 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 एवं पोस्ट–मानसून के आंकड़ें दिसम्बर 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे।

11. रेत की खुदाई एवं भराई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। इस प्रयोजन के लिये किसी उपकरण संयंत्र (Machinery) आदि का उपयोग नहीं किया जाएगा। रिवर बेड में भारी वाहनों जैसे– जेसीबी मशीन, पोकलैण्ड, लोडर, चैनमाउण्टेड मशीन, हाईवा आदि का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गढ्ढे (Excavation pits) से लोडिंग प्वाईंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

12. रेत का उत्खनन केवल चिन्हीत, सीमांकित एवं घोषित क्षेत्र मे ही किया जाएगा। रेत उत्खनन की अधिकतम गहराई सतह से 1.5 मीटर अथवा वर्तमान जल स्तर की ऊपरी सतह से 1 मीटर छोड़कर दोनो मे से जो कम हो, से अधिक नहीं होगी। रेत का उत्खनन किसी भी परिस्थिति में जल स्तर के नीचे नहीं किया जाएगा। न्यूनतम 2 मीटर मोटाई तक की रेत नदी तल (हार्ड रॉक) के ऊपर छोड़ा जाना आवश्यक है।

13. रेत उत्खनन नदी तटों से कम से कम 7.5 मीटर अथवा नदी की चौड़ाई के 10 प्रतिशत की दूरी जो भी अधिक हो छोड़कर ही किया जाएगा, ताकि नदी तटों का क्षरण न हो। किसी भी पुलिया, स्टापडेम, बांध, एनीकट, जल प्रदाय व्यवस्था एवं अन्य स्थायी संरचनाओं से खदान के अपस्ट्रीम में न्यूनतम 500 मीटर तथा डाउनस्ट्रीम में न्यूनतम 250 मीटर सुरक्षित क्षेत्र छोड़ा जाना अनिवार्य है।

14. यह सुनिश्चित किया जाए कि रेत उत्खनन के कारण नदी जल का वेग, टर्बिडिटी एवं जल बहाव के स्वरूप पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े। नदी के स्वतंत्र बहाव (Free flow of river) को प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा।

15. यह सुनिश्चित किया जाए कि उत्खनन केवल उसी क्षेत्र में किया जाए जिसमें तथा जिसके आस–पास के क्षेत्र पर कोई भी जीव–जन्तु प्रजनन हेतु निर्भर न हो। कछुओं के प्रजनन इकाईयों / क्षेत्रों का संरक्षण आवश्यक है, अतः इन क्षेत्रों के आस पास रेत उत्खनन नहीं किया जाए।

16. रेत उत्खनन एवं भराई / परिवहन दिन के समय (सूर्योदय और सूर्यास्त के मध्य) ही किया जाए। यह कार्य रात्रि के समय नहीं किया जाए। रात्रि में उत्खनन करना पाये जाने की स्थिति में अवैध उत्खनन माना जाएगा तथा परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त भी की जा सकेगी।

17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत उत्खनन विभिन्न प्रभागों यथा लोडिंग / अनलोडिंग आदि से उत्पन्न होने वाले फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु उपयुक्त वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएं जैसे जल छिडकाव अथवा अन्य उपयुक्त व्यवस्था की जाए। रेत उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

18. रेत का परिवहन तारपोलिन अथवा अन्य उपयुक्त माध्यम से ढ़के हुए वाहन से किया जाए, ताकि रेत वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।

19. उत्खनन क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण न हो, यह सुनिश्चित किया जाए।

20. **प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2024–25 में नदीतट के कटाव को रोकने हेतु लीज क्षेत्र के अनुसार अर्जुन, जामुन, बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के कुल 118 नग पौधों का रोपण नदी तट पर रोपित किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार की बाड़ का उपयोग) किया जाए। 5 फीट से 6 फीट ऊंचाई वाले पौधों का ही रोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए। रोपित पौधों की सुरक्षा एवं रख–रखाव आगामी 5 वर्षों तक करने का उत्तरदायित्व लेने संबंधी आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए। रोपित पौधों की सुरक्षा एवं रख–रखाव आगामी 5 वर्षों तक करने का उत्तरदायित्व परियोजना प्रस्तावक का रहेगा।**

21. रोपित किये जाने वाले पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख करते हुये फोटोग्राफ्स सहित जानकारी अर्धवार्षिक रिपोर्ट के साथ जमा करें। ऐसा नहीं करने पर पर्यावरण स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी।

22. वृक्षारोपण का रख–रखाव आगामी 5 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुये मृत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।

23. किये गये वृक्षारोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफ्स अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

24. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत किया जाए:–

Capital Investment (In Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (In Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (In Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (In Lakh Rupees)
6.81	2%	0.14	Following activities at Nearby, Village- Bade Tumnaar	
			Plantation in Village	5.06
			Total	**5.06**

25. सी.ई.आर. के तहत् निर्धारित कार्यवाही 06 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। सी.ई.आर. के उपरोक्त प्रस्तावित कार्यों के कार्य पूर्ण उपरांत संबंधित ग्राम पंचायत

से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये प्रस्तुत किया जाए। सी.ई.आर. कार्य की सफलता सुनिश्चित करना आपका उत्तरदायित्व होगा। वृक्षारोपण असफल होने पर पर्यावरण स्वीकृति निरस्त की जावेगी।

26. सी.ई.आर. के अंतर्गत वृक्षारोपण (नीम, पीपल, करंज, कदम, जामुन, अमलतास, अर्जुन आदि) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कुल 405 नग वृक्षारोपण हेतु पौधों के लिए राशि 40,780 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 39,200 रूपये, खाद के लिए राशि 3,060 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 72,000 रूपये एवं अन्य कार्यो हेतु राशि 10,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 1,65,040 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 3,41,784 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत बड़े तुमनार के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 449, क्षेत्रफल 15.91 हेक्टेयर में से 0.40 डिसमिल मे) संबंध में प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कार्य पूर्ण करें।

27. सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाए। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाए।

28. जब भी निरीक्षण दल/अधिकारी निरीक्षण हेतु स्थल पर आये, तब उन्हें खदान/उद्योग/भट्टा के निरीक्षण के साथ–साथ सी.ई.आर. के तहत् आपके द्वारा कराये गये कार्यो का निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से कराना आपकी जिम्मेदारी होगी।

29. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित कार्य करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति को निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।

30. परियोजना प्रस्तावक संबंधित केन्द्र / राज्य शासन के विभागों, मण्डलों एवं अन्य संस्थानों से रेत उत्खनन आरंभ करने के पूर्व आवश्यक सभी अनुमतियां प्राप्त करेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण तथा पर्यावरण संरक्षण हेतु समय–समय पर केन्द्र/राज्य सरकार, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा जारी निर्देशों / मार्गदर्शिका का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

31. छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015, राज्य शासन द्वारा रेत उत्खनन हेतु जारी अधिसूचना दिनॉक 2/3/2006 के प्रावधानों/शर्तो एवं तद्नुसार जारी दिशा निर्देशों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

32. कार्य स्थल पर यदि केम्पिंग श्रमिक कार्य पर लगायें जाते है तो ऐसे श्रमिकों के आवास की उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप में हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात हटाया जा सके।

33. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए। साथ ही नदी में मल मूत्र विसर्जन, अथवा खाद्य सामग्री के पैकेट, प्लॉस्टिक आदि का विसर्जन प्रतिबंधित रहेगा। नदी एवं नदी जल की स्वच्छता का ध्यान रखा जावें।

34. श्रमिकों का समय–समय पर आक्यूपेशनल हेल्थ सर्विलेंस कराया जाये।

35. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ / भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

36. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।

37. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा मे परिवर्तन अथवा विर्निदिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा मे किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोडने अथवा उत्सर्जन / निस्स्राव के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

38. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस–पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ आवश्यक शर्तों सहित सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल मे अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की वेबसाइट parivesh.nic.in पर भी किया जा सकता है।

39. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, जगदलपुर, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर को प्रेषित किया जाए। एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मानिटरिंग की जाएगी।

40. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली/एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर/केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी।

41. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन हथालन एवं सीमापार संचलन) नियम, 2008 (यथा संशोधित) तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।

42. प्रस्तावित परियोजना के बारे मे एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्त निर्दिष्ट करने बाबत निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

43. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला–व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय मे 30 दिवस की अवधि के लिये प्रदर्शित करेगा।

44. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरूद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि मे की जा सकेगी।

सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी. **अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.**

मेसर्स अरौद सेण्ड माईन (सरपंच, ग्राम पंचायत अरौद) को पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 01, कुल क्षेत्रफल – 3.9 हेक्टेयर के कुल 60 प्रतिशत क्षेत्रफल में ही रेत उत्खनन, ग्राम–अरौद, तहसील–चरामा, जिला–उत्तर बस्तर कांकेर में महानदी से रेत उत्खनन क्षमता 35,100 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु प्रस्तावित पर्यावरण स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

यह पर्यावरणीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जा रही है। अतः इन शर्तों को बहुत ध्यान से पढ़ा जावें तथा कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित किया जाए।

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से पांच वर्ष तक की अवधि हेतु वैध होगी।
2. सस्टेनेबल सेण्ड माईनिंग मैनेजमेंट गाईडलाईन्स, 2016 (Sustainable Sand Mining Management Guidelines 2016) एवं ईन्फोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेण्ड माईनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के अनुसार पालन सुनिश्चित किया जाए।
3. ईन्फोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेण्ड माईनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के तहत् 60 प्रतिशत क्षेत्र में उत्खनन कार्य किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
4. **गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट** – परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनःभरण (Replenishment) बाबत् सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके। उक्त स्टडी रिपोर्ट की प्रति जिला खनिज अधिकारी एवं एस.ई.आई.ए.ए., छ.ग. में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत की जाएगी। उक्त स्टडी रिपोर्ट के आधार पर ही आगामी उत्खनन की मात्रा एवं उत्खनन की अवधि प्रभावित होगी।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के मुख्य प्रवेश द्वार पर सूचना पटल (लीज धारक का नाम, खदान का क्षेत्रफल आक्षंश एवं देशांतर सहित, उत्खनन की मात्रा, स्वीकृति अवधि) लगाया जाए।
6. लीज क्षेत्र के चारों कोनो तथा सीमा लाईन के मध्य में सीमेंट के खम्भें गड़ाना आवश्यक है ताकि लीज क्षेत्र नदी में स्पष्ट दृष्टिगोचर हो सके।
7. यदि खदान खनिज विभाग द्वारा अधिसूचित किसी क्लस्टर में है, अथवा 500 मीटर के भीतर स्वीकृत रेत खदानों का कुल रकबा 5 हेक्टेयर से अधिक होता है तो पर्यावरण स्वीकृति मान्य नहीं होगी।
8. माईनिंग प्लान अनुसार वैध उत्खनन क्षेत्र 3.9 हेक्टेयर के कुल 60 प्रतिशत क्षेत्रफल से अधिक नहीं होगा। शेष 40 प्रतिशत क्षेत्र में उत्खनन नहीं किया जाएगा। रेत का उत्खनन सतह से 1.5 मीटर गहराई तक ही किया जाएगा, उससे अधिक नहीं। इसी प्रकार खदान से रेत का अधिकतम उत्खनन 35,100 घनमीटर प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा।
9. माननीय एन.जी.टी. के आदेश दिनांक 26/02/2021 के अनुसार पट्टेदार द्वारा माईनिंग प्लान एवं पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों का पालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरण विशेषज्ञ नियुक्त करना होगा।

10. रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व उपरोक्तानुसार निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर नदी में रेत की सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे कर, उसके आंकड़ें तत्काल एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किये जायें। पोस्ट–मानसून (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर किया जायेगा। इसी प्रकार रेत खनन उपरांत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा। रेत सतह के पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) के मापन का कार्य आगामी 5 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। प्री–मानसून के आंकड़ें अगस्त 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 एवं पोस्ट–मानसून के आंकड़ें दिसम्बर 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे।

11. रेत की खुदाई एवं भराई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। इस प्रयोजन के लिये किसी उपकरण संयंत्र (Machinery) आदि का उपयोग नहीं किया जाएगा। रिवर बेड में भारी वाहनों जैसे– जेसीबी मशीन, पोकलैण्ड, लोडर, चैनमाउण्टेड मशीन, हाईवा आदि का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गढ्ढे (Excavation pits) से लोडिंग प्वाईंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

12. रेत का उत्खनन केवल चिन्हीत, सीमांकित एवं घोषित क्षेत्र मे ही किया जाएगा। रेत उत्खनन की अधिकतम गहराई सतह से 1.5 मीटर अथवा वर्तमान जल स्तर की ऊपरी सतह से 1 मीटर छोड़कर दोनो मे से जो कम हो, से अधिक नहीं होगी। रेत का उत्खनन किसी भी परिस्थिति में जल स्तर के नीचे नहीं किया जाएगा। न्यूनतम 2 मीटर मोटाई तक की रेत नदी तल (हार्ड रॉक) के ऊपर छोड़ा जाना आवश्यक है।

13. रेत उत्खनन नदी तटों से कम से कम 7.5 मीटर अथवा नदी की चौड़ाई के 10 प्रतिशत की दूरी जो भी अधिक हो छोड़कर ही किया जाएगा, ताकि नदी तटों का क्षरण न हो। किसी भी पुलिया, स्टापडेम, बांध, एनीकट, जल प्रदाय व्यवस्था एवं अन्य स्थायी संरचनाओं से खदान के अपस्ट्रीम में न्यूनतम 500 मीटर तथा डाउनस्ट्रीम में न्यूनतम 250 मीटर सुरक्षित क्षेत्र छोड़ा जाना अनिवार्य है।

14. यह सुनिश्चित किया जाए कि रेत उत्खनन के कारण नदी जल का वेग, टर्बिडिटी एवं जल बहाव के स्वरूप पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े। नदी के स्वतंत्र बहाव (Free flow of river) को प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा।

15. यह सुनिश्चित किया जाए कि उत्खनन केवल उसी क्षेत्र में किया जाए जिसमें तथा जिसके आस–पास के क्षेत्र पर कोई भी जीव–जन्तु प्रजनन हेतु निर्भर न हो। कछुओं के प्रजनन इकाईयों / क्षेत्रों का संरक्षण आवश्यक है, अतः इन क्षेत्रों के आस पास रेत उत्खनन नहीं किया जाए।

16. रेत उत्खनन एवं भराई / परिवहन दिन के समय (सूर्योदय और सूर्यास्त के मध्य) ही किया जाए। यह कार्य रात्रि के समय नहीं किया जाए। रात्रि में उत्खनन करना पाये जाने की स्थिति में अवैध उत्खनन माना जाएगा तथा परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त भी की जा सकेगी।

17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत उत्खनन विभिन्न प्रभागों यथा लोडिंग / अनलोडिंग आदि से उत्पन्न होने वाले फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु उपयुक्त वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएं जैसे जल छिडकाव अथवा अन्य उपयुक्त व्यवस्था की जाए। रेत उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

18. रेत का परिवहन तारपोलिन अथवा अन्य उपयुक्त माध्यम से ढ़के हुए वाहन से किया जाए, ताकि रेत वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।

19. उत्खनन क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण न हो, यह सुनिश्चित किया जाए।

20. **प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2024–25 में नदीतट के कटाव को रोकने हेतु लीज क्षेत्र के अनुसार अर्जुन, जामुन, बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के कुल 800 नग पौधों का रोपण नदी तट पर रोपित किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार की बाड़ का उपयोग) किया जाए। 5 फीट से 6 फीट ऊंचाई वाले पौधों का ही रोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए। रोपित पौधों की सुरक्षा एवं रख–रखाव आगामी 5 वर्षों तक करने का उत्तरदायित्व लेने संबंधी आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए। रोपित पौधों की सुरक्षा एवं रख–रखाव आगामी 5 वर्षों तक करने का उत्तरदायित्व परियोजना प्रस्तावक का रहेगा।**

21. रोपित किये जाने वाले पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख करते हुये फोटोग्राफ्स सहित जानकारी अर्धवार्षिक रिपोर्ट के साथ जमा करें। ऐसा नहीं करने पर पर्यावरण स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी।

22. वृक्षारोपण का रख–रखाव आगामी 5 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुये मृत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।

23. किये गये वृक्षारोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफ्स अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

24. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत किया जाए:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
37	2%	0.74	Following activities at Nearby, Village- Aroud	
			Plantation in Village	4.91
			Total	4.91

25. सी.ई.आर. के तहत् निर्धारित कार्यवाही 06 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। सी.ई.आर. के उपरोक्त प्रस्तावित कार्यों के कार्य पूर्ण उपरांत संबंधित ग्राम पंचायत

से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये प्रस्तुत किया जाए। सी.ई.आर. कार्य की सफलता सुनिश्चित करना आपका उत्तरदायित्व होगा। वृक्षारोपण असफल होने पर पर्यावरण स्वीकृति निरस्त की जावेगी।

26. सी.ई.आर. के अंतर्गत वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कुल 450 नग वृक्षारोपण हेतु पौधों के लिए राशि 33,750 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 76,320 रूपये, खाद के लिए राशि 4,500 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 69,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 1,83,570 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 3,07,500 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत अरौद के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 123, क्षेत्रफल 2.05 हेक्टेयर में से 0.4 हेक्टेयर) संबंध में प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कार्य पूर्ण करें।

27. सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाए। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाए।

28. जब भी निरीक्षण दल/अधिकारी निरीक्षण हेतु स्थल पर आये, तब उन्हें खदान/उद्योग/भट्टा के निरीक्षण के साथ–साथ सी.ई.आर. के तहत् आपके द्वारा कराये गये कार्यों का निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से कराना आपकी जिम्मेदारी होगी।

29. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित कार्य करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति को निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।

30. परियोजना प्रस्तावक संबंधित केन्द्र / राज्य शासन के विभागों, मण्डलों एवं अन्य संस्थानों से रेत उत्खनन आरंभ करने के पूर्व आवश्यक सभी अनुमतियां प्राप्त करेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण तथा पर्यावरण संरक्षण हेतु समय–समय पर केन्द्र/राज्य सरकार, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा जारी निर्देशों / मार्गदर्शिका का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

31. छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015, राज्य शासन द्वारा रेत उत्खनन हेतु जारी अधिसूचना दिनॉक 2/3/2006 के प्रावधानों/शर्तो एवं तद्नुसार जारी दिशा निर्देशों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

32. कार्य स्थल पर यदि केम्पिंग श्रमिक कार्य पर लगायें जाते है तो ऐसे श्रमिकों के आवास की उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप में हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात हटाया जा सके।

33. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए। साथ ही नदी में मल मूत्र विसर्जन, अथवा खाद्य सामग्री के पैकेट, प्लॉस्टिक आदि का विसर्जन प्रतिबंधित रहेगा। नदी एवं नदी जल की स्वच्छता का ध्यान रखा जावें।

34. श्रमिकों का समय–समय पर आक्यूपेशनल हेल्थ सर्विलेंस कराया जाये।

35. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए, छत्तीसगढ / भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

36. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिकमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।

37. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा मे परिवर्तन अथवा विर्निदिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा मे किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोडने अथवा उत्सर्जन / निस्स्राव के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

38. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस–पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ आवश्यक शर्तों सहित सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल ,मे अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की वेबसाइट parivesh.nic.in पर भी किया जा सकता है।

39. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, जगदलपुर, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर को प्रेषित किया जाए। एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मानिटरिंग की जाएगी।

40. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली/एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर/केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी।

41. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन हथालन एवं सीमापार संचलन) नियम, 2008 (यथा संशोधित) तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।

42. प्रस्तावित परियोजना के बारे मे एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्त निर्दिष्ट करने बाबत निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

43. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला–व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय मे 30 दिवस की अवधि के लिये प्रदर्शित करेगा।

44. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरूद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि मे की जा सकेगी।

सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी.

अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.

परिशिष्ट–04

मेसर्स कुदमुरा–1 सेण्ड क्वॉरी (सचिव/सरपंच, ग्राम पंचायत कुदमुरा) को खसरा क्रमांक 325/1, कुल क्षेत्रफल – 4.8 हेक्टेयर के कुल 60 प्रतिशत क्षेत्रफल में ही रेत उत्खनन, ग्राम–कुदमुरा, तहसील–मैसमा, जिला–कोरबा में माण्ड नदी से रेत उत्खनन क्षमता 28,800 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु प्रस्तावित पर्यावरण स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

यह पर्यावरणीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जा रही है। अतः इन शर्तों को बहुत ध्यान से पढ़ा जावें तथा कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित किया जाए।

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से पांच वर्ष तक की अवधि हेतु वैध होगी।
2. सस्टेनेबल सेण्ड माईनिंग मैनेजमेंट गाईडलाईन्स, 2016 (Sustainable Sand Mining Management Guidelines 2016) एवं ईन्फोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेण्ड माईनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के अनुसार पालन सुनिश्चित किया जाए।
3. ईन्फोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेण्ड माईनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के तहत् 60 प्रतिशत क्षेत्र में उत्खनन कार्य किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
4. **गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट** – परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनःभरण (Replenishment) बाबत् सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके। उक्त स्टडी रिपोर्ट की प्रति जिला खनिज अधिकारी एवं एस.ई.आई.ए.ए., छ.ग. में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत की जाएगी। उक्त स्टडी रिपोर्ट के आधार पर ही आगामी उत्खनन की मात्रा एवं उत्खनन की अवधि प्रभावित होगी।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के मुख्य प्रवेश द्वार पर सूचना पटल (लीज धारक का नाम, खदान का क्षेत्रफल आक्षांश एवं देशांतर सहित, उत्खनन की मात्रा, स्वीकृति अवधि) लगाया जाए।
6. लीज क्षेत्र के चारों कोनो तथा सीमा लाईन के मध्य में सीमेंट के खम्भें गड़ाना आवश्यक है ताकि लीज क्षेत्र नदी में स्पष्ट दृष्टिगोचर हो सके।
7. यदि खदान खनिज विभाग द्वारा अधिसूचित किसी क्लस्टर में है, अथवा 500 मीटर के भीतर स्वीकृत रेत खदानों का कुल रकबा 5 हेक्टेयर से अधिक होता है तो पर्यावरण स्वीकृति मान्य नहीं होगी।
8. माईनिंग प्लान अनुसार वैध उत्खनन क्षेत्र 4.8 हेक्टेयर के कुल 60 प्रतिशत क्षेत्रफल से अधिक नहीं होगा। शेष 40 प्रतिशत क्षेत्र में उत्खनन नहीं किया जाएगा। रेत का उत्खनन सतह से 1 मीटर गहराई तक ही किया जाएगा, उससे अधिक नहीं। इसी प्रकार खदान से रेत का अधिकतम उत्खनन 28,800 घनमीटर प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा।
9. माननीय एन.जी.टी. के आदेश दिनांक 26/02/2021 के अनुसार पट्टेदार द्वारा माईनिंग प्लान एवं पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों का पालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरण विशेषज्ञ नियुक्त करना होगा।

10. रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व उपरोक्तानुसार निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर नदी में रेत की सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे कर, उसके आंकड़ें तत्काल एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किये जायें। पोस्ट–मानसून (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर किया जायेगा। इसी प्रकार रेत खनन उपरांत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा। रेत सतह के पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) के मापन का कार्य आगामी 5 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। प्री–मानसून के आंकड़ें अगस्त 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 एवं पोस्ट–मानसून के आंकड़ें दिसम्बर 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे।

11. रेत की खुदाई एवं भराई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। इस प्रयोजन के लिये किसी उपकरण संयंत्र (Machinery) आदि का उपयोग नहीं किया जाएगा। रिवर बेड में भारी वाहनों जैसे– जेसीबी मशीन, पोकलैण्ड, लोडर, चैनमाउण्टेड मशीन, हाईवा आदि का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गढ्ढे (Excavation pits) से लोडिंग प्वाईंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

12. रेत का उत्खनन केवल चिन्हीत, सीमांकित एवं घोषित क्षेत्र मे ही किया जाएगा। रेत उत्खनन की अधिकतम गहराई सतह से 1.5 मीटर अथवा वर्तमान जल स्तर की ऊपरी सतह से 1 मीटर छोड़कर दोनो मे से जो कम हो, से अधिक नहीं होगी। रेत का उत्खनन किसी भी परिस्थिति में जल स्तर के नीचे नहीं किया जाएगा। न्यूनतम 2 मीटर मोटाई तक की रेत नदी तल (हार्ड रॉक) के ऊपर छोड़ा जाना आवश्यक है।

13. रेत उत्खनन नदी तटों से कम से कम 7.5 मीटर अथवा नदी की चौड़ाई के 10 प्रतिशत की दूरी जो भी अधिक हो छोड़कर ही किया जाएगा, ताकि नदी तटों का क्षरण न हो। किसी भी पुलिया, स्टापडेम, बांध, एनीकट, जल प्रदाय व्यवस्था एवं अन्य स्थायी संरचनाओं से खदान के अपस्ट्रीम में न्यूनतम 500 मीटर तथा डाउनस्ट्रीम में न्यूनतम 250 मीटर सुरक्षित क्षेत्र छोड़ा जाना अनिवार्य है।

14. यह सुनिश्चित किया जाए कि रेत उत्खनन के कारण नदी जल का वेग, टर्बिडिटी एवं जल बहाव के स्वरूप पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े। नदी के स्वतंत्र बहाव (Free flow of river) को प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा।

15. यह सुनिश्चित किया जाए कि उत्खनन केवल उसी क्षेत्र में किया जाए जिसमें तथा जिसके आस–पास के क्षेत्र पर कोई भी जीव–जन्तु प्रजनन हेतु निर्भर न हो। कछुओं के प्रजनन इकाईयों / क्षेत्रों का संरक्षण आवश्यक है, अतः इन क्षेत्रों के आस पास रेत उत्खनन नहीं किया जाए।

16. रेत उत्खनन एवं भराई / परिवहन दिन के समय (सूर्योदय और सूर्यास्त के मध्य) ही किया जाए। यह कार्य रात्रि के समय नहीं किया जाए। रात्रि में उत्खनन करना पाये जाने की स्थिति में अवैध उत्खनन माना जाएगा तथा परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त भी की जा सकेगी।

17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत उत्खनन विभिन्न प्रभागों यथा लोडिंग / अनलोडिंग आदि से उत्पन्न होने वाले फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु उपयुक्त वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएं जैसे जल छिडकाव अथवा अन्य उपयुक्त व्यवस्था की जाए। रेत उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

18. रेत का परिवहन तारपोलिन अथवा अन्य उपयुक्त माध्यम से ढ़के हुए वाहन से किया जाए, ताकि रेत वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।

19. उत्खनन क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण न हो, यह सुनिश्चित किया जाए।

20. **प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2024–25 में नदीतट के कटाव को रोकने हेतु लीज क्षेत्र के अनुसार अर्जुन, जामुन, बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के कुल 1,200 नग पौधों का रोपण नदी तट पर रोपित किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार की बाड़ का उपयोग) किया जाए। 5 फीट से 6 फीट ऊंचाई वाले पौधों का ही रोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए। रोपित पौधों की सुरक्षा एवं रख–रखाव आगामी 5 वर्षों तक करने का उत्तरदायित्व लेने संबंधी आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए। रोपित पौधों की सुरक्षा एवं रख–रखाव आगामी 5 वर्षों तक करने का उत्तरदायित्व परियोजना प्रस्तावक का रहेगा।**

21. रोपित किये जाने वाले पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख करते हुये फोटोग्राफ्स सहित जानकारी अर्धवार्षिक रिपोर्ट के साथ जमा करें। ऐसा नहीं करने पर पर्यावरण स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी।

22. वृक्षारोपण का रख–रखाव आगामी 5 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुये मृत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।

23. किये गये वृक्षारोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफ्स अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

24. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत किया जाए:–

Capital Investment (In Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
40	2%	0.8	Following activities at Nearby, Village- Kudmura	
			Pavitra Van Nirman	0.80
			Total	0.80

25. सी.ई.आर. के तहत् निर्धारित कार्यवाही 06 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। सी.ई.आर. के उपरोक्त प्रस्तावित कार्यों के कार्य पूर्ण उपरांत संबंधित ग्राम पंचायत

से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये प्रस्तुत किया जाए। सी.ई.आर. कार्य की सफलता सुनिश्चित करना आपका उत्तरदायित्व होगा। वृक्षारोपण असफल होने पर पर्यावरण स्वीकृति निरस्त की जावेगी।

26. सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन निर्माण" के तहत् वृक्षारोपण (बरगद, पीपल, नीम, आंवला, जामुन, छीता आदि) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कुल 300 नग वृक्षारोपण हेतु पौधों के लिए राशि 15,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 22,000 रूपये, खाद के लिए राशि 1,500 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 9,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 47,500 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 48,000 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत कुदमुरा के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 1123/4, क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर) के संबंध में प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कार्य पूर्ण करें।

27. सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाए। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाए।

28. जब भी निरीक्षण दल/अधिकारी निरीक्षण हेतु स्थल पर आये, तब उन्हें खदान/उद्योग/भट्टा के निरीक्षण के साथ–साथ सी.ई.आर. के तहत् आपके द्वारा कराये गये कार्यो का निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से कराना आपकी जिम्मेदारी होगी।

29. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित कार्य करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति को निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।

30. परियोजना प्रस्तावक संबंधित केन्द्र / राज्य शासन के विभागों, मण्डलों एवं अन्य संस्थानों से रेत उत्खनन आरंभ करने के पूर्व आवश्यक सभी अनुमतियां प्राप्त करेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण तथा पर्यावरण संरक्षण हेतु समय–समय पर केन्द्र/राज्य सरकार, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा जारी निर्देशों / मार्गदर्शिका का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

31. छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015, राज्य शासन द्वारा रेत उत्खनन हेतु जारी अधिसूचना दिनॉक 2/3/2006 के प्रावधानों/शर्तो एवं तद्नुसार जारी दिशा निर्देशों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

32. कार्य स्थल पर यदि केम्पिंग श्रमिक कार्य पर लगायें जाते है तो ऐसे श्रमिकों के आवास की उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप में हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात हटाया जा सके।

33. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए। साथ ही नदी में मल मूत्र विसर्जन, अथवा खाद्य सामग्री के पैकेट, प्लॉस्टिक आदि का विसर्जन प्रतिबंधित रहेगा। नदी एवं नदी जल की स्वच्छता का ध्यान रखा जावें।

34. श्रमिकों का समय–समय पर आक्यूपेशनल हेल्थ सर्विलेंस कराया जाये।

35. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ / भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

36. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।

37. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा मे परिवर्तन अथवा विर्निदिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा मे किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोडने अथवा उत्सर्जन / निस्स्राव के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

38. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस–पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ आवश्यक शर्तों सहित सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल मे अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की वेबसाइट parivesh.nic.in पर भी किया जा सकता है।

39. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, कोरबा, एस.ई. आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर को प्रेषित किया जाए। एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मानिटरिंग की जाएगी।

40. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली/एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर/केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी।

41. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन हथालन एवं सीमापार संचलन) नियम, 2008 (यथा संशोधित) तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।

42. प्रस्तावित परियोजना के बारे मे एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्त निर्दिष्ट करने बाबत निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

43. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला–व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय मे 30 दिवस की अवधि के लिये प्रदर्शित करेगा।

44. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरुद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि मे की जा सकेगी।

सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी.

अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.

मेसर्स गुमड़ा (डी–4) सेण्ड क्वारी (सरपंच/सचिव, ग्राम पंचायत गुमड़ा) को पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 1224, कुल क्षेत्रफल – 5 हेक्टेयर के कुल 60 प्रतिशत क्षेत्रफल में ही रेत उत्खनन, ग्राम–गुमड़ा, तहसील–गीदम, जिला–साउथ बस्तर दंतेवाड़ा में डंकनी नदी से रेत उत्खनन क्षमता 30,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु प्रस्तावित पर्यावरण स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

यह पर्यावरणीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जा रही है। अतः इन शर्तों को बहुत ध्यान से पढ़ा जावें तथा कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित किया जाए।

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से पांच वर्ष तक की अवधि हेतु वैध होगी।
2. सस्टेनेबल सेण्ड माईनिंग मैनेजमेंट गाईडलाईन्स, 2016 (Sustainable Sand Mining Management Guidelines 2016) एवं ईन्फोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेण्ड माईनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के अनुसार पालन सुनिश्चित किया जाए।
3. ईन्फोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेण्ड माईनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के तहत् 60 प्रतिशत क्षेत्र में उत्खनन कार्य किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
4. **गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट** – परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनःभरण (Replenishment) बाबत् सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके। उक्त स्टडी रिपोर्ट की प्रति जिला खनिज अधिकारी एवं एस.ई.आई.ए.ए., छ.ग. में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत की जाएगी। उक्त स्टडी रिपोर्ट के आधार पर ही आगामी उत्खनन की मात्रा एवं उत्खनन की अवधि प्रभावित होगी।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के मुख्य प्रवेश द्वार पर सूचना पटल (लीज धारक का नाम, खदान का क्षेत्रफल अक्षांश एवं देशांतर सहित, उत्खनन की मात्रा, स्वीकृति अवधि) लगाया जाए।
6. लीज क्षेत्र के चारों कोनो तथा सीमा लाईन के मध्य में सीमेंट के खम्भें गड़ाना आवश्यक है ताकि लीज क्षेत्र नदी में स्पष्ट दृष्टिगोचर हो सके।
7. यदि खदान खनिज विभाग द्वारा अधिसूचित किसी क्लस्टर में है, अथवा 500 मीटर के भीतर स्वीकृत रेत खदानों का कुल रकबा 5 हेक्टेयर से अधिक होता है तो पर्यावरण स्वीकृति मान्य नहीं होगी।
8. माईनिंग प्लान अनुसार वैध उत्खनन क्षेत्र 5 हेक्टेयर के कुल 60 प्रतिशत क्षेत्रफल से अधिक नहीं होगा। शेष 40 प्रतिशत क्षेत्र में उत्खनन नहीं किया जाएगा। रेत का उत्खनन सतह से 1 मीटर गहराई तक ही किया जाएगा, उससे अधिक नहीं। इसी प्रकार खदान से रेत का अधिकतम उत्खनन 30,000 घनमीटर प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा।
9. माननीय एन.जी.टी. के आदेश दिनांक 26/02/2021 के अनुसार पट्टेदार द्वारा माईनिंग प्लान एवं पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों का पालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरण विशेषज्ञ नियुक्त करना होगा।

10. रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व उपरोक्तानुसार निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर नदी में रेत की सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे कर, उसके आंकड़ें तत्काल एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किये जायें। पोस्ट–मानसून (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर किया जायेगा। इसी प्रकार रेत खनन उपरांत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा। रेत सतह के पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) के मापन का कार्य आगामी 5 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। प्री–मानसून के आंकड़ें अगस्त 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 एवं पोस्ट–मानसून के आंकड़ें दिसम्बर 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे।

11. रेत की खुदाई एवं भराई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। इस प्रयोजन के लिये किसी उपकरण संयंत्र (Machinery) आदि का उपयोग नहीं किया जाएगा। रिवर बेड में भारी वाहनों जैसे– जेसीबी मशीन, पोकलैण्ड, लोडर, चैनमाउण्टेड मशीन, हाईवा आदि का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गढ्ढे (Excavation pits) से लोडिंग प्वाईंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

12. रेत का उत्खनन केवल चिन्हीत, सीमांकित एवं घोषित क्षेत्र मे ही किया जाएगा। रेत उत्खनन की अधिकतम गहराई सतह से 1.5 मीटर अथवा वर्तमान जल स्तर की ऊपरी सतह से 1 मीटर छोड़कर दोनो मे से जो कम हो, से अधिक नहीं होगी। रेत का उत्खनन किसी भी परिस्थिति में जल स्तर के नीचे नहीं किया जाएगा। न्यूनतम 2 मीटर मोटाई तक की रेत नदी तल (हार्ड रॉक) के ऊपर छोड़ा जाना आवश्यक है।

13. रेत उत्खनन नदी तटों से कम से कम 7.5 मीटर अथवा नदी की चौड़ाई के 10 प्रतिशत की दूरी जो भी अधिक हो छोड़कर ही किया जाएगा, ताकि नदी तटों का क्षरण न हो। किसी भी पुलिया, स्टापडेम, बांध, एनीकट, जल प्रदाय व्यवस्था एवं अन्य स्थायी संरचनाओं से खदान के अपस्ट्रीम में न्यूनतम 500 मीटर तथा डाउनस्ट्रीम में न्यूनतम 250 मीटर सुरक्षित क्षेत्र छोड़ा जाना अनिवार्य है।

14. यह सुनिश्चित किया जाए कि रेत उत्खनन के कारण नदी जल का वेग, टर्बिडिटी एवं जल बहाव के स्वरूप पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े। नदी के स्वतंत्र बहाव (Free flow of river) को प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा।

15. यह सुनिश्चित किया जाए कि उत्खनन केवल उसी क्षेत्र में किया जाए जिसमें तथा जिसके आस–पास के क्षेत्र पर कोई भी जीव–जन्तु प्रजनन हेतु निर्भर न हो। कछुओं के प्रजनन इकाईयों / क्षेत्रों का संरक्षण आवश्यक है, अतः इन क्षेत्रों के आस पास रेत उत्खनन नहीं किया जाए।

16. रेत उत्खनन एवं भराई / परिवहन दिन के समय (सूर्योदय और सूर्यास्त के मध्य) ही किया जाए। यह कार्य रात्रि के समय नहीं किया जाए। रात्रि में उत्खनन करना पाये जाने की स्थिति में अवैध उत्खनन माना जाएगा तथा परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त भी की जा सकेगी।

17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत उत्खनन विभिन्न प्रभागों यथा लोडिंग / अनलोडिंग आदि से उत्पन्न होने वाले फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु उपयुक्त वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएं जैसे जल छिडकाव अथवा अन्य उपयुक्त व्यवस्था की जाए। रेत उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

18. रेत का परिवहन तारपोलिन अथवा अन्य उपयुक्त माध्यम से ढ़के हुए वाहन से किया जाए, ताकि रेत वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।

19. उत्खनन क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण न हो, यह सुनिश्चित किया जाए।

20. **प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2024–25 में नदीतट के कटाव को रोकने हेतु लीज क्षेत्र के अनुसार अर्जुन, जामुन, बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के कुल 346 नग पौधों का रोपण नदी तट पर रोपित किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार की बाड़ का उपयोग) किया जाए। 5 फीट से 6 फीट ऊंचाई वाले पौधों का ही रोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए। रोपित पौधों की सुरक्षा एवं रख–रखाव आगामी 5 वर्षों तक करने का उत्तरदायित्व लेने संबंधी आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए। रोपित पौधों की सुरक्षा एवं रख–रखाव आगामी 5 वर्षों तक करने का उत्तरदायित्व परियोजना प्रस्तावक का रहेगा।**

21. रोपित किये जाने वाले पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख करते हुये फोटोग्राफ्स सहित जानकारी अर्धवार्षिक रिपोर्ट के साथ जमा करें। ऐसा नहीं करने पर पर्यावरण स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी।

22. वृक्षारोपण का रख–रखाव आगामी 5 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुये मृत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।

23. किये गये वृक्षारोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफ्स अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

24. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत किया जाए:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
16	2%	0.32	Following activities at Nearby, Village- Gumda	
			Plantation in Village	5.06
			Total	5.06

25. सी.ई.आर. के तहत् निर्धारित कार्यवाही 06 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। सी.ई.आर. के उपरोक्त प्रस्तावित कार्यो के कार्य पूर्ण उपरांत संबंधित ग्राम पंचायत

से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये प्रस्तुत किया जाए। सी.ई.आर. कार्य की सफलता सुनिश्चित करना आपका उत्तरदायित्व होगा। वृक्षारोपण असफल होने पर पर्यावरण स्वीकृति निरस्त की जावेगी।

26. सी.ई.आर. के अंतर्गत वृक्षारोपण (नीम, पीपल, करंज, कदम, जामुन, अमलतास, अर्जुन आदि) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कुल 405 नग वृक्षारोपण हेतु पौधों के लिए राशि 40,780 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 39,200 रूपये, खाद के लिए राशि 3,060 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 72,000 रूपये एवं अन्य कार्यो हेतु राशि 10,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 1,65,040 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 3,41,784 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत बड़े तुमनार के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 690, क्षेत्रफल 15.91 हेक्टेयर में से 0.16 हेक्टेयर) संबंध में प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कार्य पूर्ण करें।

27. सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाए। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाए।

28. जब भी निरीक्षण दल/अधिकारी निरीक्षण हेतु स्थल पर आये, तब उन्हें खदान/उद्योग/भट्टा के निरीक्षण के साथ–साथ सी.ई.आर. के तहत् आपके द्वारा कराये गये कार्यो का निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से कराना आपकी जिम्मेदारी होगी।

29. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित कार्य करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति को निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।

30. परियोजना प्रस्तावक संबंधित केन्द्र / राज्य शासन के विभागों, मण्डलों एवं अन्य संस्थानों से रेत उत्खनन आरंभ करने के पूर्व आवश्यक सभी अनुमतियां प्राप्त करेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण तथा पर्यावरण संरक्षण हेतु समय–समय पर केन्द्र/राज्य सरकार, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा जारी निर्देशों / मार्गदर्शिका का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

31. छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015, राज्य शासन द्वारा रेत उत्खनन हेतु जारी अधिसूचना दिनॉक 2/3/2006 के प्रावधानों/शर्तो एवं तदनुसार जारी दिशा निर्देशों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

32. कार्य स्थल पर यदि केम्पिंग श्रमिक कार्य पर लगायें जाते है तो ऐसे श्रमिकों के आवास की उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप में हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात हटाया जा सके।

33. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए। साथ ही नदी में मल मूत्र विसर्जन, अथवा खाद्य सामग्री के पैकेट, प्लॉस्टिक आदि का विसर्जन प्रतिबंधित रहेगा। नदी एवं नदी जल की स्वच्छता का ध्यान रखा जावें।

34. श्रमिकों का समय–समय पर आक्यूपेशनल हेल्थ सर्विलेंस कराया जाये।

35. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ / भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

36. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।

37. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा मे परिवर्तन अथवा विर्निदिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा मे किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोडने अथवा उत्सर्जन / निस्स्राव के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

38. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस–पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ आवश्यक शर्तों सहित सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल मे अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की वेबसाइट **parivesh.nic.in** पर भी किया जा सकता है।

39. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, जगदलपुर, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर को प्रेषित किया जाए। एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मानिटरिंग की जाएगी।

40. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली/एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर/केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी।

41. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन हथालन एवं सीमापार संचलन) नियम, 2008 (यथा संशोधित) तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।

42. प्रस्तावित परियोजना के बारे मे एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्त निर्दिष्ट करने बाबत निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

43. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला–व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय मे 30 दिवस की अवधि के लिये प्रदर्शित करेगा।

44. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरूद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि मे की जा सकेगी।

सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी.

अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.

मेसर्स चिखली सेण्ड क्वारी (प्रो.– श्री आदित्य कुमार वर्मा) को पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 1127, कुल क्षेत्रफल – 4.95 हेक्टेयर के कुल 60 प्रतिशत क्षेत्रफल में ही रेत उत्खनन, ग्राम–चिखली, तहसील–आरंग, जिला–रायपुर में महानदी से रेत उत्खनन क्षमता 44,550 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु प्रस्तावित पर्यावरण स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

यह पर्यावरणीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जा रही है। अतः इन शर्तों को बहुत ध्यान से पढ़ा जावें तथा कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित किया जाए।

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से पांच वर्ष तक की अवधि हेतु वैध होगी।
2. सस्टेनेबल सेण्ड माईनिंग मैनेजमेंट गाईडलाईन्स, 2016 (Sustainable Sand Mining Management Guidelines 2016) एवं ईन्फोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेण्ड माईनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के अनुसार पालन सुनिश्चित किया जाए।
3. ईन्फोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेण्ड माईनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के तहत् 60 प्रतिशत क्षेत्र में उत्खनन कार्य किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
4. **गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट** – परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनःभरण (Replenishment) बाबत् सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके। उक्त स्टडी रिपोर्ट की प्रति जिला खनिज अधिकारी एवं एस.ई.आई.ए.ए., छ.ग. में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत की जाएगी। उक्त स्टडी रिपोर्ट के आधार पर ही आगामी उत्खनन की मात्रा एवं उत्खनन की अवधि प्रभावित होगी।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के मुख्य प्रवेश द्वार पर सूचना पटल (लीज धारक का नाम, खदान का क्षेत्रफल आक्षांश एवं देशांतर सहित, उत्खनन की मात्रा, स्वीकृति अवधि) लगाया जाए।
6. लीज क्षेत्र के चारों कोनो तथा सीमा लाईन के मध्य में सीमेंट के खम्भें गड़ाना आवश्यक है ताकि लीज क्षेत्र नदी में स्पष्ट दृष्टिगोचर हो सके।
7. यदि खदान खनिज विभाग द्वारा अधिसूचित किसी क्लस्टर में है, अथवा 500 मीटर के भीतर स्वीकृत रेत खदानों का कुल रकबा 5 हेक्टेयर से अधिक होता है तो पर्यावरण स्वीकृति मान्य नहीं होगी।
8. माईनिंग प्लान अनुसार वैध उत्खनन क्षेत्र 4.95 हेक्टेयर के कुल 60 प्रतिशत क्षेत्रफल से अधिक नहीं होगा। शेष 40 प्रतिशत क्षेत्र में उत्खनन नहीं किया जाएगा। रेत का उत्खनन सतह से 1.5 मीटर गहराई तक ही किया जाएगा, उससे अधिक नहीं। इसी प्रकार खदान से रेत का अधिकतम उत्खनन 44,550 घनमीटर प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा।
9. माननीय एन.जी.टी. के आदेश दिनांक 26/02/2021 के अनुसार पट्टेदार द्वारा माईनिंग प्लान एवं पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों का पालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरण विशेषज्ञ नियुक्त करना होगा।

10. रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व उपरोक्तानुसार निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर नदी में रेत की सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे कर, उसके आंकड़ें तत्काल एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किये जायें। पोस्ट–मानसून (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर किया जायेगा। इसी प्रकार रेत खनन उपरांत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा। रेत सतह के पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) के मापन का कार्य आगामी 5 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। प्री–मानसून के आंकड़ें अगस्त 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 एवं पोस्ट–मानसून के आंकड़ें दिसम्बर 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे।

11. रेत की खुदाई एवं भराई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। इस प्रयोजन के लिये किसी उपकरण संयंत्र (Machinery) आदि का उपयोग नहीं किया जाएगा। रिवर बेड में भारी वाहनों जैसे– जेसीबी मशीन, पोकलैण्ड, लोडर, चैनमाउण्टेड मशीन, हाईवा आदि का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गढ्ढे (Excavation pits) से लोडिंग प्वाईंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

12. रेत का उत्खनन केवल चिन्हीत, सीमांकित एवं घोषित क्षेत्र मे ही किया जाएगा। रेत उत्खनन की अधिकतम गहराई सतह से 1.5 मीटर अथवा वर्तमान जल स्तर की ऊपरी सतह से 1 मीटर छोड़कर दोनो मे से जो कम हो, से अधिक नहीं होगी। रेत का उत्खनन किसी भी परिस्थिति में जल स्तर के नीचे नहीं किया जाएगा। न्यूनतम 2 मीटर मोटाई तक की रेत नदी तल (हार्ड रॉक) के ऊपर छोड़ा जाना आवश्यक है।

13. रेत उत्खनन नदी तटों से कम से कम 7.5 मीटर अथवा नदी की चौड़ाई के 10 प्रतिशत की दूरी जो भी अधिक हो छोड़कर ही किया जाएगा, ताकि नदी तटों का क्षरण न हो। किसी भी पुलिया, स्टापडेम, बांध, एनीकट, जल प्रदाय व्यवस्था एवं अन्य स्थायी संरचनाओं से खदान के अपस्ट्रीम में न्यूनतम 500 मीटर तथा डाउनस्ट्रीम में न्यूनतम 250 मीटर सुरक्षित क्षेत्र छोड़ा जाना अनिवार्य है।

14. यह सुनिश्चित किया जाए कि रेत उत्खनन के कारण नदी जल का वेग, टर्बिडिटी एवं जल बहाव के स्वरूप पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े। नदी के स्वतंत्र बहाव (Free flow of river) को प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा।

15. यह सुनिश्चित किया जाए कि उत्खनन केवल उसी क्षेत्र में किया जाए जिसमें तथा जिसके आस–पास के क्षेत्र पर कोई भी जीव–जन्तु प्रजनन हेतु निर्भर न हो। कछुओं के प्रजनन इकाईयों / क्षेत्रों का संरक्षण आवश्यक है, अतः इन क्षेत्रों के आस पास रेत उत्खनन नहीं किया जाए।

16. रेत उत्खनन एवं भराई / परिवहन दिन के समय (सूर्योदय और सूर्यास्त के मध्य) ही किया जाए। यह कार्य रात्रि के समय नहीं किया जाए। रात्रि में उत्खनन करना पाये जाने की स्थिति में अवैध उत्खनन माना जाएगा तथा परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त भी की जा सकेगी।

17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत उत्खनन विभिन्न प्रभागों यथा लोडिंग / अनलोडिंग आदि से उत्पन्न होने वाले फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु उपयुक्त वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएं जैसे जल छिडकाव अथवा अन्य उपयुक्त व्यवस्था की जाए। रेत उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

18. रेत का परिवहन तारपोलिन अथवा अन्य उपयुक्त माध्यम से ढ़के हुए वाहन से किया जाए, ताकि रेत वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।

19. उत्खनन क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण न हो, यह सुनिश्चित किया जाए।

20. **प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2024–25 में नदीतट के कटाव को रोकने हेतु लीज क्षेत्र के अनुसार अर्जुन, जामुन, बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के कुल 1,000 नग पौधों का रोपण नदी तट पर रोपित किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार की बाड़ का उंपयोग) किया जाए। 5 फीट से 6 फीट ऊंचाई वाले पौधों का ही रोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए। रोपित पौधों की सुरक्षा एवं रख–रखाव आगामी 5 वर्षों तक करने का उत्तरदायित्व लेने संबंधी आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए। रोपित पौधों की सुरक्षा एवं रख–रखाव आगामी 5 वर्षों तक करने का उत्तरदायित्व परियोजना प्रस्तावक का रहेगा।**

21. रोपित किये जाने वाले पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख करते हुये फोटोग्राफ्स सहित जानकारी अर्धवार्षिक रिपोर्ट के साथ जमा करें। ऐसा नहीं करने पर पर्यावरण स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी।

22. वृक्षारोपण का रख–रखाव आगामी 5 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुये मृत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।

23. किये गये वृक्षारोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफ्स अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

24. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत किया जाए:–

Capital Investment (In Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (In Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
44.80	2%	0.896	Following activities at Nearby, Village- Chikhali	
			Plantation around village Pond	0.93
			Total	0.93

25. सी.ई.आर. के तहत् निर्धारित कार्यवाही 06 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। सी.ई.आर. के उपरोक्त प्रस्तावित कार्यो के कार्य पूर्ण उपरांत संबंधित ग्राम पंचायत

से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये प्रस्तुत किया जाए। सी.ई.आर. कार्य की सफलता सुनिश्चित करना आपका उत्तरदायित्व होगा। वृक्षारोपण असफल होने पर पर्यावरण स्वीकृति निरस्त की जावेगी।

26. सी.ई.आर. के अंतर्गत तालाब के चारों ओर वृक्षारोपण (आम की विभिन्न प्रजातियां, कटहल, जामुन आदि) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कुल 60 नग पौधों के लिए राशि राशि 6,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 9,000 रूपये, खाद के लिए राशि 4,500 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 10,000 रूपये एवं अन्य कार्यो हेतु राशि 5,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 34,500 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 58,000 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत चिखली के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 565, क्षेत्रफल 1.72 हेक्टेयर में) के संबंध में प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कार्य पूर्ण करें।

27. सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाए। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाए।

28. जब भी निरीक्षण दल/अधिकारी निरीक्षण हेतु स्थल पर आये, तब उन्हें खदान/उद्योग/भट्टा के निरीक्षण के साथ–साथ सी.ई.आर. के तहत् आपके द्वारा कराये गये कार्यो का निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से कराना आपकी जिम्मेदारी होगी।

29. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित कार्य करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति को निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।

30. परियोजना प्रस्तावक संबंधित केन्द्र / राज्य शासन के विभागों, मण्डलों एवं अन्य संस्थानों से रेत उत्खनन आरंभ करने के पूर्व आवश्यक सभी अनुमतियां प्राप्त करेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण तथा पर्यावरण संरक्षण हेतु समय–समय पर केन्द्र/राज्य सरकार, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा जारी निर्देशों / मार्गदर्शिका का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

31. छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015, राज्य शासन द्वारा रेत उत्खनन हेतु जारी अधिसूचना दिनॉक 2/3/2006 के प्रावधानों/शर्तो एवं तद्नुसार जारी दिशा निर्देशों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

32. कार्य स्थल पर यदि केम्पिंग श्रमिक कार्य पर लगायें जाते है तो ऐसे श्रमिकों के आवास की उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप में हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात हटाया जा सके।

33. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए। साथ ही नदी में मल मूत्र विसर्जन, अथवा खाद्य सामग्री के पैकेट, प्लॉस्टिक आदि का विसर्जन प्रतिबंधित रहेगा। नदी एवं नदी जल की स्वच्छता का ध्यान रखा जावें।

34. श्रमिकों का समय–समय पर आक्यूपेशनल हेल्थ सर्विलेंस कराया जाये।

35. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए, छत्तीसगढ / भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

36. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।

37. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा मे परिवर्तन अथवा विर्निदिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा मे किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोडने अथवा उत्सर्जन / निस्स्राव के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

38. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस–पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ आवश्यक शर्तों सहित सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल मे अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की वेबसाइट parivesh.nic.in पर भी किया जा सकता है।

39. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायपुर, एस.ई. आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर को प्रेषित किया जाए। एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मानिटरिंग की जाएगी।

40. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली/एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर/केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी।

41. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन हथालन एवं सीमापार संचलन) नियम, 2008 (यथा संशोधित) तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।

42. प्रस्तावित परियोजना के बारे मे **एस.ई.आई.ए.ए.**, छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्त निर्दिष्ट करने बाबत निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

43. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला–व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय मे 30 दिवस की अवधि के लिये प्रदर्शित करेगा।

44. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरूद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि मे की जा सकेगी।

सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी. **अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.**